न्यूफील्ड एडवरटाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डिज़ाईन व थॉमसन प्रैस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा मुद्रित

वार्षिक रिपोर्ट

2004-05

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

FINAL-COVER(hindi).p65 1 4/16/2005, 2:04 AM

वार्षिक रिपोर्ट

2004-05

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

विषय सूची

भारी उद्योग विभाग

अध्याय		पृष्ठ सं.
1.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय - प्रस्तावना	07
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक	11
3.	मुख्य-मुख्य बातें	17
4.	भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम	21
5.	भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र	35
6.	आटोमोटिव उद्योग	42
7.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	48
8.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	57
9.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	58
10.	सतर्कता	59
11.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	60
	अनुबंध (I से X)	62
	संकेताक्षर	78

लोक उद्यम विभाग

अध्याय		पृष्ठ सं.
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	83
2.	सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण	85
3.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड(बीआरपीएसई)	88
4.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	90
5.	मानव संसाधन विकास	95
6.	सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	100
7.	मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	102
8.	परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना	104
9.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	106
10.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	108
11.	महिलाओं का कल्याण	110
	अनुबंध (I से VII)	111

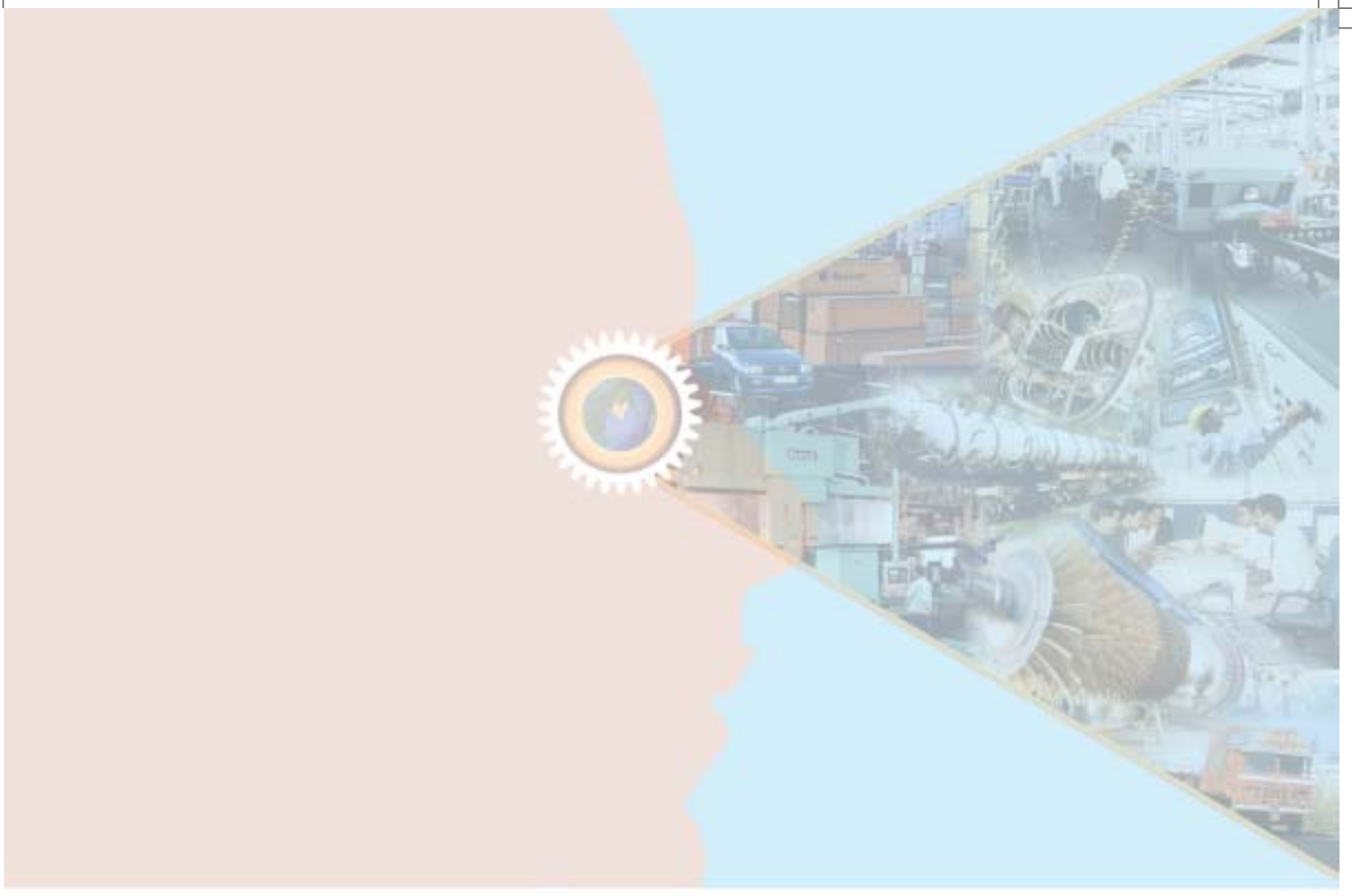

भारी उद्योग विभाग

- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय - प्रस्तावना 07
- भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक 11
- मुख्य-मुख्य बातें 17
- भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम 21
- भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र 35
- आटोमोटिव उद्योग 42
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास 48
- अल्पसंख्यकों का कल्याण 57
- महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण 58
- सतर्कता 59
- हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 60

अनुबंध (I से X) 62

संकेताक्षर 78

1 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

प्रस्तावना

मंत्रालय

1.1 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों का प्रशासनिक कार्य देखने एवं उनके लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने के अलावा देश में पूंजीगत सामग्री एवं इंजीनियरी उद्योगों के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं।

भारी उद्योग विभाग

1.2 भारी उद्योग विभाग भारी इंजीनियरी उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा 48 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रशासित करता है। इस विभाग द्वारा शामिल उद्योग इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, तेल शोधक कारखानों पेट्रो-रसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के उपकरणों की आवश्यकता पूरी करते हैं। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर तथा गियर बॉक्स जैसे अनेक मध्यस्थ उत्पादों के विकास के लिए उत्तरदायी है। वे विद्युत, रेल और सड़क परिवहन आदि सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए सामग्री और सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह विभाग पलक्कड़ में फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट नामक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला भी प्रशासित करता है, जो अंशाकन के मानकीकरण के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों से परामर्श लेता है और उद्योग के विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है। यह विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार से संबंधित समस्याओं के समाधान, प्रोद्योगिकीय सहयोग के संवर्धन तथा उन्नयन और अनुसंधान तथा विकास आदि के माध्यम से उद्योग की सहायता भी करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है, जिसकी सहायता आर्थिक सलाहकार और एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-I** में दिया गया है।

MHIPE- Final 1.p65 7 4/16/2005, 2:06 AM

1.5 यह विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ उनके कार्यनिष्पादन का अनुवीक्षण करने के लिए घनिष्ठ तालमेल रखता हैं। विभाग इन उद्यमों और सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता हैं और ऑर्डर बुक सुधारने तथा मुख्य क्षेत्र के ग्राहकों को सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घावधिक संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है।

विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

1.6 विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्रियों के विनिर्माण, परामर्श और संविदा कार्यकलापों में लगे हुए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में दिनांक 31 मार्च, 2004 की यथास्थिति कुल निवेश (सकल ब्लॉक) लगभग 8590 करोड़ रुपए था **(अनुबंध-II)** निवेश के संगणन में उन चौदह सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो बंद हो गए हैं अथवा जिनका प्रचालन समाप्त हो गया है, शामिल नहीं हैं। विभाग के अधीन उद्यम मशीन टूल, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रोटर्बाइन, टर्बो जेनरेटर्स, रेलवे ट्रैक्शन उपकरण, प्रेशर वेसल्स, एसी रेल इंजन, प्राइम मूवर्स, विद्युत उपकरण, और कृषि संबंधी ट्रैक्टर तथा घड़ियां, कागज, टायर और नमक जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यह विभाग ऑटो क्षेत्र में एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मारूति उद्योग लिमिटेड के कार्यों से भी संबंध रखता है।

1.7 यह विभाग सरकार की सरकारी क्षेत्र की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। विभाग रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में पुनरुद्धार पैकेज का निर्माण करने के लिए बीआईएफआर और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ परस्पर कार्य करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में रेखांकित सरकारी क्षेत्र की नीति के अनुसार साधारणतया लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आधुनिकीकृत और पुनर्गठित करने के प्रयास किए जाएंगे तथा पुरानी हानि उठाने वाली कंपनियों के सभी कर्मचारियों के कानूनी बकायों और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बाद या तो बिक्री कर दी जाएगी अथवा उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

1.8 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार अधिदेश को कार्यान्वित करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड (बीआरपीएसई) स्थापित किया गया है। बीआरपीएसई सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुत्थान/पुनर्गठन से संबंधित संपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देगा। यह बोर्ड सामान्यत: सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक स्वायतशासी और व्यावसायिक बनाने के लिए उपायों पर सरकार को सुझाव भी देगा।

1.9 यह विभाग वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि उनकी निवेश संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और सरकार/बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रुग्ण/घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निधियां प्रदान की जा सकें। विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जनशक्ति यौक्तिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिनांक 31.3.2004 की यथास्थिति कर्मचारियों की कुल संख्या 1,00,104 थी (अनुबंध-III में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)।

नागरिक अधिकार-पत्र

1.10 सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसलिए भारी उद्योग विभाग प्रभावी तथा प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में इस विभाग

MHIPE- Final 1.p65 8 4/16/2005, 2:06 AM

में एक संयुक्त सचिव और निदेशक क्रमशः संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं।

(ii) व्यावसायिक कार्यालय प्रबंध की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो उत्पादन की क्षमता और गुणवता सुधारने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज प्रारंभ करने और प्रणाली उन्नयन के लिए भी उत्तरदायी है।

(iii) पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने के लिए इस विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(iv) कर्मचारियों की शिकायतों (लोक अदालत में विवाद) के निपटान के लिए इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(v) विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) और पहलों तथा नई नीतियों सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना विभाग की वेबसाहइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों के समाधान से संबंधित कार्य के लिए विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकरी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(vii) महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विभाग में अवर सचिव स्तर की एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है।

लोक उद्यम विभाग (लोउवि)

तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का सतत् मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरुप, वर्ष 1965 में सरकारी उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरुप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई, 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। वर्तमानतः यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है और साथ ही यह विभाग सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, वित्तीय लेखांकन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देश भी तैयार करता है। लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालय तथा सरकारी उद्यमों के मध्य अन्तरापृष्ठ प्रदान करता है।

2. लोक उद्यम विभाग के अधिदेश

2.1 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:-

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित लोक उद्यम ब्यूरो।
- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावति करने वाले गैर-वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वयन।
- सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देने तथा उनका पूनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

MHIPE- Final 1.p65 9 4/16/2005, 2:06 AM

— लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रभार के अधीन सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) नामक एक बोर्ड गठित किया गया है।

3. लोक उद्यम विभाग की भूमिका

3.1 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंधन तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में नीति प्रतिपादित करने में सहायता प्रदान करता है। लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन व अनुरक्षण भी करता है। अपने दायित्वों के निर्वहन में यह अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा संबंधित संगठनों के साथ समन्वय भी करता है।

3.2 लोक उद्यम विभाग के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:-

— औद्योगिक प्रबंधन पूल, जिसे लोक उद्यम विभाग को अंतरित कर दिया गया है, से जुड़े मुद्दों सहित सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्य।

— संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक वार्षिक लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रकाशन।

— मजदूरी नीति

— निदेशक मण्डल की संरचना, श्रेणीकरण, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों का प्रशिक्षण।

— मिनीरत्न व नवरत्न श्रेणी के केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण से संबधित मुद्दे।

— अन्तरराष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई), स्लोवेनिया से संबंधित मुद्दे।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश तथा अन्य दिशानिर्देश जारी करना।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मण्डल को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराना।

— क्रय अधिमानता से संबंधित मुद्दे।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों व केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभाग के मध्य उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक विवादों (कराधान तथा रेलवे संबंधी मामलों को छोड़कर) के समाधान के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र।

— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित मुद्दे।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श व पुन: प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

— सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)।

4. लोक उद्यम विभाग के प्रभाग

(i) वित्तीय नीति प्रभाग में लोक उद्यम सर्वेक्षण एकक, नीति नियोजन एकक, मंजूरी कक्ष तथा क्रय अधिमानता कक्ष शामिल हैं।

1.1 प्रबंध नीति प्रभाग में कार्मिक नीति एकक, नवरत्न तथा मिनीरत्न एकक, प्रशिक्षण एकक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कक्ष शामिल हैं।

(ii) समझौता ज्ञापन प्रभाग में समझौता ज्ञापन एकक, आंकड़ा बैंक तथा कम्प्यूटर कक्ष शामिल हैं।

(iii) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग में प्रशासन, पुस्तकालय, संसद अनुभाग, समन्वय स्कंध तथा तथा हिन्दी अनुभाग शामिल हैं।

(iv) स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए)।

(v) परामर्श, पुन: प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन प्रभाग।

(vi) बीआरपीएसई प्रभाग।

4.1 इस विभाग के अध्यक्ष सचिव हैं तथा उनकी सहायता के लिए एक संयुक्त, दो निदेशक तथा 121 कर्मचारियों की समग्र संस्वीकृत संख्या वाला एक संगठन है।

लोक उद्यम विभाग का संगठन-चित्र **अनुबंध-I** में दिया गया है।

MHIPE- Final 1.p65 10 4/16/2005, 2:06 AM

2 भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन की एक झलक

2.1 उद्योग का कार्यनिष्पादन

वर्ष 2003-2004 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि चालू वर्ष के दौरान जारी रही है जब अप्रैल-सितम्बर, 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त 6.2 प्रतिशत की तुलना में समग्र औद्योगिक वृद्धि (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के रूप में मापित) 7.9 प्रतिशत की दर पर हुई।

प्रयोग-आधारित वर्गीकरण से पता चलता है कि उपभोक्ता सामग्री क्षेत्र ने अप्रैल-सितम्बर, 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए 8.3 प्रतिशत की तुलना में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उप-क्षेत्र ने अप्रैल-सितम्बर, 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 15.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाई है। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु उप क्षेत्र ने भी अपनी वृद्धि की गति बनाए रखी है। इसने अप्रैल-सितम्बर, 2004-2005 में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। बुनियादी और मध्यवर्ती सामग्री क्षेत्र ने अप्रैल-सितम्बर, 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4.3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में क्रमशः 5.2 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

पूंजीगत सामग्री क्षेत्र, जिसने वर्ष 2003-04 में 13.6 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की है, ने चालू वर्ष के दौरान भी अपनी वृद्धि की गति बनाई रखी है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार पूंजीगत सामग्री क्षेत्र ने अप्रैल-सितम्बर, 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 10 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

MHIPE- Final 1.p65 11 4/16/2005, 2:06 AM

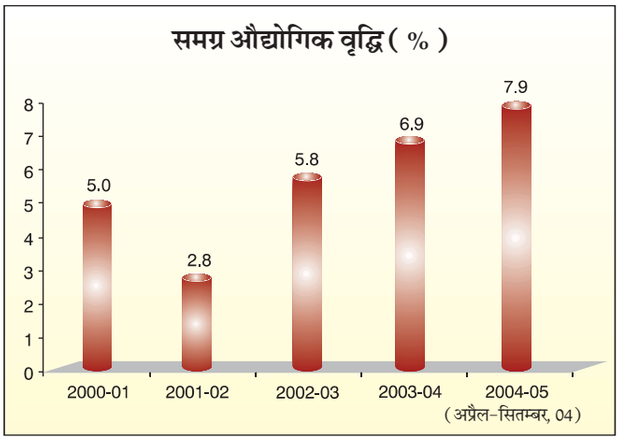

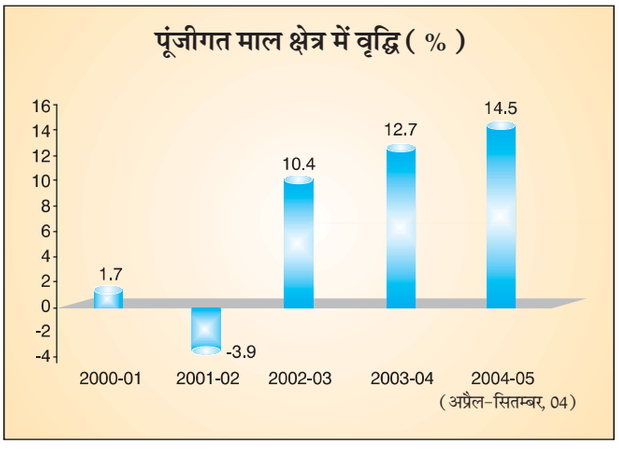

2.2 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित 19 औद्योगिक उप-क्षेत्रों से संबंधित कार्य करता है:

(i) बॉयलर
(ii) सीमेंट मशीनरी उद्योग
(iii) डेयरी मशीनरी उद्योग
(iv) विद्युत भट्ठी
(v) माल कन्टेनर
(vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर उद्योग
(vii) धातुकर्म मशीनरी
(viii) खनन उद्योग
(ix) मशीन टूल उद्योग
(x) तेल क्षेत्र उपस्कर
(xi) मुद्रण मशीनरी
(xii) लुगदी और कागज मशीनरी
(xiii) रबड़ मशीनरी उद्योग
(xiv) स्विचगियर और कंट्रोलगियर
(xv) शंटिंग लोकोमोटिव
(xvi) चीनी मशीनरी उद्योग
(xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
(xviii) ट्रांसफॉर्मर
(xix) वस्त्र मशीनरी उद्योग

2.3 अप्रैल-मार्च, 2003-2004 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2004-05 के दौरान वृद्धि की प्रवृतियां नीचे सारणी में दी गई हैं:

	क्षेत्रबार			
	भार	2003-04 (अप्रैल-मार्च)	2003-04 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05 (अप्रैल-सितम्बर)
समग्र	100.0	7.0	6.2	7.9
खनन और उत्खनन	10.5	5.2	4.2	4.9
विनिर्माण	79.3	7.4	6.7	8.2
विद्युत	10.2	5.1	3.0	7.7
	प्रयोग-आधारित वर्गीकरण			
समग्र	100.0	7.0	6.2	7.9
बुनियादी सामग्रियां	35.6	5.4	4.3	5.2
पूंजीगत सामग्रियां	9.3	13.6	10.0	14.5
मध्यवर्ती सामग्रियां	26.5	6.4	5.0	7.7
उपभोक्ता सामग्रियां	28.7	7.1	8.3	8.8
(i) टिकाऊ वस्तुएं	5.4	11.6	6.7	15.2
(ii) गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	5.8	8.9	6.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)

2.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन कुछ उद्योगों का अप्रैल-सितम्बर, 2004-05 की अवधि के लिए उत्पादन और वृद्धि दर अप्रैल-सितम्बर, 2003-04 की तुलना में नीचे दिया गया है:

उद्योग	इकाई	उत्पादन अप्रैल-सितम्बर 2003-04	उत्पादन अप्रैल-सितम्बर 2004-05	वृद्धि दर (%)
औद्योगिक मशीनरी	लाख रुपए	89322.48	116464.76	30.39
मशीन टूल	लाख रुपए	107828.63	116479.53	8.02
बॉयलर	लाख रुपए	80811.23	77222.33	-4.44
टर्बाइन (स्टीम/हाइड्रो)	लाख रुपए	20640.60	17390.60	-15.75
विद्युत जेनरेटर	लाख रुपए	44388.70	59035.56	33.0
विद्युत और वितरण ट्रांसफॉर्मर	मिलियन केवीए	30.07	22.12	-26.46
दूरसंचार केबल	मिलियन मीटर	10448.51	9935.52	-4.91
वाणिज्यिक वाहन	संख्या	116523	156814	34.58
यात्री कार	संख्या	369136	499416	27.17

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

2.5 भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2.5.1 विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदात्मक कार्यकलापों में लगे हैं। सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से 14 सरकारी क्षेत्र के उद्यम या तो बंद कर दिए गए हैं अथवा प्रचालनाधीन नहीं है, इस प्रकार 34 सरकारी क्षेत्र के उद्यम शेष रह जाते हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान 9 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने लाभ अर्जित किया है और शेष 25 ने घाटा उठाया है।

MHIPE- Final 1.p65 12 4/16/2005, 2:06 AM

वर्ष 2003-04 और 2004-05 में कुल कार्यनिष्पादन निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ रुपये में)

	2003-2004	2004-2005 (अनन्तिम)
उत्पादन	12306	13612
लाभ (+)/हानि (-)	(-)813	(-)764

(सरकारी क्षेत्र के उद्यम-बार ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-IV** और **V** में उपलब्ध हैं।)

2.5.2 निविष्टियों की लागत में वृद्धि के अतिरिक्त खराब आर्डर दर्ज होने, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष जनशक्ति, पुराने संयंत्र और मशीनरी के कारण कुछ मुख्य उद्यमों में उत्पादन में कमी हुई हैं।

2.5.3 इन घाटा उठाने वाले कई सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विशाल कार्यबल और उद्योग के मानदण्डों से बहुत अधिक उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं।

2.5.4 'भेल' के मामले, जहां ऑर्डर बुक होना 10,000-12,000 करोड़ रुपए के स्तर से काफी सुधरकर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, को छोड़कर अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ऑर्डर बुक होना धीरे-धीरे घट रहा है। प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम में ऑर्डर बुक होने का ब्यौरा **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

2.5.5 ऐसी केवल कुछ ही कंपनियां हैं, जो अपने उत्पादों का निर्यात करने में समर्थ रही हैं। निर्यात करने वाले मुख्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम 'भेल' और एचएमटी हैं। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निर्यात निष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-VIII** में दिया गया है।

2.5.6 सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकार का निवेश 3861 करोड़ रुपए है। सरकारी क्षेत्र के कई उद्यम अपना निवल मूल्य पार करते हुए पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहे हैं। सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संग्रहित घाटा/लाभ **अनुबंध-IX** में दिया गया है।

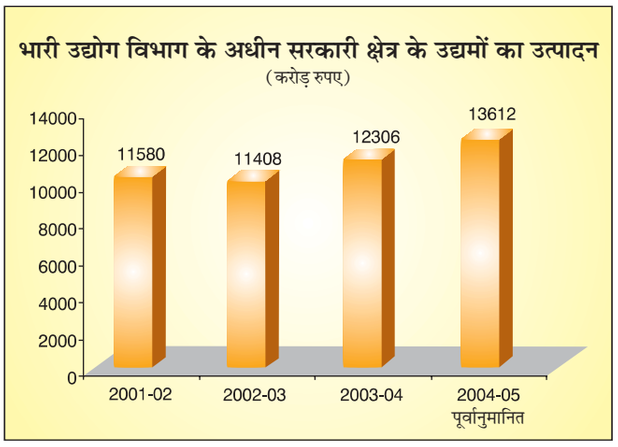

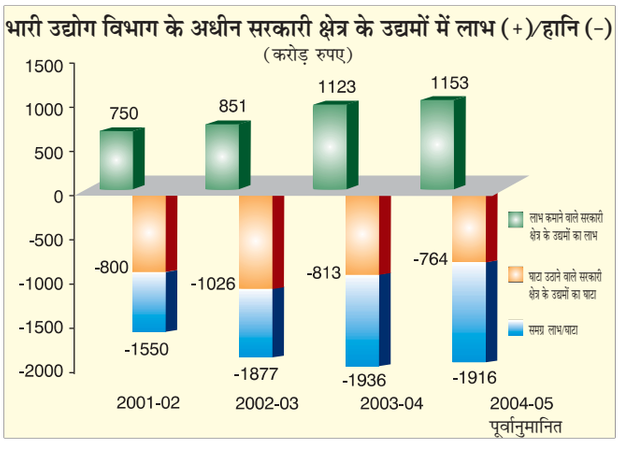

2.6 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र से संबंधित नीति

एनसीएमपी के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

— प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालनरत लाभ अर्जित करने वाले सफल सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता दी जाएगी।

— साधारणतया, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

— सभी निजीकरण पर मामला-दर-मामला आधार पर एक पारदर्शी और परामर्श पर विचार किया जाएगा।

— जबकि रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आधुनिक बनाने और पुनर्गठित करने तथा रुग्ण उद्योग का पुनरूद्धार करने का हर प्रयास किया जाएगा वहीं लबें समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों की सभी कामगारों का न्याससंगत बकाया और क्षतिपूर्ति दिए जाने के बाद या तो बिक्री की जाएगी अथवा उन्हें बंद किया जाएगा।

MHIPE- Final 1.p65 13 4/16/2005, 2:06 AM

— यह सुनिश्चित करने की सावधानी रखी जाएगी कि निजीकरण की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायता करती है।

2.7 बीआईएफआर को संदर्भित सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2.7.1 सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से 19 उद्यम बीआईएफआर को संदर्भित किये गये हैं। बीआईएफआर को संदर्भित करने से पूर्व सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

(i)	मामले, जहां बीआईएफआर ने पुनरुद्धार की योजना स्वीकृत की है।	**5** i) भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड ii) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड iv) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा v) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड *
(ii)	मामले, जहां बीआईएफआर ने बंद करने की सिफारिश की है।	**6** i) भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (एओजीएल) ii) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड (एचपीएफ) iii) नगालैंड पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड iv) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) v) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) vi) रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड (आएण्डसी)
(iii)	बीआईएफआर की अंतिम सिफारिशे प्रतीक्षित हैं	**8** i) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) ii) भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (वीडब्ल्यूईएल) iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड iv) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड v) हिंदुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल) vi) नेपा लिमिटेड vii) प्रागा टूल्स लिमिटेड viii) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(* प्रचालन अब बंद हो गया है)

2.8 विगत में सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों का पुनर्गठन

2.8.1 पूर्व में किए गए कुछ पुनर्गठन प्रयासों में निमलिखित शामिल हैं:

- एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी (एवाई एण्ड कं.) के बेल्टिंग डिवीजन को 74% की इक्विटी धारित करते हुए भागीदार के रूप में जर्मनी की मैसर्स फीनिक्स और शेष 26% इक्विटी एवाई एंड कंपनी के पास रखते हुए वर्ष 1999 में संयुक्त उपक्रम कंपनी (फीनिक्स यूल एंड कंपनी) में परिवर्तित करना।
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (एलजेएमसी) को संयुक्त उपक्रम कंपनी में परिवर्तित करना और कंपनी के प्रबंधन का जुलाई, 2000 में संयुक्त उपक्रम भागीदार को हस्तान्तरण।
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) का संयुक्त उपक्रम में परिवर्तन और कंपनी के प्रबंधन का अगस्त, 2003 में संयुक्त उपक्रम भागीदार को हस्तांतरण।

2.8.2 जबकि सरकार जैव्य और विश्वसनीय पुनरुद्धार योजनाओं को सहायता देती रही है फिर भी कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बीआईएफआर/विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा अजैव्य माना गया या और निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बंद कर दिया गया है:

(i) भारत प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई)

(ii) भारत ब्रेक्स एंड वाल्ब्स लिमिटेड (बीबीवीएल)

(iii) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

(iv) नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)

(v) माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएएमसी)

(vi) रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी)

(vii) आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल)

(viii) टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन लिमिटेड (टेप्को)

(ix) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)

2.8.3 उपरोल्लिखित सरकारी क्षेत्र के नौ उद्यमों के अतिरिक्त, एचएमटी लिमिटेड की चार अजैव्य इकाईयों (वाच केस डिवीजन, लैम्प डिवीजन, सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग इंस्टीट्यूट सभी हैदराबाद में और गुवाहाटी में मिनिएचर बैटरी इकाई), घाटा उठाने वाली रिफ्रैक्टरी इकाई और बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) का जेलिंघम यार्ड, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की टांगरा इकाई को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति के फलस्वरूप बंद कर दिया गया है।

2.8.4 सरकारी क्षेत्र के तीन उद्यमों नमात: नेशनल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी), भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, (बीएलसी) और नगालैंड पल्प एंड

MHIPE- Final 1.p65 14 4/16/2005, 2:06 AM

पेपर मिल्स लिमिटेड (एनपीपीसी) में कोई प्रचालन नहीं हो रहा है।

2.9 जनशक्ति का यौक्तिकीकरण

2.9.1 इस विभाग के कई सरकारी क्षेत्र के उद्यम में कामगारों को अनावश्यक दु:ख-तकलीफ दिए बिना अधिशेष जनशक्ति समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है। पिछले बारह वर्षों की अवधि 1992-1993 से 2003-2004 के दौरान लगभग 81,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया है, जिसमें लगभग 2400 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

2.9.2 यह विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए विदेशी निवेशकों/बैंको/संस्थानों/जनता को सरकारी गारंटी के बदले बाण्ड जारी करने के लिए भी प्रोत्साहित करता रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

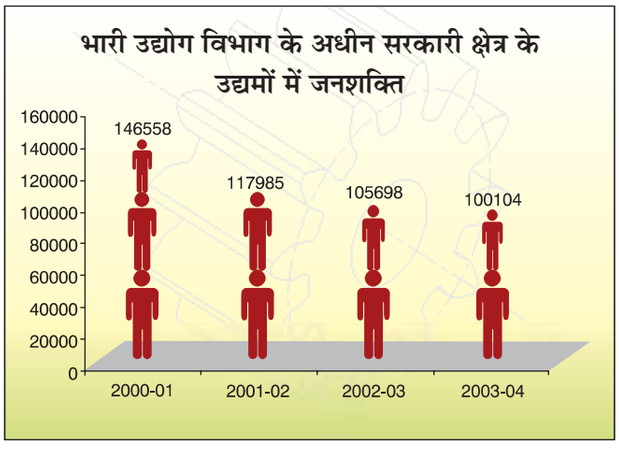

2.10 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न और मिनीरत्न को स्वायत्तता

2.10.1 'भेल' नवरत्न केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में से एक है। कंपनी के बोर्ड को योग्य व्यावसायिकविदों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक सहयोग के गठन और मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियां बनाने के संबंध में अधिक स्वतंत्रता दी गई है।

2.10.2 'भेल' को अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के तीन उद्यम नामत: आरईआईएल, एचएनएल और एचएमटी (आई) को मिनीरत्न के रूप में श्रेणीकृत किया गया है।

भेल द्वारा की गई 123 मेगावाट गैस टरबाईन की आपूर्ति से सुसज्जित 168.1 मेगावाट केलानितिस्सा पावर प्लांट

2.11 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

2.11.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने और अपने उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से वर्ष 2004-2005 के लिए भारत सरकार के साथ सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 7 उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

(iii) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)

(iv) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचपीसी की सहायक कंपनी)

(v) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (आईएलके की सहायक कंपनी)

(vi) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

(vii) एचएमटी लिमिटेड (एचएमटी)

2.12 पूर्वोत्तर क्षेत्र

2.12.1 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाईयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं:-

(i) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नौगांव और कछार पेपर मिल्स), असम

MHIPE- Final 1.p65 15 4/16/2005, 2:06 AM

(ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नगालैंड

(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम

(iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम

2.12.2 सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयों कागज, सीमेंट और चाय की विनिर्माण में लगी हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई कुछ मुख्य योजनाओं में हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन के लिए डीजी सेट और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की बोकाजन इकाई में ओवरहेड क्रेन की संस्थापना और असम में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय की खेती का पुनरुद्धार शामिल है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के लिए प्रदान की गई सरकार की बजटीय सहायता क्रमश: 7.12 करोड़ रुपए, 4.34 करोड़ रुपए और 5.84 करोड़ रुपए रही है।

2.13 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार भारी उद्योग विभाग के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां **अनुबंध-X** में दी गई है।

MHIPE- Final 1.p65 16 4/16/2005, 2:06 AM

3 मुख्य-मुख्य बातें

3.1 सरकारी क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में विहित नीतिगत निर्दिष्टि के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूत्थान/पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण आदि के लिए एक समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के आधार पर पुनर्गठन/पुनरूत्थान प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

3.2 भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूत्थान के प्रथम उपाय के रूप में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 24 रूग्ण उद्यमों में सांविधिक बकाए और वेतन/मजदूरी के बकाए के निपटान के लिए अपेक्षित 517 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

3.3 फ्लूड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई) ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस) के साथ उच्च दाब, उच्च तापक्रम मल्टीफेज फ्लोमीटर की डिजाइन और विकास के लिए 74.3 लाख रुपए के एक परियोजना प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

3.4 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने संयुक्त रूप से ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में 2 वर्ष के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक) कार्यक्रम प्रदान करने के लिए वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर, जो एक माना गया विश्वविद्यालय है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

3.5 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से संबंधित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) महाराष्ट्र में न्यू पर्ली ताप विद्युत स्टेशन में 250 मेगावाट की यूनिट स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से 559 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।

(ii) 75 मेगावाट वाली लिग्नाइट आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए गुजरात विद्युत बोर्ड से 197 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।

(iii) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए

MHIPE- Final 1.p65 17 4/16/2005, 2:06 AM

कंप्रेसर और ड्राइव टर्बाइन पैकेज हेतु 20 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।

(iv) आनंद जिले में धुवरान में गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की एक विद्युत परियोजना के लिए अत्यधिक उन्नत गैस टर्बाइन के विनिर्माण, आपूर्ति और उत्थापन के लिए 333 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।

(v) त्रिपुरा में अगरतला के समीप रोखिया में 21 मेगावाट के गैस-आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार से 61 करोड़ रुपए मूल्य का आर्डर प्राप्त किया।

(vi) लीबिया में स्थापित किए जाने वाले 600 मेगावाट के गैस-टर्बाइन आधारित विद्युत संयंत्र के लिए 150 मेगावाट के गैस टर्बाइन जेनरेटर के निर्यात से समुद्रपारीय बाजार में एक नया मानदंड प्राप्त किया।

(vii) आंतरिक अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यिीकरण से 575 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया, जो वर्ष 2003-04 के लिए कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 7% है।

(viii) इसरो (आईएसआरओ) के सहयोग से इसरो के उपग्रह कार्यक्रम को पूरा करने के लिए स्पेस क्वालिटी की बैटरियों की एसेम्बली और परीक्षण के लिए अपने बंगलौर संयंत्र में एक नई सुविधा संस्थापित की।

(ix) पारस ताप विद्युत परियोजना में 250 मेगावाट की यूनिट स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से 647.10 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।

(x) टर्नकी आधर पर पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत स्टेशन में प्रत्येक 250 मेगावाट की दो यूनिटें स्थापित करने के लिए दामोदर घाटी निगम से 1701 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।

(xi) मुकेरियां, पंजाब में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से 70 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।

(xii) ओमान सल्तनत से 80 करोड़ रुपए मूल्य के गैस कंप्रेसर पैकेज के लिए निर्यात आदेश प्राप्त किया।

(xiii) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के साथ उनके लैंडरिग्स के पुन:मार्जन और उन्नयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सह समझौता ज्ञापन 3 वर्षों के लिए वैध है, जिसके 'भेल' को 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय लाने की संभावना है।

(xiv) मौसुनी द्वीपसमूह में पश्चिम बंगाल नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सहयोग से 105 किलोवाट का सौर विद्युत संयंत्र चालू किया, जो द्वीप समूहवासियों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन सुविधाजनक बना सकता है।

(xv) हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) से 410 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।

(xvi) पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के द्वीपसमूहों में पांच स्टैंडअलोन सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी से 15 करोड रुपए का ठेका प्राप्त किया।

(xvii) अपने अभिनव खोजों के लिए कुल 18 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कारों में से पांच पुरस्कार प्राप्त किए, जिससे कंपनी को बचत हुई।

(xviii) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रत्येक 250 मेगावाट की दो यूनिटों वाली दो चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली 1000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के लिए जिंदल पावर लिमिटेड से 1,774 करोड़ रुपए मूल्य का बड़ा ठेका प्राप्त किया।

(xix) रिलाएंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से गुजरात राज्य में स्थित हजीरा पेट्रोरसायन परियोजना और जामनगर रिफाइनरी

MHIPE- Final 1.p65 18 4/16/2005, 2:06 AM

सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ प्रधानमंत्री राहत कोष में माननीय प्रधानमंत्री को भेल के अंशदान (चंदा) के रूप में चैक (धनादेश) सौंपते हुए, भा.उ. व लो.उ. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष मोहन देव

के लिए तीन गैस टर्बाइन जेनरेटर सेट की आपूर्ति के लिए 190 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का ठेका प्राप्त किया।

(xx) कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड और राष्ट्रीय निर्माण प्रबंध और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीएमएआर) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित पुरस्कार जीता, जिसने कंपनी को देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्यमों में सबसे बड़ा और अत्यधिक लाभकारी निर्माण कंपनी का दर्जा दिया।

(xxi) एशिया प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी द्वीपसमूह विद्युतीकरण परियोजना के एक भाग के रूप में लक्षद्वीप के कलपेनी द्वीपसमूह में 100 किलोवाट का अपना नौवां सौर विद्युत संयंत्र चालू किया।

(xxii) हरिद्वार, त्रिची, भोपाल और हैदराबाद में स्थित कंपनी की चार यूनिटों द्वारा प्राप्त की गई व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सीआईआई–एक्जिम मान्यता प्रदान किया गया।

(xxiii) पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर ताप विद्युत स्टेशन (टीपीएस) में प्रत्येक 210 मेगावाट की दो यूनिटें स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) द्वारा निधिपोषित किए जा रहे 1198 करोड़ रुपए मूल्य का टर्नकी ठेका प्राप्त किया।

3.6 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) ने समय से पूर्व बचाऊ अंजार जल पाइपलाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री से परियोजना चालू करने का पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित मुख्य ऑर्डर प्राप्त किए:

(i) गौतमखानी ओपेन कास्ट परियोजना में ब्लास्ट होल ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, खुदाई कार्यों के लिए मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, आंध्रप्रदेश से 103.93 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजना

(ii) अमरेली और भावनगर जिला जलापूर्ति स्कीम के लिए वितरण नेटवर्क हेतु मैसर्स गुजरात जलापूर्ति और मलजल बोर्ड, गुजरात से 78.83 करोड़ रुपए की परियोजना।

(iii) यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र के लिए निस्यंदन, अवक्षेपण और आहरण प्रणाली हेतु यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया से 96 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजना।

(iv) मशीनिंग में उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए एचएएल, बंगलौर से 40.25 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर।

(v) गुयाना सरकार ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 के लिए जॉर्जटाउन में प्रस्तावित स्टेडियम के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शी सेवा हेतु ईपीआई प्रतिधारित करने की पुष्टि की। परियोजना का मूल्य लगभग 3.90 मिलियन अमरीकी डालर है।

(vi) सूर्यनगर, बंगलौर में आवास स्कीम के सभी कार्यों के निर्माण और चालू करने के लिए कनटिक आवास बोर्ड, बंगलौर से 188.90 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजना।

MHIPE- Final 1.p65 19 4/16/2005, 2:06 AM

एच.एम.टी द्वारा निर्मित परिवहनोन्मुख बहु-उपयोगी ट्रैक्टर (ट्रेन्टर)

3.7 एचएमटी लिमिटेड के संबंध में मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) लैंकशायर, यूनाईटेड किंगडम में एक डिजाइन और विकास कंपनी ट्रैक्टर व्हीकल्स लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करार किया, जिससे एचएमटी के पास ट्रैन्टर के यातायात उन्मुख बहुउपयोगी ट्रैक्टरों के विनिर्माण और बिक्री का विशेष विश्वव्यापी अधिकार होगा।

(ii) मुम्बई में दिनांक 29.1.2004 से 03.02.2004 तक भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित मशीन टूल प्रदर्शनी-इमटेक्स 2004 में भाग लिया।

(iii) एचएमटी के इंजीनियरों के अनुसंधान और विकास दल द्वारा पहला प्रोटोटाइप बहुउपयोगी वाहन (एमयूवी) विकसित किया गया था। एमयूवी चार कॉरवर्ड और एक सिंक्रोमेश गियर वाले 1995 सीसी प्रत्यक्ष क्षेपण डीजल इंजन से सज्जित है।

(iv) 65 अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टर पर विकसित अर्थ मूविंग मशीनरी एचएमटी वज्र को अवसंरचना क्षेत्र यथा सड़क निर्माण, बांध निर्माण आदि की उभरती हुई मांग को पूरा करने के लिए बाजार में उतारा गया था।

(v) एचएमटी (वाचेज) लिमिटेड ने 76,000 अदद लेडीज और जेंट्स घडियों की आपूर्ति के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण से 3.25 करोड़ रुपए मूल्य का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया।

3.8 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएलके), कोटा ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस में वैकल्पिक ईंधन पहला देशी ''टार इंजेक्शन सिस्टम'' चालू किया जिससे ऊर्जा का रूपान्तरण हुआ।

3.9 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) को ''ग्रीनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता रजत पुरस्कार, 2001-02'' प्रदान किया गया।

3.10 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आरईआईएल):

(i) 12 करोड़ रुपए की लागत पर 3 महीने की रिकार्ड अवधि में पंजाब में 1000 पीसी-आधारित दुग्ध-संग्रहण स्टेशन का निर्माण पूरा किया।

(ii) अल्प सूचना पर जर्मनी को 1,78,000 यूरो (लगभग 1 करोड़ रुपए) के मूल्य पर फोटोवोल्टिक सेल का निर्यात आदेश सफलतापूर्वक निष्पादित किया।

(iii) डाटा प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर (डीपी-ईएमटी), सोसायटी लेखा प्रबंध प्रणाली (एसएएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक (आरएमआरडी) के विकास में अनुसंधान और विकास प्रयासों के मान्यतास्वरूप प्रतिष्ठित डीएसआईआर राष्ट्रीय पुरस्कार, 2004 प्राप्त किया।

MHIPE- Final 1.p65 20 4/16/2005, 2:06 AM

4

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

4.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एंड कंपनी औद्योगिक पंखे, चाय कारखानों की मशीनरी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर सहित विद्युत उपकरणों आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री और अनुरक्षण के कार्य में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल और असम में 12 चाय बागानों के जरिए चाय की खेती, विनिर्माण और प्रसंस्करण करने वाली 6 चाय कंपनियां वर्ष 1986 में कंपनी का हिस्सा हो गई। ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड, मद्रास और ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में शामिल किया गया था। कंपनी रूग्ण है और उसे बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। एंड्रयू यूल समूह में एक सहायक कंपनी मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी और दो बड़ी सहायक कंपनियां अर्थात दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (अब डीपीएससी लिमिटेड के रूप में पुन: नामित) और टाइड वाटर ऑयल कंपनी भी शामिल है। कंपनी के बेल्टिंग प्रभाग को दिनांक 1.2.1999 से एक संयुक्त उद्यम कंपनी में बदल दिया गया है और नई कंपनी की 74% इक्विटी फीनिक्स एजी जर्मनी और 26% इक्विटी एवाईसीएल के पास है। कंपनी द्वारा वर्ष 2004-05 में 109.55 करोड़ रुपए का उत्पादन करने की संभावना है। कुल लगभग 170 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ सरकार द्वारा कंपनी का व्यापक पुनर्गठन अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

कंपनी की स्थापना एंड्रयू यूल समूह के अधीन कंपनियों की मुद्रण और लेखन-सामग्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1922 में की गई थी। यह एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक

MHIPE- Final 1.p65 21 4/16/2005, 2:06 AM

कंपनी हैं। वर्ष 2004-2005 में कंपनी का उत्पादन 10.00 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

4.3 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना विशेष रूप से देश के विद्युत उत्पादन और पारेषण उपस्करों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। 'भेल' आज विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सभी प्रणालियों और उपकरणों की आपूर्ति करने वाली एकमात्र प्रमुख कंपनी है। संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त इसके 14 विनिर्माण संयंत्र, 8 सेवा केंद्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्र हैं। कंपनी को एक 'नवरत्न' सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में अभिज्ञात किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्य की तुलना में 'भेल' के वर्ष 2003-2004 में कार्यनिष्पादन के लिए इसे 'उत्कृष्ट' की श्रेणी में रखा गया हैं।

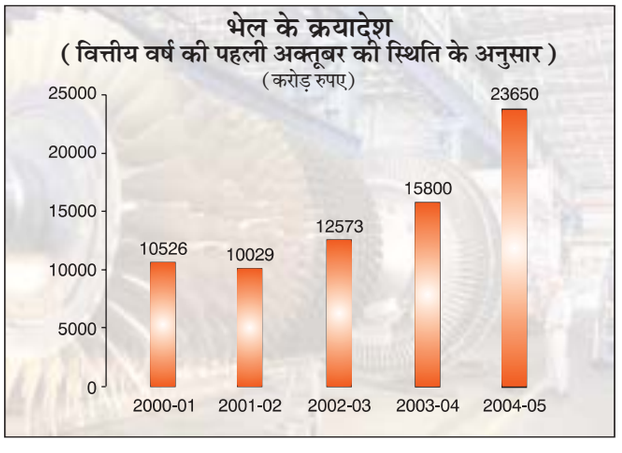

कंपनी ने कारोबार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए कई कदम उठाए हैं जहां इसके मौजूदा आधारभूत ढांचे, कौशल और क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे कुछ नए क्षेत्रों में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, उन्नत श्रेणी के गैस टर्बाइन, सेरालिन इंसुलेटर्स, कंगन वाली गढ़ाई, जल प्रबंध, सामग्री प्रहस्तन, प्रचलन और अनुरक्षण सेवाएं, सिमुलेटर्स और सेना के लिए उपस्कर और सेवाएं शामिल हैं।

कंपनी ने एक जर्मनी के मैसर्स सीमेन्स के साथ और दूसरा संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक के साथ दो संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की है। ये उपक्रम क्रमशः ताप संयंत्रों के रख-रखाव/नवीकरण से संबंधित हैं।

कंपनी द्वारा वर्ष 2004-2005 में 9450 करोड़ रुपए का उत्पादन करने की संभावना है।

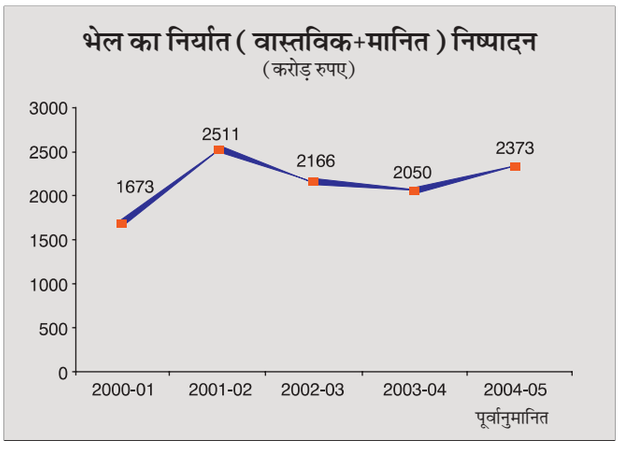

4.4 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

बाहरी एजेंसियों के साथ अंतर इकाई सहसंबंध और बेहतर समन्वय द्वारा तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय प्रभावोत्पादकता लाने के प्राथमिक उद्देश्य से धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीवीयूएनएल) को वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था। इसकी निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं:

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बीबीवीएल) (अब बंद हो गया है)

(ख) आरबीएल लिमिटेड (अब बंद हो गया है)

(ii) भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

(iv) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (अब बंद हो गया है)

सहायक कंपनी (i) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) अब बंद हो गया है।

MHIPE- Final 1.p65 22 4/16/2005, 2:06 AM

(v) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(vi) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 से विनिवेश किया गया)

वर्ष 2004-2005 में धारक कंपनी की सभी प्रचालनरत सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन 415.41 करोड़ रुपए होना संभावित है।

4.5 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लिमिटेड और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को वर्ष 1976 में समामेलित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफैक्ट्री और सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयां है। बीएससीएल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे मुख्य उत्पादों में बैगन, स्ट्रक्चरल्स, प्वाइंट्स एंड क्रासिंग, बोगियां, राख प्रहस्तन संयंत्र, कोयला प्रहस्तन संयंत्र आदि शमिल हैं। कंपनी रुग्ण है और यह बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। कंपनी के लिए बीआईएफआर द्वारा एक पुनरूद्धार योजना स्वीकृत की गई थी। कंपनी की घाटा उठा रही 7 रिफैक्टरी इकाइयां और जेलिघंम यार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद बंद कर दिया गया है।

वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 210.07 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.6 ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, सरकार ने वर्ष 1976 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयां अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स और (iii) एंगस वर्क्स हैं, जो प्राथमिक तौर पर रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स, और सामान्य तथा विशेष कार्यों के लिए क्रेन, जिसमें कन्टेनर प्रहस्तन क्रेन, रेल-माउंटिंग डीजल लोको ब्रेकडाउन क्रेन, जूट कार्डिंग मशीन और जूट उद्योग के लिए रोल फीडर्स आदि शामिल हैं, के विनिर्माण में लगी है। कंपनी रूग्ण है और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-2005 के दौरान कंपनी का उत्पादन 115.91 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.7 भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) की स्थापना वर्ष 1979 में ब्रिटेनिया, मोकामा, बिहार और आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर, बिहार के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई थी। कंपनी के मुख्य उत्पादों में रेलवे वैगन, स्क्रू पाइल ब्रिज, इस्पात ढांचे, ग्रे आयरन कास्टिंग आदि शामिल हैं। कंपनी को बीआईएफआर भेजा गया हैं क्योंकि यह रूग्ण हो गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 51.43 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.8 ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड कंपनी के रूप में वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी के निर्माण का कार्य करती हैं। बीबीजे ने रस्सों वाले लंबे सड़क पुलों

MHIPE- Final 1.p65 23 4/16/2005, 2:06 AM

के निर्माण की आधुनिक तकनीकी हासिल कर ली है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलापों में विविधीकरण किया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 38 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

बी.बी.जे द्वारा निर्मित विजयवाड़ा में कृष्णा पुल

4.9 भारत यंत्र निगम लिमिटेड

भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकमुश्त और टर्नकी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से निम्नलिखित सहायक कंपनियों के कार्यकलापों को एकीकृत, अनुवीक्षण और समन्वित करने के मुख्य उद्देश्य से धारक कंपनी के रूप में वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था।

1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
2. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद
3. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता
4. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद

वर्ष 2004-05 के दौरान सभी सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन 637 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.10 भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड

भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) की स्थापना वर्ष 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र पेट्रोरसायन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूंजीगत साज-सामान की आपूर्ति के लिए की गई थी।

कंपनी के तीन प्रभाग नामत: प्रोसेस प्लांट डिवीजन, क्रायोजेनिक्स और बॉयलर डिवीजन हैं। विद्यमान सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए कंपनी ने विश्व की विख्यात कंपनियों से तकनीकी सहायता के साथ वायु और गैस पृथक्करण संयंत्रों के विनिर्माण, औद्योगिक बॉयलरों की डिजाइन और विनिर्माण, प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रणाली पैकेज आदि जैसी अनेक स्कीमों का विविधीकरण किया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 87 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

कान्डला में इंडियन ऑयल कम्पनी के लिए बी.एच.पी.वी. द्वारा निर्मित रेफ्रिजेरेटेड एल.पी.जी. टर्मिनल

MHIPE- Final 1.p65 24 4/16/2005, 2:06 AM

4.11 भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड

भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी तेल, उर्वरक, रसायन आदि जैसे क्षेत्रों की विभिन्न किस्म के पंपों और कंप्रेशरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत कंपनी की पुनरूद्धार योजना सफल नहीं रही है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-05 में कंपनी द्वारा 62 करोड़ रुपए का उत्पादन करना संभावित है।

4.12 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) प्रारंभ में बालमेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में 1.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के निवेश के माध्यम से बीएंडआर एक सरकारी कंपनी बन गई। इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण जून, 1986 में पेट्रोलियम मंत्रालय से इस विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। कंपनी के प्रचालन में मझोले और बड़े ढांचों का निर्माण, भवनों, कंक्रीट पुलों, सिविल निर्माण परियोजनाओं, प्रशीतन टावरों के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, तेलशोधन शालाओं, उर्वरक, रसायन, इस्पात, अल्युमीनियम आदि के लिए संपूर्ण संयंत्रों का यांत्रिक निर्माण करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 455 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

बी.एंड आर द्वारा निर्मित मंगलौर तेल शोधक के लिए क्रॉस कन्ट्री पाइप लाइन

4.13 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहित किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक-एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कंपनी वर्ष 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में इस्पात के ढांचे ट्रांसमिशन लाइन के टावर, औद्योगिक मशीनरी, रसायन मशीनरी, प्रशीतन उपस्कर आदि शामिल हैं। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। बीआईएफआर द्वारा वर्ष 1995 में स्वीकृत पुनरूद्धार योजना विफल रही है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने आरएण्डसी को बंद करने का आदेश पारित किया। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 21.56 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

MHIPE- Final 1.p65 25 4/16/2005, 2:06 AM

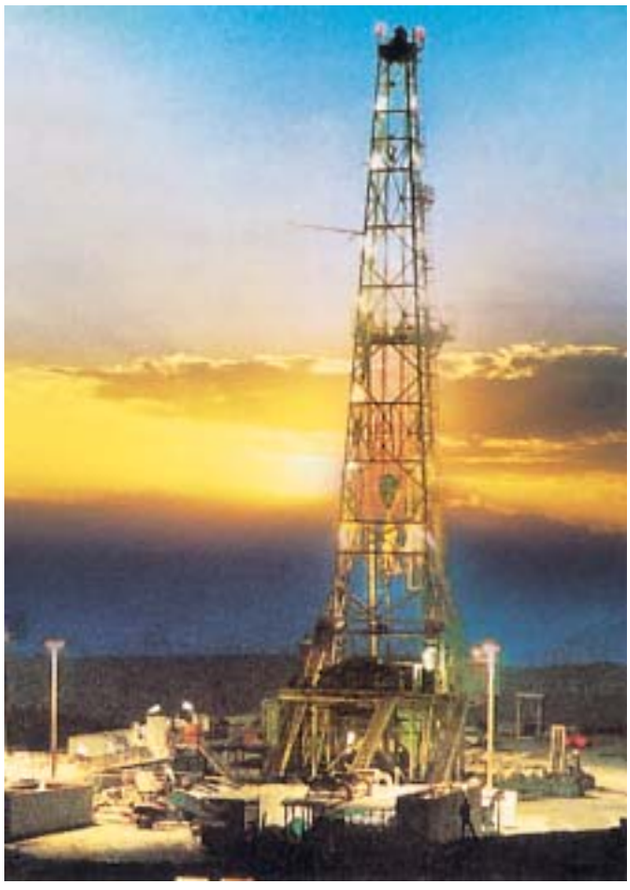

आर एण्ड सी द्वारा निर्मित ओ.एन.जी.सी. के लिए आनशोर रिग

4.14 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में समामेलित किया गया था। कंपनी प्राथमिक तौर पर इस्पात के भारी ढांचों जैसे विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और मास्ट, हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि का विनिर्माण करती है। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार योजना विफल रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 1.50 करोड़ रुपए होने की संभावना है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

टी.एस.एल. द्वारा श्रीसैलम परियोजना के लिए एशिया का सबसे विशाल हाइड्रॉलिक गेट

4.15 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना प्रारंभ में कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी) फरवरी, 1967 में एक सरकारी कंपनी बनी। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बनी। कंपनी हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढांचे, ट्रांसमिशन लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों आदि की डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना के कार्य में लगी है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 10 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा

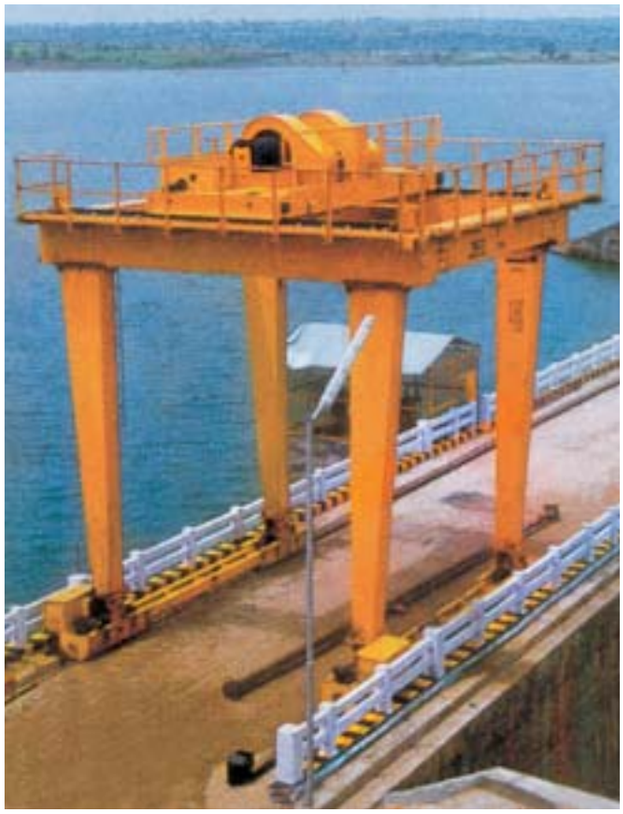

टी.एस.पी.एल. द्वारा निर्मित गैन्ट्री क्रेन

MHIPE- Final 1.p65 26 4/16/2005, 2:06 AM

कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.16 हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हैं।

कंपनी व्यापक मात्रा में उन्नत दूरसंचार केबल और तारों का विनीर्माण करती है और रेलवे, रक्षा, संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 10 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.17 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को लोहा और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के लिए उपकरणों और मशीनरी की डिजाइन तथा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य से दिसम्बर, 1958 में समामेलित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां है, यथा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीवी) और फाऊंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिप्लर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स संहित हैवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 185 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.18 एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन सहित धारक कंपनी)

एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। यह कंपनी मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी के विनिर्माण में लगी है। उसकी देश भर में कई इकाइयां हैं।

कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठाती रही है। सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन की योजना में व्यवसाय समूहों को चार नए अलग-अलग सहायक कंपनियों में बदलने और उन सहायक कंपनियों में इक्विटी का विनिवेश करके संगठनात्मक पुनर्गठन की संकल्पना की गई है। कंपनी को ट्रैक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए धारक कंपनी एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड और एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड हैं।

एचएमटी के ट्रैक्टर प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में 25 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर के विनिर्माण से अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारंभ किया। परंतु तत्पश्चात इसने 75 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर

MHIPE- Final 1.p65 27 4/16/2005, 2:06 AM

विकसित किए। इस समय कंपनी की भारत में तीन ट्रैक्टर विनिर्माण इकाइयां है जो पिंजोर, हरियाणा, मोहाली, पंजाब और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में स्थित हैं। एचएमटी धारक कंपनी (ट्रैक्टर प्रभाग) का वर्ष 2004-05 के दौरान उत्पादन 235.38 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.19 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एचएमटी लिमिटेड ने ''एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड'' नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 1999 में समामेलित किया है। इसकी पांच स्थानों पर अपनी विनिर्माण इकाइयां है, जो मशीन टूल्स के विशेष समूह में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। इसका बिक्री और सेवा नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। एचएमटी-एमटी लिमिटेड की सभी विनिर्माण इकाइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। वर्ष 2004-05 में कंपनी का उत्पादन 265 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

एच.एम.टी. द्वारा निर्मित मुद्रण मशीन

4.20 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

भारत में घड़ियों का निर्माण प्रारंभ करने वाली प्रथम कंपनी, एचएमटी लिमिटेड ने 'एचएमटी वाचेज लिमिटेड' नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का वर्ष 1999 में समामेलन किया है। यह मैकेनिकल और क्वार्ट्ज एनालॉग घड़ियों का विनिर्माण करती है।

कलाई घड़ियों का विनिर्माण जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग के अधीन वर्ष 1962 में एचएमटी की विविधीकरण कार्यनीति के एक भाग के रूप में बंगलौर में प्रारंभ किया गया था

एचएमटी वाचेज लिमिटेड की बंगलौर, तुमकुर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं जबकि विपणन मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

एच.एम.टी. द्वारा निर्मित क्वार्टज घड़ियां

एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के सभी वर्गों सस्ती से महंगी तक और नौजवानों से लेकर बड़ों तक के लिए सेवा प्रदान करती है। एचएमटी ब्रांड की भारतीय बाजार में काफी अधिक ब्रांड हिस्सेदारी है। इसके ब्रांड को देश में अग्रणी एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में भारतीय ब्रांडों में लगातार सर्वश्रेष्ठ आंका गया

MHIPE- Final 1.p65 28 4/16/2005, 2:06 AM

है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 40 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.21 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड ने वर्ष 2000 में ''एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड'' को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में समामेलित किया। यह पुरूषों के लिए मैकेनिकल घड़िया बनाती है। एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड में जम्मू में पंजीकृत कार्यालय सहित श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में एक एकत्रण (असेम्बली) इकाई शामिल है।

एचएमटी घड़ियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता उपभोक्ता के लिए प्रमुख आकर्षण और बिक्री की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड अपने उत्पादों का विपणन एचएमटी वाचेज लिमिटेड के व्यापक विपणन नेटवर्क के माध्यम से करता है।

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के पास प्रतिवर्ष 5 लाख घड़ियों के विनिर्माण की क्षमता है। वर्ष 2004-05 में कंपनी का उत्पादन 2.50 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.22 प्रागा टूल्स लिमिटेड

प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), सिकन्दराबाद को मूलत: एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्ष 1943 में समामेलित किया गया था। यह कंपनी वर्ष 1959 में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। फरवरी, 1988 में जब इसकी 51% शेयर पूंजी एचएमटी लिमिटेड के नाम हस्तांरित की गई तब यह उसकी सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स अर्थात सीएनसी कटर और टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, सीएनसी मिलिंग मशीन, थ्रेड रोलिंग मशीन, जिंग बोरिंग मशीन और सीएनसी जिग बोरिंग मशीन आदि का विनिर्माण करती रही है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 22.58 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

पी.टी.एल. द्वारा निर्मित सी.एन.सी. हारिजेंटल मशीनिंग सेंटर

4.23 एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड

एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो-निपॉन प्रेसिजन बियरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 30 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

MHIPE- Final 1.p65 29 4/16/2005, 2:06 AM

एच.एम.टी.(बी) द्वारा उत्पादित बेयरिंग्स

4.24 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में एचएमटी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में यंत्र और उपकरण, घड़ियां और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें अफ्रीका, रूस, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात किया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार - 37 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.25 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) की स्थापना 1964 में गयी थी। इसकी तीन उत्पादन इकाइयां हैं, जो कोटा (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान) और पलक्कड़ (केरल) में हैं। जयपुर में इसकी एक सहायक कंपनी मैं. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड भी कार्य कर रही है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधारित एवं डिजीटल वितरित नियंत्रण प्रणाली, उन्नत ट्रांसमिटरों, दोष सहाय नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेत प्रणालियों और दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण के कार्य में लगी है।

सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा टेलीफोन एक्सचेंजों की आवश्यकता के 10% की सीमा तक आदेशों के आरक्षण का अनुमोदन कर दिया है। वर्ष 2004-05 के दौरान आईएलके का उत्पादन 170 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.26 राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के संयुक्त उद्यम के रूप में इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टर (ई.एम.टी.) का विभिन्न दुग्ध संयंत्रों, डेरियों, दुग्ध शीतलन संयंत्रों और गांवों की सहकारी समितियों के लिए निर्माण और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी ने सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/प्रणाली, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपनी उत्पादन रेंज का विविधीकरण किया है। अपने चमकदार कार्य-निष्पादन के कारण इस सरकारी उद्यम ने 'मिनिरत्न' का स्तर प्राप्त किया है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का कुल उत्पादन 41.60 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

आर.ई.आई.एल द्वारा तैयार की गई डिजाइन स्मार्ट कार्ड आधारित ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन केन्द्र (स्मार्ट ए.एम.सी.एस.)

4.27 नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल) का गठन, 1957 में उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय के अधीन एक विभागीय कार्यशाला नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की सम्पत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण से हुआ था। कंपनी रात में देखने में काम आने वाले उपकरणों सहित गैस मीटर, कैमरा, प्रैशर व वैक्यूम गेज सहित सर्वेक्षण के लिए कई प्रकार के आप्टिकल और आप्टो इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन और व्यापार करती है। कंपनी

MHIPE- Final 1.p65 30 4/16/2005, 2:06 AM

रूग्णावस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर द्वारा नवम्बर, 1999 में एक पुनरूद्धार योजना स्वीकृत की गई थी। तथापि, कंपनी का कार्यनिष्पादन खराब है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.28 स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड (एसआईएल) का गठन, 1972 में हुआ था। वर्तमान में, लखनऊ स्थित इसके कारखाने में तिपहिये वाहनों का उत्पादन होता है। कंपनी रूग्ण होने के कारण बीआईएफआर को संदर्भित की गई थी। कंपनी ने अपने निष्पादन में आमूल चूल परिवर्तन किया है और लगातार पिछले तीन वर्षों में कंपनी ने लाभ दर्शाया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार होने से यह बीआईएफआर के विचार क्षेत्र से बाहर आ गई है। वर्ष 2004-2005 के दौरान कंपनी द्वारा 138.66 करोड़ रुपए का उत्पादन प्राप्त करना संभावित है।

4.29 भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) की स्थापना नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड से दुर्गापुर स्थित ऑप्थाल्मिक ग्लास संयंत्र का अधिग्रहण कर, 1972 में की गई थी। कंपनी ऑप्थाल्मिक ब्लैंक फ्लिंट बटन, आप्टिकल ग्लास, खिड़कियों के लिए विकिरण रोकने वाले शीशे और रक्षा, परमाणु और अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष किस्म का ऑप्टिकल ग्लास बनाने वाली कंपनी है। कंपनी रूग्ण हो चुकी है और बीआईएफआर को भेजी गई थी। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी का प्रचालन मार्च, 2003 से बंद हो गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.30 सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) का गठन सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और क्षेत्रीय असंतुलन हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य से, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां कार्य कर रही हैं, जो छतीसगढ़ में मन्धार, अकलतारा और नयागांव, मध्य प्रदेश; कर्नाटक में कुरकुंटा; असम में बोकाजन; हिमाचल प्रदेश में राजबन; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तेंदूर; तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है तथा दिल्ली में इसकी पिसाई इकाई कार्य कर रही है।

धन की अत्यंत कमी, आधारभूत ढांचे, खास तौर पर बिजली की कमी के कारण के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल

राजबन, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का सीमेंट संयंत्र

असर पड़ा। इसकी 10 में से 7 इकाइयां विभिन्न कारणों से प्रचालन में नही हैं। कंपनी दिनांक 8.8.1996 को रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया था। विधिवत विचार के बाद बीआईएफआर ने सीसीआई को श्रम मंत्रालय के पास ऐसी गैर-प्रचालक इकाइयों को बंद करने के उनको अनुमोदन के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, बीआईएफआर के निर्देशानुसार ओए ने चालू प्रतिष्ठान आधार पर संपूर्ण रूप से सीसीआई अथवा उसकी इकाइयों को अलग अलग अथवा सामूहिक रूप से बिक्री पूरा करने हेतु एक मर्चेन्ट बैंकर नियुक्त किया है। चालू इकाइयों में वर्ष

MHIPE- Final 1.p65 31 4/16/2005, 2:06 AM

2004-05 के लिए उत्पादन 203.48 करोड़ रुपए का होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.31 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

1970 में गठित हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) कागज, गत्ता, क्राफ्ट पेपर और अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है। एचपीसी एक धारक कंपनी है और इसकी नीचे दिए गए अनुसार 2 सहायक कंपनियां और 2 प्रमुख समन्वित कागज व लुगदी मिलें हैं।

एचपीसी की सहायक कंपनियां

क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

ख) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एच.पी.सी. की कछार पेपर मिल में पल्प मिल वाशर्स

एचपीसी की इकाइयां

(i) नौगांव पेपर मिल्स (एन पी एम)

(ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी (एनपीएम और सीपीएम) का उत्पादन 585.23 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.32 नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार 5.22 प्रतिशत शेयरों की स्वामी है। वित्तीय पुनर्गठन के कारण कंपनी बीआईएफआर के दायरे से बाहर आ गयी थी, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति, आधारभूत ढांचे की कमी और बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण पुनरूद्धार योजना पर अमल न हो सकने से यह पुन: रूग्ण हो गई। संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है।

4.33 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलत: एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के निर्माण में लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। कंपनी ने 52.20 करोड़ रुपये की लागत से एक डी-इंकिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना आरंभ की है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है और वन्य संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। वर्ष 2004-05 के दौरान उत्पादन 270.51 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.34 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) की स्थापना 1960 में चलचित्र उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा बलों और फोटोग्राफरों को क्रमश: फोटोग्राफिक फिल्म, एक्स-रे फिल्म और विशेष फोटोग्राफिक सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। कंपनी के दो उत्पादन संयंत्र-मुख्य फैक्ट्री ऊटकमंड में और एक संयंत्र चेन्नई के पास अम्बातूर में हैं। एचपीएफ ने 1967 में उत्पादन आरम्भ किया। कंपनी समन्वित उत्पादन और जम्बों कन्वर्जन, दोनो का काम करती है। समन्वित उत्पादन से बनायी जाने वाली चीजों में सिने फिल्म पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म

MHIPE- Final 1.p65 32 4/16/2005, 2:06 AM

साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म, फोटोग्राफी का कागज और शौकिया फोटोग्राफी करने वालों के लिए श्वेत-श्याम फिल्मों के रॉल शामिल है। कंपनी ने एक परियोजना बनायी है, जिसके अंतर्गत पालिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्म्स का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी रूग्ण है तथा उस बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 22.68 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.35 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

वर्ष 1959 में स्थापित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) अपनी तीन इकाइयों खारागोडा (गुजरात), मंडी (हिमाचल प्रदेश) और रामनगर (उत्तर प्रदेश) में साधारण नमक और नमक से बनने वाले रसायनों का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्णावस्था में होने के कारण बीआईएफआर के विचाराधीन है। वर्ष 2004-05 के दौरान इसका उत्पादन 8.28 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.36 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपए है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और बाकी 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अंशदान किया गया है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल का नमक बनाने के साथ नमक पर आधारित रसायनों का निर्माण कर रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान इसका उत्पादन 7.59 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.37 नेपा लिमिटेड

नेपा लिमिटेड (एनईपीए) को पहले नेशनल न्यूजप्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से 1947 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बाद में अक्तूबर, 1949 में राज्य सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। 1959 में केन्द्र सरकार ने इसके ऋणों को इक्विटी में बदल कर इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस तरह यह केन्द्र सरकार का सरकारी उद्यम बन गई। कंपनी कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्णवस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा है। तथापि कंपनी की समीक्षा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में की जा रही है।

वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 50.46 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.38 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में समामेलित किया गया था। इस कंपनी की तीन प्रचालन इकाइयां इस प्रकार हैं: (1) काकीनाड़ा में टायर डिवीजन; (2) टांगड़ा में औद्योगिक रबड़ उत्पाद डिवीजन; और (3) कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में रीक्लेम्ड रबड़ इकाई। इसके द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों में मोटर वाहनों के टायर और ट्यूब, नायलॉन कन्वेयर बैल्ट, होस, वी बैल्ट और फैन बैल्ट आदि शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति के बाद कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का उत्पादन 101.71 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

MHIPE- Final 1.p65 33 4/16/2005, 2:06 AM

4.39 भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड

भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी) का गठन, 1976 में हुआ था, ताकि कंपनी चमड़े के सामान और जूतों आदि की खरीद और बिक्री जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा प्रोत्साहन और विकास संबंधी कार्य कर सके। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने सरकार की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ ले लिया है। बीएलसी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के अधीन कंपनी को बंद करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दाखिल की है।

4.40 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईपीआई) परियोजनाओं के ठेके पूरे करके देने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसका गठन 1970 में हुआ था। कंपनी का प्रचालन क्षेत्र व्यापक है और इसके दायरे में सिविल और संरचनातमक इंजीनियरी सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्म, पेट्रोरसायन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2001 में कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के बाद कंपनी में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसने लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने 26 वर्ष के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए इक्विटी पर 10% का लाभांश घोषित किया। चालू वर्ष 2004-2005 में ईपीआई ने इक्विटी पर 5% का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 562.18 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

ई.पी.आई. लि., द्वारा निर्मित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)

4.41 नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एनआईडीसी) की स्थापना सरकार ने 1954 में की थी। कंपनी सिविल इंजीनियरिंग परियोजना, औद्योगिक बस्तियों, जल आपूर्ति एवं शोधन, पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, औद्योगिक परियोजनाओं और कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास के क्षेत्र में परामर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराती रही है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रही है और अपना प्रचालन बनाए रखने में समर्थ नहीं रही है। इसलिए सरकार ने अप्रैल, 2002 में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया। बंद करने की प्रक्रिमा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रारंभ हुई। न्यायालय ने दिनांक 13.1.2005 को कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और सरकारी समापक नियुक्त किया।

MHIPE- Final 1.p65 34 4/16/2005, 2:06 AM

5

भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र

5.1 भारी विद्युत उद्योग मूलत: विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और उपयोगिता उपस्कर शामिल करता है। इनमें टर्बो जेनरेटर्स, बॉयलर, विभिन्न प्रकार के टर्बाइन, ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और अन्य संबद्ध मदें शामिल हैं। विद्युत उत्पादन उपस्कर की मांग मुख्यत: विद्युत विकास कार्यक्रमों पर निर्भर करती हैं। दसवीं और ग्यारहवी योजनावधि के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य लगभग 1,00,000 मेगावाट है अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मेगावाट की वृद्धि है। स्थापित किए जाने वाले नए विद्युत संयंत्र भारी विद्युत उपस्कर के लिए पर्याप्त मांग उत्पादित करेंगे।

ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर आदि जैसे विद्युत उपस्कर का प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कुछ मुख्य क्षेत्र जहां इनका प्रयोग किया जाता है वे परमाणु विद्युत स्टेशन सहित विद्युत उत्पादन करने वाली करोड़ों रुपए की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स, रसायन संयंत्र, एकीकृत इस्पात संयंत्र, अलौह धातु इकाइयां आदि हैं। यह उद्योग वर्तमान प्रौद्योगिकी का उन्नयन करता रहा है और यह अब निर्यात बाजारों के लिए भी टर्नकी संविदाएं लेने में सक्षम है। उद्योग को अब लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ विदेशी सहायोग की भी अनुमति हैं।

भारी विद्युत उपस्कर के लिए एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार स्थापित किया जा चुका है और उद्योग की मौजूदा संस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष थर्मल का 4500 मेगावाट, जल विद्युत का 1345 मेगावाट और गैस आधारित विद्युत उत्पादन उपस्कर का लगभग 250 मेगावाट है। भारतीय भारी विद्युत उद्योग परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित उपस्कर के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए भी सक्षम है। देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में भारतीय उद्योग का वर्तमान हिस्सा लगभग 66% है।

भारी विद्युत उद्योग 400 केवी एसी और हाईवोल्टेज डीसी तक पारेषण और वितरण में काम आने वाले उपस्कर का

MHIPE- Final 1.p65 35 4/16/2005, 2:06 AM

विनिर्माण करने में सक्षम है। उद्योग ने 765 केवी की अगली उच्चतर वोल्टेज प्रणाली में पारेषण के उन्नयन का कार्य हाथ में लिया है और 765 केवी श्रेणी के ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, सीटीएस, सीवीटी, बुशिंग और इन्सुलेटर आदि की आपूर्ति करने के लिए अपनी विनिर्माण सुविधाओं का उन्नयन किया है। इस्पात संयंत्रों, पेट्रो-रसायन काम्पलेक्सों और ऐसे ही अन्य भारी उद्योगों में काम आने वाले बड़े विद्युत उपस्कर का विनिर्माण भी देश में किया जा रहा है।

घरेलू भारी विद्युत उपस्कर के विनिर्माता उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन के संबंध में वैश्विक बाजार में हुए विकास का प्रयोग कर रहे हैं।

भारी विद्युत उद्योग के अधीन शामिल विभिन्न उत्पादों की स्थिति के बारे में एक प्रास्थिति रिपोर्ट नीचे दी गई है:-

5.2 टर्बाइन और जेनरेटर सेट

विभिन्न किस्म के टर्बाइनों, जैसे औद्योगिक टर्बाइनों सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइनों के विनिर्माण की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 7000 मेगावाट से अधिक है। सरकारी क्षेत्र की इकाई 'भेल', जिसकी स्थापित क्षमता सबसे अधिक है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी ऐसी इकाइयां हैं, जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए स्टीम और हाइड्रो टर्बाइनों का विनिर्माण कर रही हैं। 'भेल' के विनिर्माण की सीमा में 660 मेगावाट यूनिट तक के स्टीम टर्बाइन शामिल हैं और 1000 मेगावाट यूनिट आकार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके पास 260 मेगावाट (आईएसओ) तक क्षमता वाली गैस टर्बाइनों और उद्योग तथा संगठनों के अनुप्रयोग के लिए गैस टर्बाइन आधारित सह-उत्पादन और संयुक्त चक्रीय प्रणालियों के विनिर्माण

भेल द्वारा निर्मित लीबिया परियोजना (4×150 मेगावाट) के लिए टर्बो जनरेटर

की क्षमता है। समतुल्य जेनरेटरों के साथ केपलान, फ्रांसिस और पेल्टन किस्म के प्रथागत-निर्मित पारम्परिक हाइड्रो टर्बाइन भी देशी रूप से उपलब्ध हैं।

भारत में विनिर्मित एसी जेनरेटर अंतर्राष्ट्रीय एसी जेनरेटर के समान हैं, जो निष्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करते हैं। घरेलू विनिर्माता 0.5 केवीए से 25000 केवीए और उससे ऊपर विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के साथ एसी जेनरेटर के विनिर्माण में सक्षम है।

वर्ष 2003-2004 के दौरान आयात और निर्यात क्रमश: 1292.39 करोड़ रुपए और 239.28 करोड़ रुपए का है।

भेल में निर्माणाधीन स्टीम टरबाईन

5.3 बॉयलर

'भेल' देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता (60% से अधिक हिस्से सहित) है और यूटीलिटी बॉयलरों और

MHIPE- Final 1.p65 36 4/16/2005, 2:06 AM

औद्योगिक बॉयलरों के अतिरिक्त सुपर थर्मल विद्युत संयत्रों के लिए बॉयलर के विनिर्माण के लिए इसके पास क्षमता है। उद्योग के पास 1000 मेगावाट के यूनिट आकार तक सुपर क्रिटिकल पैरामीटर के साथ बॉयलर विनिर्माण की क्षमता है। घरेलू उद्योग के पास बॉयलरों की देशी आवश्यकता/मांग को पूरा करने की क्षमता है।

वर्ष 2003-04 के दौरान आयात और निर्यात क्रमश: 72.73 करोड़ रुपए और 156.06 करोड़ रुपए का है। वर्ष के दौरान निर्यात में 153% की वृद्धि हुई है।

5.4 ट्रांसफॉर्मर्स

घरेलू ट्रांसफॉर्मर उद्योग अत्याधुनिक उपस्कर प्रदान करने की क्षमता के साथ सुसज्जित है। उद्योग के पास आरईसी रेटिंग के 25/53/100 केवीए और अतिरिक्त 400 केवी, 600 एमवीए की हाईवोल्टेज रेंज सहित विद्युत और वितरण ट्रांसफॉर्मरों की संपूर्ण रेंज के विनिर्माण की क्षमता है। फर्नेस, रेक्टिफायर्स विद्युत ट्रैक्ट आदि के लिए अपेक्षित ट्रांसफॉर्मरों की विशेष किस्मों तथा सीरिज और शन रिएक्टरों और साथ ही 500 केवी तक एचबीडीसी ट्रांसमिशन का विनिर्माण भी देश में किया जा रहा है।

वर्ष 2003-2004 के दौरान निर्यात 778.33 करोड़ रुपए का रहा और इसमें 56% की वृद्धि हुई।

5.5 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

भारत में बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम से लेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड (एसएफ 6) तक सभी रेजों के सर्किट ब्रेकरों का विनिर्माण ग्राहकों के लाभ के लिए किया जाता है। उत्पादों के रेंज में 240 वोल्ट से 800 के. वोल्ट तक की समग्र वोल्टता रेंज शमिल है। स्विचगियर और कंट्रोल गियर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स (एमसीबी), एयर सर्किट ब्रेकरों, स्विचों, रीवायरबेल फ्यूजों और हाई रपचर कैपेसिटी (एचआरसी) फ्यूजों तथा उनके संबंधित फ्यूज बेस, होल्डर्स और स्टार्टर्स का विनिर्माण किया जाता है। उद्योग डिजाइन और इंजीनियरी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी है क्योंकि देश में उपलब्ध कौशल संबंधी सेट अपेक्षतया सस्ते हैं।

वर्ष 2003-2004 के दौरान 654.31 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ और इसमें 32% की वृद्धि हुई।

5.6 विद्युत भट्ठी

विद्युत भट्ठियों का प्रयोग फोर्जिंग और फाउंड्री, मशीन टूल्स, आटोमोबाइल आदि धात्विक और इंजीनियरी उद्योगों में किया जाता है। इन उत्पादों के उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता हासिल कर ली गई है। वर्ष 2003-2004 के दौरान 54.83 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ और इसमें 168% की वृद्धि हुई।

5.7 शंटिंग लोकोमोटिव

शंटिंग लोकोमोटिव का प्रयोग रेलवे, इस्पात संयंत्रों, थर्मल विद्युत संयंत्रों आदि द्वारा स्थानीय/आंतरिक परिवहन सुविधाओं के लिए किया जाता है। अन्यों के अतिरिक्त 'भेल' की झांसी इकाई ऐसे लोकोमोटिव का विनिर्माण कर रही है। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए संस्थापित क्षमता पर्याप्त है।

5.8 टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी विनिर्माता संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और सहायक उपकरणों के साथ छंटाई, रस्सी बनाने,

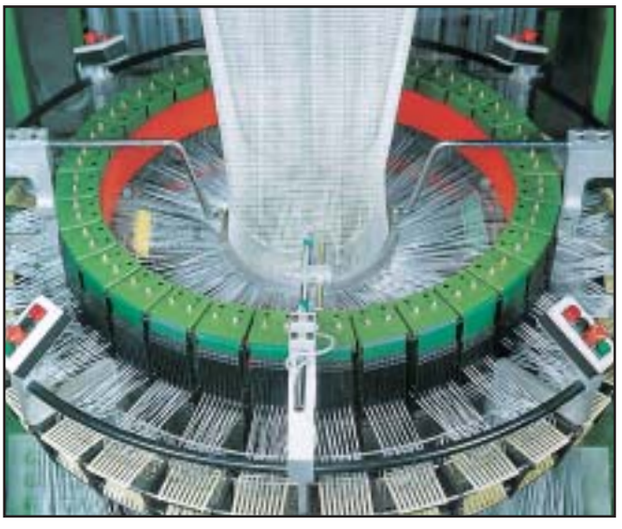

सर्कुलर वेविंग मशीन

MHIPE- Final 1.p65 37 4/16/2005, 2:06 AM

धागों/फैब्रिक्स के प्रसंस्करण और बुनाई के लिए अपेक्षित टैक्सटाइल मशीनरी का विनिर्माण कर रहे हैं। मशीनरी और अतिरिक्त पुर्जो के विनिर्माण में 600 से अधिक इकाइयां लगी हुई हैं जिनमें से लगभग 100 इकाइयां संपूर्ण मशीनरी का विनिर्माण कर रही है।

यह उद्योग बहु-फाइबर करार (एमएफए) पश्च के निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मशीनों की आपूर्ति का अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है।

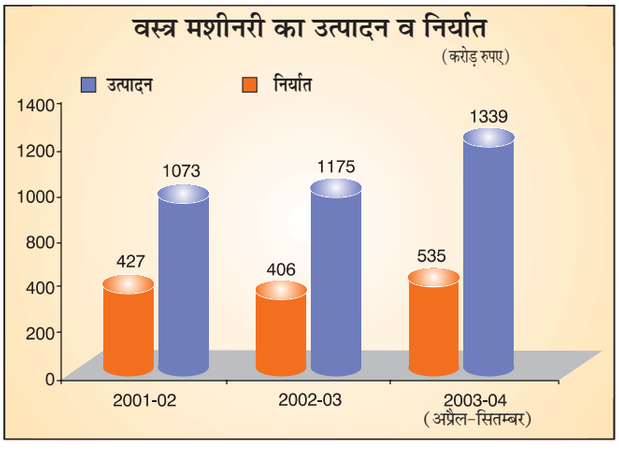

1500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और प्रति वर्ष 3600 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से उनका चालू उत्पादन तथा साथ ही निर्यात निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2001-02	1073	427
2002-03	1175	406
2003-04	1339	535

5.9 सीमेंट मशीनरी उद्योग

विनिर्माता ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि कैलसिनेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर 7500 टीपीडी क्षमता तक पूर्ण सीमेंट संयंत्रों का विनिर्माण और उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। आधुनिक सीमेंट संयंत्रों की डिजाइन यह ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय नहीं लगे, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। पूर्ण सीमेंट संयंत्र मशीनरी के निर्माण के लिए वर्तमान में संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां कार्यरत है। उद्योग सीमेंट मशीनरी की घरेलू मांग पूरी करने के लिए पूर्णत: सक्षम है। वर्तमान स्थापित क्षमता का मूल्य 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आंका गया है।

5.10 चीनी मशीनरी उद्योग

घरेलू विनिर्माता वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे 10,000 टीसीडी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक क्षमता वाले अद्यतन डिजाइन के चीनी संयंत्रों की विनिर्माण की दक्षता रखते है। उस समय संगठित क्षेत्र में पूर्ण चीनी संयंत्रों और संघटकों का विनिर्माण करने वाली 27 इकाइयां हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 200 करोड़ रुपए है।

विनिर्माता अद्यतन डिजाइन वाले संपूर्ण संयंत्र की संकल्पना से लेकर चालू करने तक डिजाइन और विनिर्माण कर सकते है।

(लाख रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
आयात	3.0	1.70	427
निर्यात	253	852	1139

5.11 रबड़ मशीनरी उद्योग

रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत 19 इकाइयां कार्यरत हैं। ये मशीनें मुख्य रूप से टायर/ट्यूब उद्योग में काम आती है। देश में विनिर्मित उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्योरिंग प्रेसिज, ट्यूब स्पिलिसर्स ब्लेडर क्योरिंग प्रेसिज, टायर, माउल्डस, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नर सर्विस, बायर्स, कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल है। उच्च गति वाले कैलेंडरिंग लाइन विशेषकर हैवी अर्थमूविंग उपस्कर के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में अंतर है।

MHIPE- Final 1.p65 38 4/16/2005, 2:06 AM

पूर्व में उद्योग ने टायर ट्यून क्यूरिंग प्रेसेज, ट्यूब स्पिलिसर्स आदि के लिए सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में निर्यात आदेश प्राप्त किए हैं।

आयात-निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
आयात	11.35	12.81	25.91
निर्यात	11.04	15.25	22.29

5.12 सामग्री प्रहस्तन उपस्कर उद्योग

विनिर्मित उपस्करों के रेंज में क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र, कोयला/अयस्क/राख प्रहस्तन संयंत्र और स्टेकर्स, रिक्लेमर्स, शिपलोडर्स/अनलोडर्स, वैगन टिप्लर्स, फीडर आदि जैसे संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, जो कोयला, सीमेंट, विद्युत, पत्तन, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की बढ़ती हुई और तेजी से परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां हैं।

संगठित क्षेत्र में इकाइयों के अतिरिक्त, सामग्री प्रहस्तत उपस्करों और उसके संघटकों का विनिर्माण कर रहे लघु उद्योग क्षेत्र में प्रचालनरत कई इकाइयां हैं। यह उद्योग घरेलू मांग की पूर्ति करने में कमोवेश आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूरी करने में सक्षम है।

आयात-निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
आयात	124.10	175.96	242.58
निर्यात	22.09	22.21	41.54

5.13 ऑयल फील्ड उपस्कर

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन किए जा रहे हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया के जारी रहते उद्योग को सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे तेल की खोज, उत्पादन, शोध और विपणन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, इसके परिणामस्वरूप ऑयल फील्ड और संबंधित उपकरणों की मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड चार्टर किराया आधार पर इनके प्रयोक्ता हैं।

घरेलू विनिर्माता तटीय खुदाई के लिए ड्रिलिंग रिग्स का विनिर्माण कर रहे हैं। अपतटीय ड्रिलिंग, जैसे जैक-अप रिग्स आदि का देश में विनिर्माण नहीं किया जाता और इनका आयात कभी-कभी तो पुरानी दशा में किया जाता है। तथापि, अपतटीय प्लेटफार्मों और अन्य प्रौद्योगिकीय ढांचों का स्थानीय तौर पर उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादकों में भेल, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक, बर्न एंड कम्पनी हैं।

आयात-निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
आयात	154.04	63.03	142.49
निर्यात	36.68	15.56	165.81

5.14 धातुकर्म मशीनरी

धातुकर्म मशीनरी में मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग, साइज रिडक्शन, इस्पात संयंत्र उपस्कर, फाऊंड्री उपस्कर और भट्ठियां शामिल हैं।

वर्तमान में संगठित क्षेत्र में धातुकर्म मशीनरी की विभिन्न किस्मों के विनिर्माण में लगी 39 इकाइयां हैं।

इन उपस्करों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में वर्तमान उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। तथापि, लौह और अलौह

MHIPE- Final 1.p65 39 4/16/2005, 2:06 AM

क्षेत्र में संयंत्रों और उपस्करों के लिए बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकीय अंतराल है, जिसके लिए घरेलू विनिर्माता आयातित जानकारी पर निर्भर है। चूंकि लौह और अलौह धातु निर्माण की प्रक्रिया उपस्कर की डिजाइन से संबद्ध है इसलिए प्रक्रिया जानकारी डिजाइनकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के बीच घनिष्ठ परस्पर संपर्क की आवश्यकता है।

देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए आवश्यक ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर संयंत्रों, कोक ओवन्स, स्टील मेल्टिंग शॉप उपस्कर, सतत कास्टिंग उपस्कर, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन जैसे अधिकतर उपस्कर उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं।

(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
आयात	191.80	244.18	495.28
निर्यात	126.60	267.96	434.23

5.15 खनन मशीनरी

प्रमुख खनन उपस्करों में लांगवाल खनन उपस्कर, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल), होलेज वाइंडर, वेंटिलेशन फैन, लोड हौल डम्पर (एलएचडी), कोल कटर, कन्वेयर्स, बैटरी लोको, पंप्स, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं।

वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में 32 विनिर्माता हैं, जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन उपस्करों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपस्कर का विनिर्माण करती हैं।

खनन उद्योग को खनन उपस्करों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसकी अधिकतर आपूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती है। अत्याधुनिक उपस्करों के मामले में महत्वपूर्ण पुर्जों का आयात किया जाता है।

(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
आयात	28.93	70.52	16.80
निर्यात	0.11	0.11	1.15

5.16 डेयरी मशीनरी उद्योग

वर्तमान में देशी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उपस्करों में स्टेनलेस स्टील डेयरी उपस्कर, इवेपेरेटर, मिल्क रेफ्रिजेरेटर और भंडारण टैंक, मिल्क और क्रीम डेओडोराइजर्स सेंट्रिफ्यूजेज, क्लेरिफायर्स, एजिटेटर्स, होमोजेनाइजर्स, स्प्रे ड्रायर्स और हीट एक्सचेंजर (ट्यूबलर और प्लेट किस्म) आदि शामिल हैं। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के अधीन निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में डेयरी मशीनरी और उपस्कर का विनिर्माण करने वाली 16 इकाइयां है। मिल्क पाउडर संयंत्रों के लिए स्प्रे ड्रायर्स, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती हैं क्योंकि अपर्याप्त पॉलिश के परिणामस्वरूप किसी भी माइक्रोसेरेविस के बचे रहने से बैक्टीरिया को सांस लेने या प्रजनन का आधार मिल सकता है।

लघु उद्योग क्षेत्र भी डेयरी उद्योग के लिए संरचित उपस्करों के देशी उत्पादन में योगदान दे रहा है। सेल्फ-क्लिनिंग क्रीम-सेपरेटर, ऐसेप्टिक प्रोसेसिंग सिस्टम आदि जैसे प्रहस्तन उपस्करों के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल मौजूद है। दही (योगार्ट) और परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए आवश्यक संयंत्र उपस्कर से संबद्ध प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में भी कमी पाई गई।

(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
आयात	5.35	7.29	18.15
निर्यात	2.78	4.44	10.54

MHIPE- Final 1.p65 40 4/16/2005, 2:06 AM

5.17 मशीन टूल्स उद्योग

मशीन टूल उद्योग, जो संपूर्ण औद्योगिक इंजीनियरी क्षेत्र का मेरुदंड है; आज यहां तक कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को सामान्य प्रयोजन और मानक मशीन टूल का निर्यात करने की स्थिति में है। पछले चार दशकों के दौरान भारत में मशीन टूल उद्योग ने सुदढ़ आधार स्थापित किया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 125 मशीन टूल विनिर्माता और लघु सहायक उद्योग क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां भी हैं।

यद्पि भारतीय मशीन टूल विनिर्माता गुणवत्ता और प्रिसीजन के रूप मेंअंतर्राष्ट्रीय मानकों के सामान्य प्रयोजन मशीनों का उत्पादन करते हैं तथापि, उनमें उच्च प्रिसीजन वाले सीएनसी मशीनों का उत्पादन करने के लिए डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। कुछ कंपनियों ने सीएनसी मशीनों का विनिर्माण प्रारंभ किया हैं, तथापि, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का उन्नयन करने की आवश्यकता है। यहां तक कि सीएमटीआई बंगलौर विभिन्न मशीन टूल के उत्पाद सुधार की डिजाइन और इंजीनियरी में संलग्न है।

भारतीय मशीन टूल्स गुणवत्ता/प्रिसीजन और विश्वसनीयता के अंतराष्ट्रीय मानकों के साथ विनिर्मित किए जाते हैं।

एच.एम.टी (मशीन टूल्स) लि. द्वारा निर्मित सीएनसी मशीनिंग सेन्टर

अधिकांश बड़े विनिर्माता कम्प्यूटरीकृत संख्यांकित नियंत्रित मशीन टूल्स विकसित कर चुके हैं। आधुनिक मशीन टूल्स के इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी लाने के लिए कई सहयोग भी अनुमोदित किए गए हैं और उद्योग अब पारम्परिक तथा साथ ही एनसी/सीएनसी हाईटेक मशीन टूल्स का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर अधिक उपयुक्त डिजाइन किए गए मशीन टूल्स के लिए अनुसंधान करता रहा है। यह क्षेत्र लाइसेंसयुक्त है और आयात की भी अनुमति दी जाती है। विशेष प्रयोजन मशीनों और सीएनसी की कुछ श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकी की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात को प्रोत्साहित किया जाता है।

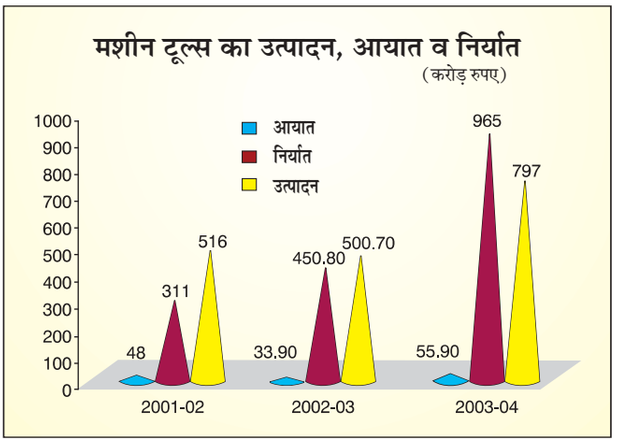

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए मशीन टूल्स विनिर्माता संघ द्वारा प्रस्तुत उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04
उत्पादन	516.00	500.70	797.00
आयात	311.00	450.80	965.00
निर्यात	48.00	33.90	55.00

MHIPE- Final 1.p65 41 4/16/2005, 2:06 AM

6 आटोमोटिव उद्योग

6 आटोमोटिव उद्योग का पर्यावलोकन

6.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर ऑटो उद्योग महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। अर्थव्यवस्था के कई भागों के साथ इसके गहरे अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के कारण आटोमोटिव उद्योग का एक सुदृढ़ गुणक प्रभाव है और यह आर्थिक विकास का चालक बनने में सक्षम है। देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुविकसित भारतीय आटोमोटिव उद्योग व्यापक किस्म के वाहनों: यात्री कार, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, तिपहिए, ट्रैक्टर आदि जैसे बहु-उपयोगी वाहनों का उत्पादन करके उस उत्प्रेरक भूमिका को समर्थतापूर्वक पूरा करता है।

6.2 यद्यपि भारत में आटोमोटिव उद्योग लगभग छ: दशकों पुराना है फिर भी वर्ष 1982 तक मोटर कार के क्षेत्र में केवल 3 विनिर्माता-मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स, मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स और मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर्स थे। कम मात्रा होने के कारण यह लगातार पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाता रहा और विश्व उद्योग की तुलना से बाहर था। वर्ष 1982 में मारूति उद्योग लिमिटेड को तत्कालीन माडलों का भारी मात्रा में उत्पादन स्थापित करने के लिए जापान की सुजुकी के साथ सहयोग से सरकार द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1993 में लाइसेंस हटाए जाने के बाद 17 नए उद्यम स्थापित किए गए, जिनमें से 16 कार-विनिर्माता हैं। इस समय 12 यात्री कार विनिर्माता, 5 एमयूवी विनिर्माता, 9 वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता, दुपहिए के 12, तिपहिए के 4 और इंजनों के 5 विनिर्माता के अतिरिक्त 14 ट्रैक्टर विनिर्माता हैं।

6.3 आटोमोबाइल और आटो संघटक क्षेत्र वाले इस उद्योग ने लाइसेंसीकरण समाप्त होने और इस क्षेत्र को वर्ष 1993 में

MHIPE- Final 1.p65 42 4/16/2005, 2:06 AM

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए मुक्त कर देने से अत्यधिक उन्नति दर्शाई है। उद्योग का 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का निवेश है। वर्ष 2003-04 के दौरान आटोमोटिव क्षेत्र का कुल कारोबार लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का था। यह उद्योग 4.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और 1 करोड़ के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है। आटोमोटिव उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 1992-93 में 2.77% से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 4% हो गया है।

6.4 आटोमोटिव उद्योग

6.4.1 संस्थापित क्षमता

आटोमोटिव विनिर्माताओं ने वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 95 लाख से अधिक की सुदृढ़ विनिर्माण क्षमता प्रदर्शित की है। आज भारत विश्व में दुपहिए का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता, वाणिज्यिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता है और विश्व में ट्रैक्टरों का सर्वाधिक विनिर्माण करता है। देश आज एशिया में यात्री कार का चौथा सबसे बड़ा बाजार प्रदान करता है। दो दशक पूर्व वाहनों के कुछेक माडलों वाले आपूर्तिकर्ता चालित बाजार के पास ग्राहकों के विकल्पों के अनुरूप अब 150 मॉडल हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान आटोमोबाइल क्षेत्र की संस्थापित क्षमता निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	खण्ड	संस्थापित क्षमता (संख्याओं में)
1.	चार पहिए वाले	1,590,000
2.	दुपहिए और तिपहिए	7,950,000
3.	**कुल योग**	**9,540,000**

6.4.2 उत्पादन:

भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक आटोमोटिव उद्योग पिछले दो दशकों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखता रहा है। वर्ष 1991 में लाइसेंसीकरण के समापन, स्वत: अनुमोदन की अनुमति देने और पिछले वर्षों में क्षेत्र के क्रमिक उदारीकरण ने इस उद्योग का चहुंमुखी विकास किया है। एक ओर उद्योग को प्रतिबंधात्मक वातावरण से मुक्त करने ने इसे पुनर्गठित होने, नई प्रौद्योगिकियां अपनाने, वैश्विक विकास के अनुरूप होने तथा अपनी क्षमता प्राप्त करने में सहायता की है और दूसरी ओर अपने देश में समग्र औद्योगिक विकास में उद्योग के अंशदान में भी वृद्धि की है। समग्र आटोमोबाइल क्षेत्र ने वर्ष 2003-2004 में 15.12% की वृद्धि प्राप्त की। वर्ष 2004-2005 (अप्रैल-सितम्बर, 2004 तक) के दौरान उद्योग ने 15.06% की वृद्धि दर दर्ज की है। वर्ष 2003-2004 और 2004-05 (अप्रैल-सितम्बर, 2004 तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(संख्या में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	इकाइयों की संख्या	उत्पादन 2003-04	उत्पादन 2004-05 (अप्रैल-सितम्बर, 2004)
1.	वाणिज्यिक वाहन	9	275224	156815
2.	कार	12	842437	465983
3.	बहु-उपयोगी वाहन	5	146103	114739
4.	दुपहिए	12	5624950	3023805
5.	तिपहिए	4	340729	177554
	योग	**42**	7229443	3938896

MHIPE- Final 1.p65 43 4/16/2005, 2:06 AM

6.4.3 निर्यात

भारत का आटोमोटिव उद्योग अब संपूर्ण विश्व में वृद्धिकारी मान्यता प्राप्त कर रहा हैं और वाहनों तथा साथ ही संघटकों के निर्यात में शुरूआत की गई है। संघटक उद्योग के साथ आटोमोबाइल उद्योग देश के निर्यात प्रयास में भी योगदान कर रहा है। वर्ष 2002-2003 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग के निर्यात ने 65.35% की वृद्धि दर दर्ज की जबकि यह वर्ष 2003-2004 में 55.98% थी। वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 (अप्रैल-सितम्बर, 2004 तक) के दौरान निर्यातों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

(संख्या में)

क्रम सं.	निर्यात	2003-04	2004-05 (अप्रैल-सितम्बर, 2004)
1.	वाणिज्यिक वाहन	17227	12575
2.	यात्री कार	126249	76076
3.	बहु-उपयोगी वाहन	3067	2164
4.	दुपहिए	264669	170978
5.	तिपहिए	68138	37901
	योग	**479350**	**299704**

6.5 सरकार के वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपाय

सरकार ने वर्ष 1992 से उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1996 में और सख्त बनाया गया, को अधिसूचित करके प्रदूषण और सुरक्षा जांच प्रारंभ की। भारत चरण-I (यूरो-I के समतुल्य) उत्सर्जन मानदंड देश भर में लागू किया जा चुका है और भारत अप्रैल, 2005 तक देश भर में भारत चरण-II (यूरो-II के समतुल्य) मानदंड लागू करने के लिए कटिबद्ध है। भारत चरण-II मानदंड चार महानगरों में लागू हो चुके हैं। अप्रैल, 2005 से 7 महानगर भारत चरण-III (यूरो-III के समतुल्य) मानदंड अपनाने जा रहे हैं। नवीन उत्सर्जन मानदंडों की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय आटोमोबाइल उद्योग नए निवेश और प्रौद्योगिकीय जानकारियां अपना चुका है। उच्चतर सुरक्षा और उत्सर्जन मानक प्रणाली देश में उत्पादित और आयातित उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए पर्याप्त अवसंरचना की अपेक्षा करती है। देश में मौजूदा परीक्षण अवसंरचना आटोमोटिव उद्योग की भावी और उभरती हुई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सीमित और बिल्कुल अपर्याप्त है। इसलिए देश में परीक्षण अवसंरचना स्थापित और उसका उन्नयन करने की आवश्यकता है। सरकार ने उद्योग के घनिष्ठ सहायोग और समन्वय से मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन और देश में नई परीक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं।

ट्रैक्टरों में सभी शीट मेटल कम्पोनेंट के संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए ए.आर.ए.आई. पूणे में परीक्षण

MHIPE- Final 1.p65 44 4/16/2005, 2:06 AM

6.6 आटो संघटक उद्योग

6.6.1 नब्बे के दशक से आटोमोबाइल उद्योग में उछाल से देश में आटो संघटक क्षेत्र का सुदृढ़ विकास हुआ है। उभरते हुए परिदृष्य का प्रत्युत्तर देते हुए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म और निम्न मात्राओं की बहुलता के बावजूद वृद्धि, गति, नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने और लचीलेपन के रूप में हाल के वर्षों में भारतीय आटो संघटक क्षेत्र ने अत्यधिक उन्नति दर्शाई है। भारत के उचित रूप से मूल्यनिर्धारित कुशल कार्यबल, देश द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राप्त सुदृढ़ता के साथ प्रौद्योगिकी कामगारों की बड़ी संख्या ने संघटक उद्योग में महत्वपूर्ण विकास का वातावरण तैयार किया हैं। भारतीय आटो संघटक क्षेत्र को सॉफटवेयर क्षेत्र के बाद ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है, जिसमें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता है। लगभग 36,300 करोड़ रुपए (2004-2005 अनन्तिम) के कुल कारोबार और वाहन विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी मुख्य संघटकों का विनिर्माण करते हुए भारतीय आटो संघटक उद्योग आटोमोटिव उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1980 के दशक में अनुपालन की गई चरणबद्ध विनिर्माण नीति (पीएमपी) ने संघटक उद्योग को नई प्रौद्योगिकियां, नए उत्पाद और अपने प्रचालनों में गुणवत्ता का अधिक उच्च स्तर शामिल करने में समर्थ बनाया, जिसने संघटक आधार का तीव्र और प्रभावी स्थानीकरण किया। वर्षों से भारतीय आटो संघटक उद्योग ने देश के आटोमोटिव उद्योग की वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाई है।

भारतीय आटो संघटक क्षेत्र में आज 420 मुख्य संगठन है जो इस क्षेत्र के उत्पादन के 85% से अधिक का योगदान करते हैं। वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान आटो संघटक क्षेत्र की महत्वपूर्ण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

संकेतक	2002-03	2003-04
निवेश	12,500 करोड़ रु.	13,400 करोड़ रु.
उत्पादन	24,500 करोड़ रु.	30,640 करोड़ रु.
निर्यात	3,800 करोड़ रु.	4,550 करोड़ रु.
रोजगार	5,00,000 व्यक्ति	5,00,000 व्यक्ति

भारतीय आटो संघटक उद्योग ने जापान, कोरिया, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप के वाहन विनिर्माताओं के आगमन से प्रमुख वृद्धि देखी है। इन ओईएम की प्रौद्योगिकीय रूपरेखा में विविधताओं के कारण यह क्षेत्र आज बड़ी मात्रा में संघटकों का उत्पादन करता है। आज, भारत एशिया में एक मुख्य आटो संघटक केंद्र के रूप में उभर रहा है और उसके निकट भविष्य में वैश्विक आटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रत्याशा है।

6.6.2 उत्पादन

भारतीय आटो संघटक उद्योग (व्यावहारिक रूप से सभी संघटकों का उत्पादन कर रहे संगठित क्षेत्र में 420 से अधिक फर्में और स्तरीकृत रूप में लघु असंगठित क्षेत्र में 10,000 से अधिक फर्में) व्यापक है। और नामिनल रूप में 1995-98 के बीच 28% से वृद्धि करते हुए आटोमोटिव उद्योग की तीव्रतम वृद्धिकारी खण्ड है। वर्ष 2003-04 के दौरान क्षेत्र ने 30,640 करोड़ रुपए तक का उत्पादन दर्ज करते हुए 25.06% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2004-2005 के दौरान आटो संघटक उद्योग का उत्पादन लगभग 36,300 करोड़ रुपए का होना प्रत्याशित है।

6.6.3 निर्यात

वर्ष 2003-2004 में संघटक का निर्यात 1 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर चुका है। तथापि यह इस समय अनुमानित लगभग 1.2 खरब अमरीकी डालर के वैश्विक संघटक व्यापार का लगभग केवल 0.8% प्रदर्शित करता है। यह आगे आने वाले महत्वपूर्ण अवसरों का द्योतक है। कई निर्यात इकाइयां 5 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) से कम अस्वीकृति दर तक पहुंच गई हैं, जिनमे

MHIPE- Final 1.p65 45 4/16/2005, 2:06 AM

से कई ने शून्य पीपीएम प्राप्त कर लिया है। निर्यात के मोर्चे पर आटो संघटक उद्योग ने वर्ष 2003-04 में 29% की वृद्धि दर्ज की है। जिसका वर्ष 2004-05 में लगभग 30% होना प्रत्याशित है। वर्ष 2002-03 के दौरान 3497 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान कुल निर्यात 4550 करोड़ रुपए का था।

6.7 कृषि मशीनरी

कृषि मशीनरी में मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी तथा उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर का प्रभुत्व है।

6.8 कृषि ट्रैक्टर

वर्तमान में 16-20 के निम्न अश्वशक्ति से 50 और उससे अधिक के उच्चतर अश्वशक्ति वाले व्यापक रेंज के कृषि ट्रैक्टरों का विनिर्माण कर रही संगठित क्षेत्र में 14 इकाइयां हैं। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग का कुल निवेश 4500 करोड़ रुपए से अधिक है यह उद्योग प्रत्यक्षत: 25,000 लोगों को और अप्रत्यक्षत: 1,00,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

6.8.1 वर्ष 2003-04 में ट्रैक्टर उद्योग का कार्यनिष्पादन

इस उद्योग ने कुल 880 इकाइयों के उत्पादन से वर्ष 1961 में शुरूआत की। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में ट्रैक्टरों की उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई हैं और वर्ष 1999-2000 में उत्पादन 2,66,385 के स्तर तक पहुँच गया है। ट्रैक्टर उद्योग, जिसने वर्ष 1999-2000 के बीच 8% के सीएजीआर पर वृद्धि की, ने मुख्यत: कुछ राज्यों में अपर्याप्त वर्षों में तेज गिरावट दर्शाई। तथापि, उद्योग उत्पाद शुल्क में कमी और क्षेत्र के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार से चालू वर्ष में प्रगति करता हुआ प्रतीत होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	संख्या
1994-95	1,62,900
1995-96	1,91,149
1996-97	2,21,743
1997-98	2,56,258
1998-99	2,53,850
1999-00	2,66,385
2000-01	2,34,575
2001-02	2,15,000
2002-03	1,66,889
2003-04	1,90,687

31-40 अश्वशक्ति के रेंज में ट्रैक्टरों का उत्पादन कुल उत्पादन का लगभग 60%, 41 अश्वशक्ति और उससे अधिक अश्वशक्ति के रेंज में 23% है। 30 अश्वशक्ति से कम वाली श्रेणी में 17% है।

6.8.2 प्रौद्योगिकीय क्षमता

यद्यपि ट्रैक्टर उद्योग ने संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया आदि के विख्यात विनिर्माताओं से प्रौद्योगिकी आयात करके उत्पादन प्रारंभ किया था फिर भी पिछले वर्ष प्रौद्योगिकी को पूर्णत: आत्मसात कर लिया गया है। कुछ ट्रैक्टर विनिर्माताओं ने उच्च अश्वशक्ति श्रेणी के ट्रैक्टरों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातित संघटकों के साथ 75 अश्वशक्ति के उच्चतर अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन प्रारंभ किया है।

6.8.3 बाजार

परम्परागत रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ट्रैक्टर बाजार के लिए मुख्य राज्य हैं। मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्य में ट्रैक्टरों के नए बाजार तेजी से विकसित हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार कुल ट्रैक्टरों का 84% देश के दस मुख्य राज्यों में संकेंद्रित है।

MHIPE- Final 1.p65 46 4/16/2005, 2:06 AM

6.9 मिट्टी हटाने तथा भवन निर्माण मशीनरी

6.9.1 मिट्टी हटाने के उपकरण तथा निर्माण मशीनरी उद्योग हमारे देश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग कोयला तथा खनिज खनन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पत्तनों, इस्पात, उर्वरक आदि जैसे मुख्य विकास और अवसंरचनात्मक योजनाओं से निकट रूप से संबद्ध है। ऐसी मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी पहले उपलब्ध नहीं थी। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि कोमत्सु, केटरपिलर, पोक्लेन, ड्रेसर, डेमग और हिताची जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात विनिर्माताओं से उसके विकास के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की अनुमति दी जाए। इस समय विनिर्माण किए जा रहे मिट्टी हटाने के उपकरणों में 10 घन मीटर तक क्षमता वाले शोवेल्स, 770 अश्वशक्ति तक के बुल्डोजर, 120 अश्वशक्ति तक के डम्पर, 8.5 घनमीटर क्षमता के एक्सावेटरर्स, 280 अश्वशक्ति तक के स्क्रेपर तथा मोटर ग्रेडर्स तथा वाकिंग ड्रेगलाइन्स, चल क्रेन आदि शामिल हैं। भवन निर्माण उपस्कर, मुख्यत: सड़क निर्माण उपकरण जैसे ग्रेडर्स, लोडर्स, एक्सकेवेटर, वाइब्रेटरी, कंपैक्टरर्स, हॉट मिक्स प्लांट आदि का देश में ही विनिर्माण किया जा रहा है। ये मशीने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, कोयला और लौह अयस्क खनन, सीमेंट के लिए चूना पत्थर की खुदाई, भूमि के विशाल क्षेत्र के विकास और पुनरूद्धार, सड़क निर्माण, नहरें बनाने, औद्योगिक कार्यस्थल तैयार करने और देश के विकास कार्यकलापों के सभी पहलुओं के विकास को गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। ये मशीनें श्रमिकों पर निर्भरता भी कम करती हैं और निर्माण कार्य में स्वचालन प्रदान करती हैं।

6.9.2 मिट्टी हटाने और निर्माण की मशीनरी का देश में उत्पादन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। आज कुल मिलाकर इन मदों के संबंध में देश पूर्णत: आत्मनिर्भर है। वास्तव में पिछले दशक के दौरान उद्योग ने अत्यधिक प्रगति की है और इसके आधार और विविधता दोनों में वृद्धि हुई है। मिट्टी हटाने और निर्माण उपस्कर उद्योग में उपलब्ध क्षमता लगभग 6000 अदद हैं। भारत में अनेक मध्यम आकार की इकाइयों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में 60 से अधिक उपस्कर विनिर्माता हैं। इस उद्योग पर प्रत्येक उत्पाद खण्ड में कुछ बड़े विनिर्माताओं का प्रभुत्व है। बीईएमएल कुल बाजार के लगभग आधे की आपूर्ति करता है। बीईएमएल और कैटरपिलर डम्पर और डोजर्स में जबकि एल एंड टी, कोमात्सु और टेलीकॉन खुदाई उपकरणों में और एस्कार्टस जेसीबी बेकहो लोडर्स में अग्रणी हैं। सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास पर बल और प्राथमिकता दिए जाने से उद्योग के इस समूह के निकट भविष्य में विकसित होने की प्रत्याशा है।

MHIPE- Final 1.p65 47 4/16/2005, 2:06 AM

7 प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

7.1 किसी भी उद्यम के लिए बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने और बने रहने के लिए सतत जागरूक और तीव्र बल देते हुए अनुसंधान एवं विकास प्रयास करना एक अनिवार्य शर्त है। उद्योग क्षेत्र में विनियंत्रण लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हमारे दरवाजे पर पहुंच गई है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी का विश्व मानकों के अनुरूप उन्नयन करना आवश्यक हो गया है। प्रयोक्ता क्षेत्र की परिवर्तनशील मांग प्रौद्योगिकियों के चयन और उत्पादों की शुरूआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वास्तविकताओं को देखते हुए, भारतीय उद्योग जोकि पिछले चार दशक से सुरक्षा प्राप्त कर रहा था, इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। इस विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों ने भी तकनीकी और व्यावसायिक गठबंधनों तथा शुद्धत: अनुसंधान एवं विकास निविष्टियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन क्षेत्रों में देश को विशिष्ट लाभ प्राप्त हैं, वहां पर देश के लिए ब्रांड छवि विकसित करने के लिए उन क्षेत्रों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में विभाग द्वारा आरंभ किए गए कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:-

7.1.1 एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीसीसी) परियोजना

हाल में वातावरण में एसपीएम और ग्रीनहाऊस गैसो के वर्धित उत्पादन ने प्राधिकारियों तथा प्रशासकों को भी चिंतित कर दिया है। इसका परिणाम अनुसंधान और विकास संबंधी पहलों के माध्यम से उत्पादन की और अधिक सक्षम विधियों और ऊर्जा के उपयोग पर वर्धित बल हुआ। भारी उद्योग विभाग ने विद्युत मंत्रालय के समन्वय और 'भेल' तथा एनटीपीसी जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की घनिष्ठ भागीदारी से एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीसीसी) परियोजना का समर्थन कर रहा है। आईजीसीसी संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र है जिसमें कोयले (अथवा तेल शोधनशाला अवशिष्ट जैसे कोई अन्य कार्बनिक ईंधन; यथा पैट कोक, विसब्रेकर तारकोल आदि) के गैसीकरण द्वारा गैस टर्बाइन के लिए ईंधन गैस उत्पादित

MHIPE- Final 1.p65 48 4/16/2005, 2:06 AM

की जाती है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया-जिसका निर्णय मुख्यत: उपलब्ध कोयले की किस्म और उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए गैस टर्बाइन के साथ उसके क्षमता एकीकरण द्वारा किया जाता है, का चयन आईजीसीसी संयंत्र की उच्चतर समग्र क्षमता प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

'भेल' ने अधिक राख की मात्रा वाले स्थानीय कोयले के लिए उपयुक्त एक प्रौद्योगिकी विकसित करने में पहले ही कुछ सफलता प्राप्त कर ली है और इस परियोजना के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की क्षमता सुधारने और प्रदूषण कम करने के अतिरिक्त ''अधिक राख'' वाले भारतीय कोयले का बेहतर उपयोग होगा।

7.1.2 आटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसरंचना

भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण और उसके परिणामस्वरूप माल और यात्रियों की आवाजाही की आवश्यकताओं के कारण हाल के वर्षों में वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके साथ-साथ उत्सर्जन और सुरक्षा संबंधी सांविधिक विनियमों के लागू होने से वाहनों का स्वतंत्र एवं व्यापक परीक्षण आवश्यक हो गया है तथा उनके प्रमुख कल-पुर्जों तथा छोटे कल-पुर्जों का देश में विनिर्माण और आयात किया जा रहा है। छोटी कारों के विनिर्माता के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के तौर पर स्थापित करने की घोषित नीति के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुरूपता लाने के लिए तथा आटो क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन के लिए परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना स्थापित करने को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

7.2 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसंधान एवं विकास

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

7.2.1 भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड (भेल) - अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

वर्ष 2003-04 के दौरान 'भेल' ने आंतरिक अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यिीकरण द्वारा 591 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया/ नए उत्पाद/प्रणाली विकास विश्वसनीयता/गुणवत्ता/लागत और आयात प्रतिस्थापन के रूप में उत्पाद सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर 104.74 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया था।

कंपनी की मुख्य अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- विद्युत और प्रक्रिया संयंत्रों की प्रचालनात्मक क्षमता सुधारने और विद्युत संयंत्र प्रचालकों के लिए प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करने हेतु समर्पित ''सिमुलेटर के लिए उत्कृष्टता केंद्र'' स्थापित किया। यह सिमुलेटर पर आपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान करना सुविधाजनक बनाता है। यह हाई-एंड वर्कस्टेशन, अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और विशाल फॉर्मेट प्लाज्मा डिसप्ले जैसे अत्याधुनिक हार्डवेयर से सज्जित है।
- विद्युत अंतरण क्षमता बढ़ाने और दो समानान्तर 33 केवी पारेषण लाइनों के बीच प्रणाली स्थिरता सुधारने के लिए 'भेल' ने भारत में पहली बार थाइरिस्टर नियंत्रित स्टेटिक टैप चेंजर के साथ एक 2 एमवीए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (पीएसटी) विकसित किया है। यह विकास फ्लैक्सिबल एसी पारेषण (फैक्ट्स) उपकरणों को क्षेत्र में एक अभिनव परिवर्तन हैं और इसने पारेषण क्षेत्र में 'भेल' को प्रौद्योगिकीय अग्रता प्रदान की है।
- एपी ट्रांसको के आर.सी. पुरम, हैदराबाद सब-स्टेशन में 145 केवी गैस विसंवाहित स्विचगियर (जीआईएस)

MHIPE- Final 1.p65 49 4/16/2005, 2:06 AM

को सफलतापूर्वक विकसित किया गया तथा उसका परीक्षण किया गया है। जीआईएस स्थान संरक्षित करने और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पारम्परिक यार्ड सब-स्टेशन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं।

- 700 अश्वशक्ति डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए तीन-फेज वाली एसी ड्राइव प्रणाली के लिए इलेक्ट्रिक्स विकसित किया। संपूर्ण प्रणाली का भोपाल स्थित सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रेलवे अपनी उच्चतर क्षमता, कठिन और अनुरक्षण की घटी हुई आवश्यकता के कारण धीरे-धीरे तीन फेज वाले एसी ड्राइव में अंतरित हो रहा है।
- बॉयलर फर्नेस में विभिन्न ईंधनों की ज्वाला का पता लगाने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित फ्लेम स्केनर (एमसीएफएस) विकसित किया। एमसीएफएस विश्वसनीय रूप से एकल ऑप्टिक सेंसर से तेल और कोयले की ज्वाला का पता लगा सकता है और उनमें विभेद कर सकता है। एमसीएफएस पारम्परिक प्रणाली की तुलना में अल्प मॉड्यूल वाली एक सुसंबद्ध प्रणाली है। एमसीएफएस मेट्टूर ताप विद्युत स्टेशन में संस्थापित किया गया है, जहां यह अगस्त, 2003 से प्रचालनरत है।
- मनेरीभाली चरण II (4X76 मेगावाट) जल विद्युत संयंत्र के लिए टर्बाइन के सभी डूबे हुए पुर्जो पर उच्च गति ऑक्सी ईंधन (एचवीओएफ) विलेपन का देश में विकास किया गया। हाइट्रो टर्बाइन के पुर्जो पर (एचवीओएफ) का विलोपन गाद संक्षारण का सामना करने में सहायता करता है।
- 6 मे.वा., 6.6 कि.वा. और 1500 आरपीएम क्षमता के भारत के सबसे बड़े वर्टिकल एसी मोटर को देश में पहली बार रूपांकित तथा विकसित किया गया।
- 4X200 मेगावाट पर्वती एचईपी के लिए 789 मीटर के शीर्ष से छः जेट पेल्टन हाइड्रोटर्बाइन का मॉडल विकसित किया और उसका परीक्षण किया गया। यह मॉडल हाइड्रो प्रयोगशाला भोपाल में डिजाइन, संरचित और परीक्षित किया गया। परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि प्राप्त भारांशित औसत क्षमता वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रतिस्पर्धी है।
- सिम्हादि एसटीपीपी में भारत में अपने किस्म का पहला पैकेज कार्यनिष्पादन विश्लेषण, निदान और इष्टतमीकरण (पीएडीओ) चालू किया। यह न्यूनतम ईंधन खपत से इष्टतम उत्पादन, फॉल्ट का सामयिक निदान, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड जैसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन पैरामीटरों को नियंत्रित करना सुविधाजनक बनाता है, जिसमे संयंत्र की उपलब्धता और कार्यनिष्पादन में सुधार होता है। ''पीएडीओ'' प्रणाली में मुख्यतः बॉयलर कार्यनिष्पादन इष्टतमीकरण प्रणाली (बीपीओएस), कार्यनिष्पादन विश्लेषण, अनुवीक्षण और इष्टतमीकरण, सिमुलेटर प्रणाली और कार्यनिष्पादन निदान, जल रसायनशास्त्र और बॉयलर स्ट्रेस एनेलाइलजर शामिल होता है।
- चरण दाब वृद्धि और क्षमता को प्रचालन की सीमा को प्रभावित किए बिना बढ़ाने के लिए उर्वरक और प्रक्रिया उद्योगों में प्रयुक्त कंप्रेसर के एफ-टाइप इम्पेलर्स के लिए निम्न घनत्व वेन्ड डिफ्यूजर (एलएसडी) की डिजाइन बनाई गई और उसका विकास किया गया। संशोधित इम्पेलर स्टेज के साथ एक प्रोटोटाइप का विशेष रूप से डिजाइन किए गए परीक्षण रिग में विनिर्माण और परीक्षण किया गया तथा कार्यनिष्पादन की तुलना पारम्परिक स्टेज से की गई। परिणामों ने प्रचालन की सीमा को बनाए रखते हुए स्टेज दाब अनुपात तथा साथ ही पोलीट्रॉपिक क्षमता दोनों में 2-3% की वृद्धि दर्शाई जिससे कंप्रेसर के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ। परियोजना के परिणामों

MHIPE- Final 1.p65 50 4/16/2005, 2:06 AM

का प्रयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए उत्पाद के डिजाइन सुधार में किया जा रहा है।

- आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से स्टीम टर्बाइन के जर्नल बेयरिंग दशा अनुवीक्षण के लिए एक ध्वनिक उत्सर्जन तकनीक विकसित की गई। जर्नल बेयरिंग की क्षति में योगदान देने वाले मुख्य कारक मेटल वाइप और बेयरिंग का झुकाव है। कम्पन अथवा तापक्रम मापन जैसे पारम्परिक तकनीके जो संकटपूर्ण होने के बाद ही क्षति का पता लगा सकती है, के पूर्व जितना शीघ्र हो दोष का पता लगाना ही उद्देश्य था। सामान्य चालन और घर्षण दशा तथा परीक्षण बेयरिंग में पोषित स्नेहक तेल में संदूषण की स्थिति में ध्वनिक उत्सर्जन मापन का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक कार्य किया गया था। प्रगति पावर कारपोरेशन, दिल्ली में 120 मेगावाट के टर्बाइन के सभी बेयरिंग पर ध्वनिक उत्सर्जन मापन किया गया था। प्रायोगिक परिणामों ने स्पष्टतया घर्षण दोष और खिसकने वाले बेयरिंग में संदूषक तत्वों के प्रभाव का पता लगाने में ध्वनिक उत्सर्जन की क्षमता दर्शाई है।

- दाबकृत द्रवीकृत अस्तर वाले गैसिफायर के साथ 6.2 मेगावाट संयुक्त चक्र प्रदर्शन संयंत्र (सीसीडीपी) का नए बॉल वाल्व, ताप सह्य मृतिका ईंट के अस्तर, उच्चतर क्षमता के वायु कंप्रेसर आदि से उन्नयन किया गया था। हाल के चालन में, गैसीकरण प्रचालन अलग-अलग प्रयुक्त निम्न और उच्च राख वाले कोयले के साथ दिनांक 20.7.2004 से 25.7.2004 तक किया गया था। यह प्रचालन गुणवत्तापूर्ण ईंधन गैस के उत्पादन और कठिनाई मुक्त राख निष्कर्षण से सुगम रहा था। गैसीकरण के दौरान अस्तर का तापक्रम समरूप रहा था। प्रचालन की कुल अवधि 96 घंटे थी, जिसमें से 28 घंटे निम्न राख वाले कोयले और 18 घंटे उच्च राख वाले कोयले से हुई थी। इस चालन ने संयंत्र के सतत प्रचालन पर विश्वास का स्तर बढ़ाया है।

भेल द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्रों के सिमुलेटरों के लिए उत्कृष्ट अत्याधुनिक केन्द्र

- प्रतिघात, वाइडिंग हानि और बड़े विद्युत ट्रांसफॉर्मरों की वाइडिंग से उत्पादित कुल रिसाव फ्लक्स का परिकलन करने ''योक'' और ''वाल'' शंट्स के आयामीकरण के लिए एक कम्प्यूटर प्रोग्राम विकसित किया गया है। इस समय इन शंटों की डिजाइन ट्रांसफॉर्मर की दी गई रेटिंग और आकार के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर तैयार की जाती है। विकसित कार्यक्रम का प्रयोग कई मौजूदा डिजाइनों (200 एमवीए जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर और 315 एमवीए ऑटो ट्रांसफॉर्मर) के लिए किया गया था और शंट आयामों का इष्टतमीकरण किया गया था, जिसके परिणाम पतले शंट और ट्रांसफॉर्मर के समग्र वजन में कमी हुआ था।

- सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) प्रणाली: 'भेल' द्वारा विकसित एससीआर कैटेलिस्ट मोनेलिथ्स का परीक्षण ईंधन मूल्यांकन परीक्षण सुविधा (एफईटीएफ) में किया गया था। परीक्षण के परिणामों ने 90% से अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड की कमी प्रदर्शित की। परीक्षण ने एफईटीएफ के स्थिरीकृत परीक्षण प्रचालन की पूर्ण 8 घंटे की अवधि में 'भेल' के आंतरिक रूप से विकसित केटेलिस्ट और प्रणाली का बहुत प्रोत्साहजनक प्रारंभिक कार्यनिष्पादन दर्शाया। रायचूड़ विद्युत संयंत्र की 210 मेगावाट यूनिट में एक एससीआर प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना प्रारंभ की गई है।

MHIPE- Final 1.p65 51 4/16/2005, 2:06 AM

वर्ष 2004-2005 के अंत तक 'भेल' द्वारा पूरा किए जाने के लिए संभावित मुख्य अनुसंधान एवं विकास/ प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

- पायलट स्तर पर एक कार्यस्थल सहित विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वेब के माध्यम से कार्यस्थल के मुद्दों/समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ नेटवर्क स्थापित करना।
- 8 मेगावाट प्रदर्शन संवेग स्टीम टर्बाइन का विकास।
- 100 मेगावाट आईजीसीसी प्रदर्शन संयंत्र के लिए डिजाइन, वैधीकरण और बुनियादी इंजीनियरी को बढ़ावा देना।
- 765 केवी, 500 एमवीए सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर की संकल्पनात्मक डिजाइन।
- विसंवाहित नोजल और स्प्रिंग प्रचालित कार्यतंत्र के साथ 145 केवी जीसीबी का विकास।
- एफबीसी बॉयलर ट्यूबों के संक्षारण नियंत्रण के लिए दोहरे वायर आर्क स्प्रे तकनीक और विलेपन का विकास।
- 60 मेगावाट (ई) बिलिंग बेड फ्लूडाईज़्ड बायलर के डिजाइन का विकास।
- 50 मेगावाट वायु प्रशीतित जेनेरेटर के डिजाइन का विकास।
- ब्रॉड गेज एसी ईएमयू के लिए 1550 केवीए मॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मर का विकास।
- 3000 अश्वशक्ति वाले डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए कम्प्यूटर आधारित कंट्रोल का विकास।

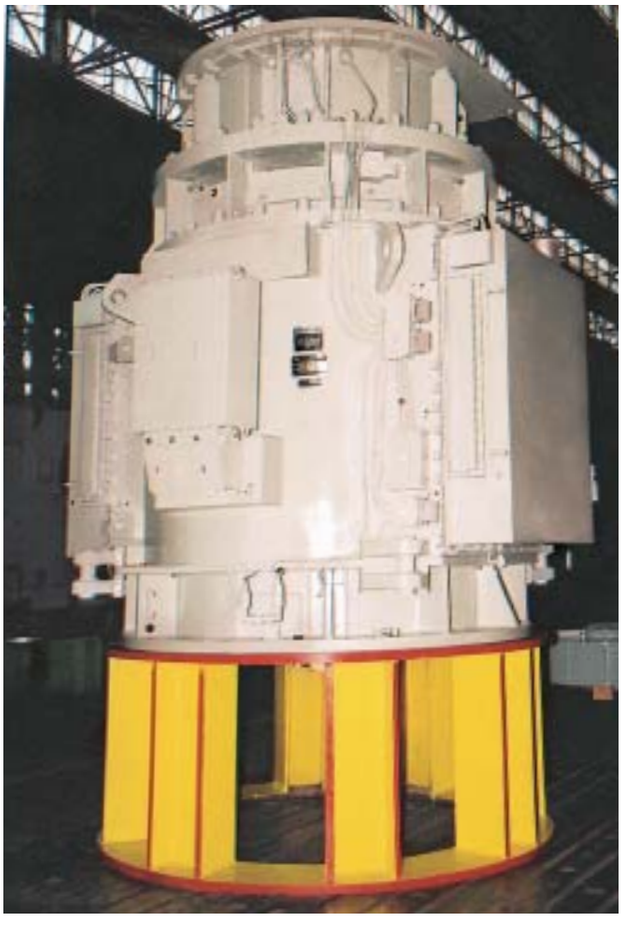

भेल द्वारा उत्पादित विशालतम क्षमता (6 मे.वा., 1500 आर.पी.एम, 6.6 किलोवोल्ट) वर्टिकल मोटर

7.2.2 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी में प्रगामी रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा साथ ही विशेषताओं, सुरूचिपूर्णता और मूल्य में प्रतिस्पर्धी अग्रता बनाने रखने पर ध्यानकेंद्रण के साथ विभिन्न उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्येक विनिर्माण इकाई में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया हैं। अनुसंधान एवं विकास कंपनी का ग्राहक की बेहतर सेवा करने के प्रयास में और उसकी उत्पादकता आवयकताओं के समतुल्य उत्पाद प्रदान करने के लिए ध्यानकेंद्रण का क्षेत्र रहा है। उत्पाद प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में ग्राहक की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में प्रत्येक सहायक कंपनी में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप संकेंद्रित हैं। अतिरिक्त विशेषताओं, डिजाइन इष्टतमीकरण और सुरूचिपूर्णता में सुधार के साथ मौजूदा उत्पादों का उन्नयन ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्र हैं। इस दृष्टिकोण से कई नए उत्पाद तथा मौजूदा उत्पादों का उन्नयन भी हुआ है। एचएमटी के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में किए गए योजनाबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(क) ट्रैक्टर:

- टर्बोचार्ज के साथ 52 अश्वशक्ति 4902 जेनसेट का विकास।
- बेहतर सुरूचिपूर्णता और एर्गोनॉमिक्स के लिए मौजूदा उत्पादों का संशोधन।

MHIPE- Final 1.p65 52 4/16/2005, 2:06 AM

- विदेशी सहयोग के माध्यम से 60 अश्वशक्ति से अधिक वाले उच्चतर अश्वशक्ति सीमा के ट्रैक्टरों का विकास।
- उच्चतर अश्वशक्ति की सीमा वाले ट्रैक्टरों के लिए उपयुक्त मिट्टी हटाने के उपस्कर का विकास
- मैसर्स टीवीएल, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से एक परिवहन ट्रैक्टर ''ट्रैंक्टर'' का विकास।

एच.एम.टी.लि. द्वारा निर्मित वातानुकुलित ट्रैक्टर ''एच.एम.टी. 6522 चांदी''

(ख) मशीन टूलः

- 6 एक्सेज टर्निंग सेंटर-एमसीईएलएल 200
- सीएनसी टर्न मिल सेंटर-प्रेसिटर्न
- सीएनसी टर्निंग सेंटर-स्टेलियन 100एस
- डाई और मोल्ड मशीनिंग सेंटर-वीएमसी 4एच
- होरीजेंटल मैचिंग सेंटर-एचएसएम 400
- सीएनसी ग्राहडिंग सेंटर-जीसी 175
- सीएनसी सर्फेस ग्राइंडर-एसएसजी 1
- प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन-पी 1180
- 4 स्पिंडल वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन
- सीएनसी वर्म ग्राइडिंग मशीन टीएच 160/1000
- सीएनसी रोटरी सर्फेस ग्राइन्डर आरएसजी 500

(ग) घड़ियां

- घड़ियों के 34 नए मॉडल बाजार में निर्गत किए गए।

(घ) बेयरिंग्स

मौजूदा रेंज में सुधार करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए बेयरिंग्स के विकास पर ही अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप केंद्रित रहे।

- रक्षा अनुप्रयोग के लिए मैसर्स हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर
- फार्म टूल अनुप्रयोग के लिए मैसर्स एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद
- ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए मैसर्स टाटा मोटर्स, पुणे
- लडाकू विमान के अनुप्रयोग के लिए मैसर्स सीवीआरडीई, चेन्नई।

7.2.3 इंस्ट्रूमेंटेंशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके)

कंपनी ने उत्पादों में और सुधार करने और आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिए भी वर्धित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों और इंजीनियरिंग दक्षता के विकास के माध्यम से तकनीकी दक्षता विकसित की है, आईएल ने विशेष सोलोनॉयड वाल्व और फ्लो नोजल विकसित किया है जिसका ब्यापक प्रयोग नाभिकीय विद्युत निगम के नरोरा, आरएपीपी और एमएपीपी यूनिटों द्वारा किया गया है।

पलक्कड़ यूनिट ने बेलो सील्ड वाल्व का विकास किया है, जो नाभिकीय विद्युत अनुप्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण अवयव हैं। यूनिट ने डीजीटीडी से आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त किया।

7.2.4 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं का मुख्य बल मौजूदा उत्पादों का निरंतर उन्नयन करने पर है ताकि वे घरेलू बाजार के अनुरूप हो सके तथा साथ ही निर्यात बाजार में अवसर भी प्राप्त कर सकें। उनके कार्य

MHIPE- Final 1.p65 53 4/16/2005, 2:06 AM

में नए उत्पादों का विकास, उत्पाद विस्तार और प्रोटोटाइप विकास एवं वाणिज्यीकरण द्वारा अनुपालन किए जाने वाले उपरी रेंज के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र को पुन: वैधीकरण शामिल है। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास ढांचे को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता दी गई है। कंपनी की विभिन्न यूनिटों द्वारा किए गए कुछ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

(क) स्विचगियर यूनिट ने नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए 12 केवी, 40 केए आंतरिक वेक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल, 6.6 केवी, 400 ए वेक्यूम कंटेक्टर पैनल, 33 केवी 1600 ए पोर्सलीन आच्छादित वेक्यूम सर्किट ब्रेकर का विकास किया है।

(ख) ब्रेंटर्ड यूनिट ने ड्राई टाइप 315 केवीए और 11 केवी/33वी ड्राइ टाइप ट्रांसफॉर्मर विकसित किया है।

(ग) टोगाभी यूनिट ने निम्नलिखित विकसित किया है;

(i) बी 21 वी 1 के साथ 12 केवी लैच टाइप सेक्शनेलाइजर स्विच

(ii) सीजीएल VI के साथ 12 केवी 400 ए 20 केए वेक्यूम कैप स्विच तथा साथ ही 100 ए और 150 ए सिंगल पोल डी.सी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर

(iii) बंगलादेश को निर्यात करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोल पैनल के साथ ऑयल फील्ड ऑटो रिक्लोजर के लिए विकास प्रक्रिया चल रही है।

(घ) ट्रांसफॉर्मर और स्विचगियर यूनिट ने एसएफ 6 के साथ रिंग मेन यूनिट और 12 केवी 630 ए, 25 केए, 95 केवी वेक्यूम सर्किट ब्रेकर भी विकसित किया है।

7.2.5 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

कुछ क्षेत्र जहां एचएनएल द्वारा अनुसंधान कार्य किए गए थे, निम्नानुसार है:

(क) लेखन और मुद्रण कागज के विनिर्माण के लिए अपारम्परिक कच्ची सामग्रियों का प्रयोग

(ख) न्यूजप्रिंट फर्निशेज में स्याही मुक्त पल्प की मात्रा का इष्टतमीकरण।

(ग) रीड्स की सुदृढ़ता और ऑप्टिकल गुणों पर सीजनिंग का प्रभाव।

7.2.6 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)

कंपनी में अनुसंधान एवं विकास का प्राथमिक संकेंद्रण कृषि डेयरी उत्पाद अनुप्रयोगों, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और प्रणालियों, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। कंपनी के अन्य कई विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास प्रभाग कंपनी की उत्पाद लाइन के विविधीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है।

विकास कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

(क) कृषि-डेयरी उत्पाद/अनुप्रयोग

(i) इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर का ऑटोईएमटी (मोटरयुक्त रूपान्तरण) विकसित किया गया है और यह वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में है। 5 यूनिटों का परीक्षण उत्पादन दुग्ध सहकारी समितियों में क्षेत्र परीक्षण के लिए किया गया है।

(ii) स्मार्ट कार्ड आधारित ''डीपीएमसीएस'' विकसित किया गया है और वह परीक्षण उत्पादन चरण में है।

(iii) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीवी) की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार डिजीटल इंडिकेटर का उन्नयन किया गया है और मूविंग डिस्प्ले के साथ एक डिजीटल इंडिकेटर विकसित किया गया है।

(iv) कंपनी के ईएमटी और अन्य कई उत्पादों के लिए यूएसवी (यूनिवर्सल सीरियल बस) पोर्ट विकसित किया गया है। यूएसबी पोर्ट कई उपकरणों से साथ-साथ संप्रेषण समर्थ बनाता हैं।

(v) नए रूपान्तरण का मापन पीसीबी विकसित किया गया है और उसे ऑटोईएमटी में सम्मिलित किया गया हैं।

MHIPE- Final 1.p65 54 4/16/2005, 2:06 AM

(ख) सौर फोटोवोल्टिक्स

(i) सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के नए अनुप्रयोग के विकास की प्रक्रिया में 250 वाट का डीओटी चार्ज कंट्रोलर विकसित किया गया है।

(ii) सौर विद्युत संयंत्र अनुप्रयोग के लिए 1 केवीए इन्वर्टर विकसित किया गया हैं और वह भीलवाड़ा समाहर्तालय (राजस्थान) में प्रचालनाधीन है।

(iii) भिन्न-भिन्न क्षमता के सौर जेनरेटर भी उपभोक्ता अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए हैं।

(ग) औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स

(vi) सौर विद्युत स्टेशनों के लिए स्मार्ट प्रि-पेड मीटर के विकास हेतु अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। उत्पाद विकसित किया गया है। और बॉक्स डाई विकास चल रहा हैं। प्रोटोटाइप मीटर रीडर भी विकसित किया गया है।

(vii) कंपनी विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की आवश्यकता के अनुसार प्रि-पेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर और स्मार्ट कार्ड आधारित एनर्जी मीटर विकसित कर रही है।

(viii) स्मार्ट अटेंडेस प्रणाली का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किया गया है और नए क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग की खोज की जा रही है।

(ix) आईएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन टैग्स) परियोजना में विभिन टैग की पहचान के लिए रीडर विकसित किए गए हैं। उत्पाद वाणिज्यीकरण के लिए तैयार है। उत्पाद की बाजार क्षमता की खोज की जा रही है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

(x) लाइनक्स आधारित ''सोसायटी लेखाकरण और प्रबंधन प्रणाली'' विकसित की गई है और क्षेत्र परीक्षण चल रहा है।

राजस्थान के दूर-दराज के गांव में आर.ई.आई.एल द्वारा स्थापित एस.पी.वी. समुदाय टेलीविज़न प्रणाली

(xi) स्मार्ट अटेंडेस कार्ड प्रणाली और स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकसित किए गए हैं।

7.2.7 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

(i) एलपीजी प्रचालित विक्रम 600 जी विकसित किया और उत्पादन प्रारंभ किया गया।

(ii) इलेक्ट्रिक तिपहिए का 3-सीट वाले ऑटोरिक्शा का रूपान्तरण चल रहा है।

(iii) एसआईएल तिपहिए के सभी मौजूदा मॉडल का अप्रैल, 2005 से केंद्रीय मोटर वाहन विनियम (सीएमवीआर) के मानदंडों को पूरा करने के लिए उन्नयन किया जा रहा है।

7.3 नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

7.3.1 विगत में नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पांच राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। वे हैं: द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी (सीईटी), सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीआईआई) और वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई)। और इनमें से केवल एफसीआरआई इस विभाग के

MHIPE- Final 1.p65 55 4/16/2005, 2:06 AM

प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है जबकि शेष चार 'भेल' के नियंत्रणाधीन हैं।

7.3.2 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालघाट

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) को प्रवाह नियंत्रण/परिशुद्धता के साथ मापन में संदर्भ/मानकीकरण का ढांचा विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जोकि द्रव प्रवाह के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक इंजीनियरी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है। यह सभी प्रकार के प्रवाह उत्पादों के लिए परीक्षण और अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसने अनेक संगठनों को संदर्भ/प्रमुख उपकरणों का राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंशांकन और आईएसओं-9000 पद्धति अपेक्षाओं में निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान कर आईएसओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता की है। भारत में पेट्रोलियम कंपनियों को परीक्षण कराने के लिए 20 बार एचपी तक वायु प्रवाह अंशांकन और परीक्षण सुविधा पहले ही स्थापित कर चुका है।

7.3.3 सेरेमिक टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर

चीनी मिट्टी पर अनुसंधान के लिए सेरेमिक टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर की स्थापना का उद्देश्य भारतीय चीनी मिट्टी उद्योग को टेक्नोलॉजी के आधुनिकरण और परिष्कृत किस्म के उत्पादों के विकास में मदद देना है। उद्योग के लिए आवश्यक कई उत्पादों का विकास किया गया है और उनमें से कुछ का व्यावसायिक उपयोग किया जाने लगा है। इस क्षेत्र में परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं इस संस्थान द्वारा उद्योग को प्रदान की जा रही है।

7.3.4 सेंटर फार इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेशन, भोपाल

विद्युत परिवहन टेक्नोलाजी के विकास के लिए इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 1988 में मंजूरी दी गई। केन्द्र की क्षमताओं का विकास किया गया है और यहां बिजली से चलने वाले तमाम वाहनों के डिजाइन संबंधी सभी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण कर उनकी कार्यक्षमता, विश्वसनीयता तथा दक्षता में सुधार किया जाता है। केन्द्र में ऐसी सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें सभी परिस्थितियों में वाहनों की कार्यक्षमता का कम्प्यूटरों के जरिये और वास्तविक तौर पर परीक्षण संभव हो सकेगा।

7.3.5 प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मुख्य एजेंसी की भूमिका सौंप कर की है। एफसीआरआई ने आर्थिक विकास के अवांछित दुष्परिणामों से बचने के लिए हवा, पानी आवास और ठोस अपशिष्ट से संबंधित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलाजी का विकास किया है। संस्थान विभिन्न उद्योगों और ताप बिजली घरों को नियमित रूप से सेवाएं उपलब्ध कराता है।

7.3.6 वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरूचिरापल्ली

वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान देश में अपनी तरह का पहला है। इसकी स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के वित्तपोषण तथा तकनीकी सहायता से की गयी थी। संस्थान में अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाएं, जैसे इलेक्ट्रान और लेजर बीम, फ्लेशबट, घर्षण और प्लाज्मा वैल्डिंग के अलावा परम्परागत आर्क वेल्डिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यहां फेटींग टैस्टिंग रेजीड्यूअल स्ट्रेम मेजरमेंट, रेजीड्यूअल लाइफ ऐसटीमेशन आदि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट आईएसआरओ, भारतीय रेलवे, रक्षा और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सेवा प्रदान करता रहा है।

MHIPE- Final 1.p65 56 4/16/2005, 2:06 AM

8 अल्पसंख्यकों का कल्याण

8.1 इस विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम अल्पसंख्यकों के कल्याण के संवर्धन के लिए इस विषय पर सरकार के निर्देशों के अनुरूप अपने दायित्वों के प्रति अत्यधिक सजग हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का साधारणतया इस विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुपालन किया गया है।

8.2 इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष है और निदेशक के स्तर के एक संपर्क अधिकारी को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है। यह कक्ष सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आरक्षण रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यबल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल होते हैं। कार्यबल की मुख्य धारा में उनका एकीकरण सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूरा हैं और उनकी जाति, वर्ग अथवा धार्मिक मतों के कारण उनमें कोई विभेद नहीं किया जाता है। रिहायशी आवास जैसी सुविधाओं के रूप में सभी कर्मचारियों को समान माना जाता है।

8.3 हर वर्ष ''कौमी एकता/सद्भावना दिवस'' आयोजित किया जाता है; जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।

MHIPE- Final 2.p65 57 4/16/2005, 2:07 AM

9 महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

9.1 विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित लिंग समानता और न्याय के सिद्धांत के प्रति जागरूक हैं।

9.2 कामकाजी महिलाओं की लिंग समानता के अधिकार के आरक्षण और उसे लागू करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए इस विभाग में एक शिकायत समिति मौजूद है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की जानकारी इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को दे दी गई है। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 29 मई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों को विस्तृत दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए हैं।

9.3 विभाग का यह देखना सतत प्रयास है कि किसी भी कारण महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं किया जाए। महिला कर्मचारियों को सभी कार्य और कार्यकलापों में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठकों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण आदि जैसे विभाग के सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.4 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार, जेंडर बजटिंग से संबंधित मामले की देख-रेख करने के लिए विभाग में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

MHIPE- Final 2.p65 58 4/16/2005, 2:07 AM

10 सतर्कता

10.1 सतर्कता कार्यकलाप किसी संगठन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग के कर्मचारियों तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों को बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए विभाग में संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता सतर्कता अनुभाग के साथ एक निदेशक और अवर सचिव द्वारा की जाती है।

10.2 सतर्कता अनुभाग के कार्य के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा साथ ही भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना;
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में एसीसी अनुमोदन की अपेक्षा वाले पीएमईबी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता संबंधी स्वीकृति जारी करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
- वित्तीय अनियमितता तथा कार्यविधिक, अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।

10.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी बल देता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय किए जाते हैं और जहां भी अपेक्षा हो उनपर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

10.4 सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।

10.5 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग तथा इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रस्तुति का अनुवीक्षण करता है।

MHIPE- Final 2.p65 59 4/16/2005, 2:07 AM

11 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

11.1 विभाग में राजभाषा अनुभाग विभाग में हिन्दी के प्रयोग के संवर्धन के लिए उपाय करता है। विभाग के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रहे थे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठकें की और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का सुझाव दिया।

11.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसंदीय राजभाषा समिति ने भारत हैवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड और हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड कोलकाता के कार्यालयों का निरीक्षण किया और हिंदी की प्रगति से संतुष्टि व्यक्त की। विभाग के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान हिंदी के प्रयोग में प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए कुछ उद्यमों का निरीक्षण किया और इस प्रकार भ्रमण किए गए इन उद्यमों के अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया गया।

11.3 सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियों और परिपत्रों तथा संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए संसद प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्टें, (बजट निष्पादन), सामान्य आदेश और कागजात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2004 से 30 सितम्बर, 2004 तक **''हिंदी पखवाड़ा''** आयोजित किया गया था, जिसके दौरान टिप्पण/प्रारूपण, अंग्रेजी से हिंदी और विलोमत: अनुवाद, कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण आदि सहित कई प्रतियोगिताएं संचालित की गई। विभाग के अधिकारियों ने इन गतिविधियों में भाग लिया और गहरी दिलचस्पी दर्शाई। विजेता उम्मीदवारों को नकद पुरस्कार दिए गए। हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण में प्रशिक्षण देने तथा साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए तिमाही रिपोर्ट का प्रोफार्मा

MHIPE- Final 2.p65 60 4/16/2005, 2:07 AM

सही तरीके से भरने के लिए विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों की जानकारी भी दी गई।

11.4 वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संवर्धन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे:

(i) राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु) नियम, 1976 के नियम 10(4), जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार को उन कार्यालयों को अधिसूचित करना होता है, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीगण ने हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तदनुसार विभाग ने भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार) की एक यूनिट और क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली तथा भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का पता लगाया और अधिसूचित किया है।

(ii) ''**आज का शब्द**'' के माध्यम से हिंदी सीखने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

11.5 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र प्रयास करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में ''**हिन्दी पखवाड़ा**''/''**हिन्दी सप्ताह**'' बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

MHIPE- Final 2.p65 61 4/16/2005, 2:07 AM

MHIPE- Final 2.p65

4/16/2005, 2:07 AM

अनुबंध - I

भारी उद्योग विभाग का संगठन

दिनांक 1.02.2005 की स्थिति के अनुसार

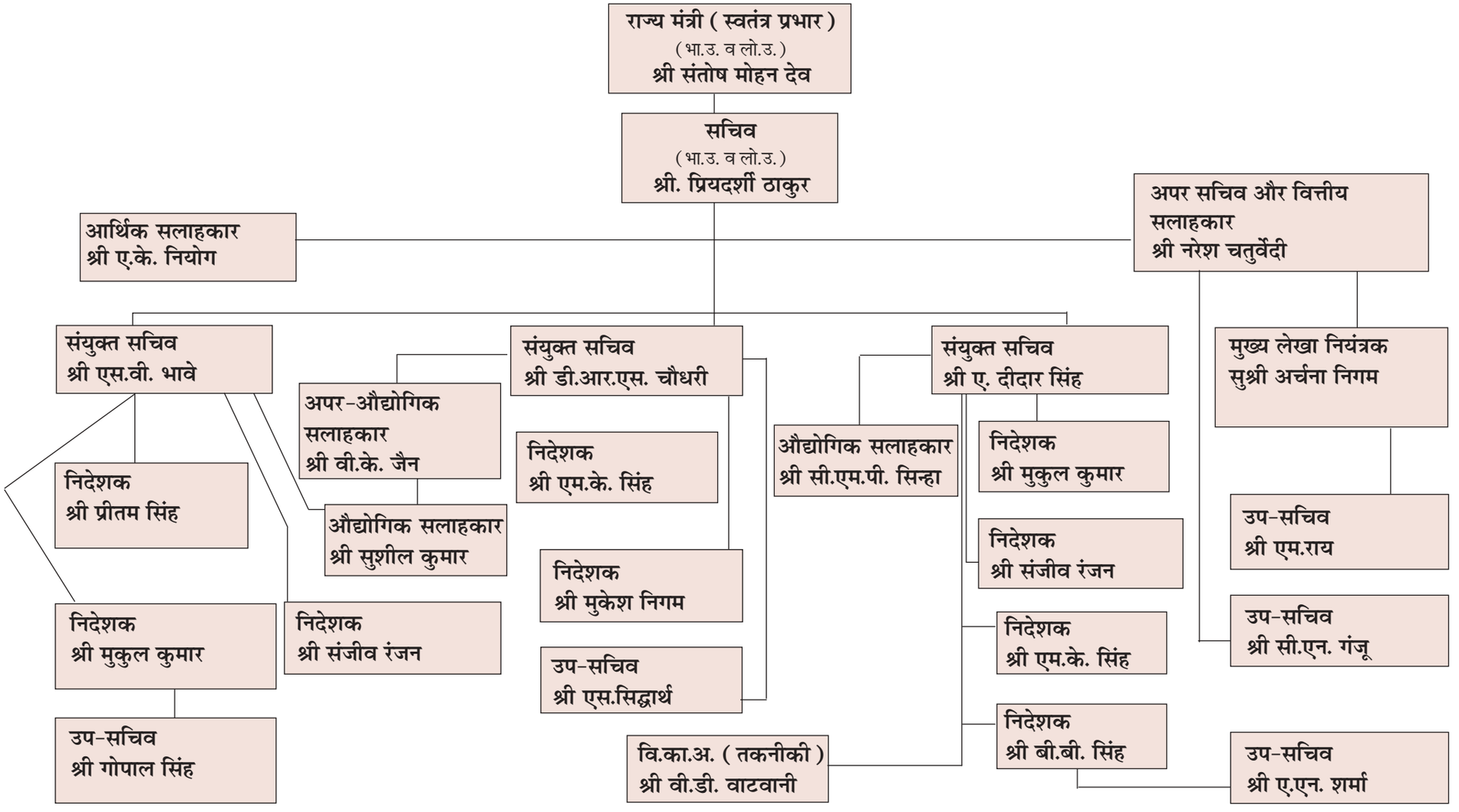

अनुबंध - II

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सामान्य सूचना

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (ए वाई एंड कं.), कोलकाता	1979	194.62
2	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), कोलकाता	1987	7.14
3	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल), नई दिल्ली	1956	3568.00
4	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) विशाखापटनम	1966	78.05
5	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) इलाहाबाद	1970	38.24
6	भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), पटना	1978	16.71
7	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), कोलकाता	1976	40.84
8	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, (बीएंडआर) कोलकाता	1972	99.83
9	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), कोलकाता	1976	134.56
10	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	643.33
11	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	16.64
12	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, (एचईसी) रांची	1958	313.19
13	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	525.42
14	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), कोट्टायम	1983	349.94
15	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	780.11

MHIPE- Final 3.p65 63 4/16/2005, 2:08 AM

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक
16	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	720.63
17	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	4.22
18	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड हैदराबाद	1981	28.78
19	एचएमटी (चिनार वाचेज) लिमिटेड, जम्मू	2000	10.46
20	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), बंगलौर	1953	113.49
21	एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड, बंगलौर	2000	211.72
22	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर	2000	188.02
23	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बंगलौर	1974	22.45
24	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	1.66
25	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	66.52
26	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	1958	114.44
27	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), सिकंदराबाद	1959	36.54
28	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड (आरईआइएल), जयपुर	1981	8.27
29	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड (आरएंडसी), मुम्बई	1972	34.41
30	सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	1964	6.74
31	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल), लखनऊ	1972	50.00
32	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	20.14

MHIPE- Final 3.p65 64 4/16/2005, 2:08 AM

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक
33	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल), होसपेट	1967	21.71
34	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	1984	123.50
	कुल		**8590.32**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, एमएएमसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) है।

MHIPE- Final 3.p65 65 4/16/2005, 2:08 AM

अनुबंध - III

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार अनु. जाति/अनु. जनजाति सहित भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नियोजन की स्थिति

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्यां		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु. ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी	227	117	15841	16185	962	4548	8066
2	बी एंड आर	458	532	411	1401	169	5	36
3	बीबीजे	40	9	44	93	7	1	–
4	भेल	9831	7225	26896	43952	7724	1640	2748
5	बीएचपीवी	393	181	1150	1724	301	118	303
6	बीपीसीएल	227	51	979	1257	204	2	402
7	ब्रेथवेट	48	29	495	572	56	1	–
8	बीएससीएल	124	164	1348	1636	169	16	287
9	बीडब्ल्यू ईएल	45	44	900	989	88	2	303
10	सीसीआई	188	206	1213	1607	198	129	201
11	ईपीआईएल	361	91	17	469	77	13	22
12	एचसीएल	467	474	2271	3212	849	235	132
13	एचईसी	643	607	2487	3737	310	667	819
14	एचएमटी (बेयरिंग्स)	56	54	273	383	46	–	147
15	एचएमटी (चिनार वाचेज)	19	106	535	660	53	4	–
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	297	176	2095	2568	559	108	47
17	एचएमटी (आई)	43	27	11	81	12	3	1
18	एचएमटी (एमटी)	1035	540	3139	4714	822	217	789
19	एचएमटी (वाचेज)	206	241	1779	2226	395	99	203
20	एचएनएल	191	85	849	1125	78	4	209

MHIPE- Final 3.p65 66 4/16/2005, 2:08 AM

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्यां		
	नाम	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु. ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	हुगली प्रिंटिंग	8	8	50	66	1	–	–
22	एचपीसी	604	217	2137	2958	275	234	49
23	एचपीएफ	95	70	929	1094	179	56	509
24	एचएसएल	11	34	98	143	21	7	31
25	आईएल	242	735	820	1797	294	83	282
26	नेपा	129	–	1354	1483	108	23	79
27	पीटीएल	94	11	455	560	98	13	123
28	आर एंड सी	27	12	36	75	6	–	10
29	आरईआईएल	50	42	99	191	37	4	36
30	एसआईएल	239	81	1491	1811	308	2	474
31	एसएसएल	8	28	109	145	39	10	36
32	टीसीआईएल	35	44	275	354	15	3	–
33	टीएसएल	84	63	271	418	54	–	138
34	टीएसपी	55	34	329	418	86	9	108
		16580	**12338**	**71186**	**100104**	**14600**	**8256**	**16590**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर–विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) है।

MHIPE- Final 3.p65 67 4/16/2005, 2:08 AM

अनुबंध - IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादन कार्यनिष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (पूर्वअनुमानित)	2005-2006 (निधारित लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	112.45	106.55	96.62	109.55	95.07
2	बीएण्डआर	344.21	364.24	403.75	455.00	475.00
3	बीबीजे	36.47	46.60	26.58	38.00	42.00
4	भेल	7287.00	7482.00	8662.00	9450.00	10500.00
5	बीएचपीवी	223.17	177.55	47.39	87.00	87.00
6	बीपीसीएल	66.42	66.00	47.26	62.00	85.00
7	बेथवेट	75.20	75.07	66.37	115.91	145.25
8	बीएससीएल	118.79	208.35	176.92	210.07	273.44
9	बीडब्ल्यूईएल	74.54	40.47	12.55	51.43	106.00
10	सीसीआई	131.45	122.00	132.73	203.48	234.32
11	ईपीआईएल	390.53	358.71	462.69	562.18	612.57
12	एचसीएल	579.08	403.46	107.82	10.00	10.00
13	एचईसी	162.10	141.82	151.34	185.00	284.36
14	एचएमटी (चिनार)	41.69	18.41	23.60	30.00	32.00
15	एचएमटी (बेयरिंग)	2.11	6.15	1.97	2.50	3.50
16	एचएमटी (धारक)	217.68	141.45	129.35	235.38	328.45
17	एचएमटी (आई)	58.69	43.92	32.90	37.00	70.30
18	एचएमटी (एमटी)	227.76	197.07	177.95	265.00	300.00
19	एचएमटी (वाचेंज)	79.06	44.49	25.64	40.00	62.50
20	एचएनएल	242.24	204.05	250.99	270.51	274.97
21	हुगली प्रिंटिंग	7.11	11.64	8.39	10.00	12.00

MHIPE- Final 3.p65 68 4/16/2005, 2:08 AM

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (पूर्वअनुमानित)	2005-2006 (निधारित लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
22	एचपीसी	521.73	565.08	581.91	585.23	610.52
23	एचपीएफ	42.40	30.32	34.76	22.68	18.21
24	एचएसएल	5.52	6.19	5.63	8.28	10.45
25	आईएल	107.85	131.53	153.25	170.00	200.00
26	नेपा	99.97	32.04	39.03	50.46	59.40
27	पीटीएल	3.98	6.29	8.12	22.58	25.50
28	आरएण्डसी	53.69	47.47	89.58	21.56	26.87
29	आरईआईएल	35.45	44.00	42.13	41.60	48.00
30	एसआईएल	124.65	134.50	148.62	138.66	152.43
31	एसएसएल	6.09	6.22	5.25	7.59	8.80
32	टीसीआईएल	61.36	128.22	144.32	101.71	152.99
33	टीएसएल	24.58	5.16	1.22	1.50	1.75
34	टीएसपी	15.03	10.84	7.47	10.00	15.00
	कुल	**11580.05**	**11408.27**	**12305.84**	**13611.86**	**15363.65**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) है।

MHIPE- Final 3.p65 69 4/16/2005, 2:08 AM

अनुबंध - V

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का (कर-पूर्व) लाभ(+)/हानि (-) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (पूर्वानुमानित)	2005-2006 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क) लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम						
1	बीएण्डआर	3.61	3.85	3.07	-12.00	-10.00
2	भेल	663.00	803.00	1015.00	1089.00	1247.00
3	ईपीआई	9.44	3.01	29.66	10.00	12.00
4	एचएमटी (आई)	0.54	0.34	0.13	0.18	1.06
5	एचएनएल	6.45	-7.55	8.22	10.57	10.94
6	हुगली प्रिंटिंग	0.41	1.72	1.16	1.20	2.10
7	एचपीसी	63.75	40.60	59.69	50.71	56.13
8	आरईआईएल	0.60	3.55	2.88	1.10	3.30
9	एसआईएल	2.26	2.65	3.16	2.10	2.40
	उप-योग (क) लाभ कमा रही कंपनियां	**750.06**	**851.17**	**1122.97**	**1152.86**	**1324.93**
(ख)	**हानि में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम**					
10	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी	-39.42	-60.54	-54.63	-57.86	-52.47
11	बीबीजे	0.62	-4.39	-24.30	-7.90	-7.53
12	बीएचपीवी	1.72	-187.63	-158.81	-35.00	-35.00
13	बीपीसीएल	-12.46	-12.92	-24.75	-20.00	-18.00
14	ब्रेथवेट	-33.35	-29.21	-23.56	-18.41	-13.36
15	बीएससीएल	-78.35	-73.74	-110.65	-97.82	-106.16
16	बीडब्ल्यूईएल	-26.87	-10.58	-24.05	-17.22	-12.30
17	सीसीआई	-215.33	-215.36	-80.95	-214.05	-210.78
18	एचसीएल	-236.08	-256.31	-307.42	-241.68	-288.19
19	एचईसी	-173.78	-173.82	-132.68	-277.51	-169.97

MHIPE- Final 3.p65 70 4/16/2005, 2:08 AM

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (पूर्वानुमानित)	2005-2006 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
20	एचएमटी (बी)	0.94	-15.03	-9.58	-8.56	-10.05
21	एचएमटी (चिनार वाचेज)	-10.16	-6.31	-21.92	-24.58	-26.87
22	एचएमटी (धारक कंपनी)	7.82	-34.01	-7.19	-11.99	-52.70
23	एचएमटी (एमटी)	-70.65	-102.05	-119.08	-71.05	-49.53
24	एचएमटी (वाच)	-106.00	-113.00	-135.00	-131.67	-32.72
25	एचपीएफ	-353.72	-385.39	-443.02	-491.53	-558.99
26	एचएसएल	-1.91	-2.78	-2.41	-1.38	-0.34
27	आईएलके	-30.49	-29.18	-29.02	-19.85	-14.45
28	नेपा	-35.16	-50.89	-45.62	-49.93	-47.15
29	पीटीएल	-35.06	-37.50	-16.04	-6.21	-0.60
30	आर एण्ड सी	-19.21	-28.19	-40.64	-40.00	-40.00
31	एसएसएल	-3.02	-2.66	-3.11	-2.06	-1.99
32	टीसीआईएल	-67.41	-16.91	4.55	-52.95	-47.61
33	टीएसएल	-12.23	-26.26	-27.00	-30.00	-30.00
34	टीएसपी	-0.66	-2.63	-99.98	-20.00	-19.00
	उप-योग (ख) हानि उठा रही कम्पनियां	**-1550.42**	**-1877.29**	**-1935.86**	**-1916.47**	**-1819.87**
	कुल-योग (क और ख)	**-800.36**	**-1026.12**	**-812.89**	**-763.61**	**-494.94**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बोओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां नामत: बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है।

(iii) वर्ष 2003-04 के निष्पादन के आधार पर कंपनियों को लाभ कमाने अथवा हानि उठाने वाली कंपनियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

MHIPE- Final 3.p65 71 4/16/2005, 2:08 AM

MHIPE- Final 3.p65 72 4/16/2005, 2:08 AM

अनुबंध - VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्न ओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक ऊपरी खर्चों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशत					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक ऊपरी खर्च का प्रतिशत				
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-2005 (पूर्वानुमानित)	2005-06 (पूर्वानुमानित)	2001-02	2002-03	2003-04	2004-2005 (पूर्वानुमानित)	2005-2006 (पूर्वानुमानित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	47.58	54.85	46.70	31.48	21.40	6.60	5.92	5.50	5.40	5.30
2	बीएण्डआर	10.64	11.49	8.70	8.35	8.21	0.78	0.81	1.57	0.44	0.44
3	बीबीजे	10.47	10.63	14.32	9.66	12.48	1.64	1.37	2.36	0.81	0.78
4	भेल	19.83	20.11	18.93	18.15	17.49	3.14	2.52	2.86	2.65	2.38
5	बीएचपीवी	21.17	29.18	56.66	40.66	42.67	2.79	2.17	19.28	3.28	6.67
6	बीपीसीएल	32.68	42.27	44.57	31.70	34.57	3.78	4.42	5.50	8.45	9.50
7	ब्रेथवेट	52.64	31.70	20.26	8.17	7.68	2.78	1.50	0.88	0.70	0.60
8	बीएससीएल	42.77	20.54	15.43	11.16	9.99	4.68	2.08	2.18	1.95	1.69
9	बीडब्ल्यूईएल	65.53	60.34	195.14	18.22	16.02	0.95	1.08	2.87	0.61	0.46
10	सीसीआई	42.54	32.07	19.80	11.23	8.51	12.64	11.61	8.79	3.69	2.35
11	ईपीआईएल	4.41	5.27	4.38	3.52	3.63	0.91	1.00	1.25	0.61	0.61
12	एचसीएल	10.33	15.28	49.12	31.00	9.26	1.18	1.62	8.61	4.49	1.36
13	एचईसी	46.21	31.02	34.05	26.52	19.36	7.30	4.56	5.33	4.39	0.40
14	एचएमटी (चिनार)	511.00	1072.00	928.00	350.00	118.00	69.00	152.00	167.00	60.00	20.00
15	एचएमटी (बेयरिंग)	25.72	48.81	26.19	26.13	26.80	3.69	5.21	2.92	3.00	3.00
16	एचएमटी (धारक)	21.13	32.43	37.70	20.47	16.74	2.58	3.48	4.18	2.11	1.70
17	एचएमटी (आई)	3.23	4.66	5.71	4.69	3.48	0.70	0.98	1.47	0.64	0.47
18	एचएमटी (एमटी)	39.00	43.00	54.00	35.00	36.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
19	एचएमटी (वाचेंज)	86.00	139.00	132.00	39.00	26.00	6.00	12.00	16.00	4.00	3.00
20	एचएनएल	9.74	8.71	8.89	11.76	11.76	5.47	4.75	3.66	3.20	3.20
21	हुगली प्रिंटिंग	21.78	13.48	18.01	16.85	14.12	1.31	1.02	1.20	1.15	1.06
22	एचपीसी	10.14	9.47	9.68	12.78	12.78	4.99	4.45	4.58	4.09	4.09
23	एचपीएफ	70.74	49.07	45.18	60.67	69.44	2.39	2.74	2.39	2.98	3.61
24	एचएसएल	64.73	63.44	60.44	38.05	33.19	4.77	3.67	3.56	2.46	2.07
25	आईएल	36.87	28.90	21.92	20.59	17.00	2.05	1.70	1.29	1.18	1.00
26	नेपा	30.13	52.28	53.70	29.38	24.17	3.30	5.35	1.80	1.35	1.09
27	पीटीएल	209.00	109.00	99.00	49.00	29.00	56.00	42.00	10.00	10.00	8.00
28	आरएण्डसी	11.43	27.75	20.96	4.79	4.80	1.13	0.94	1.30	0.62	0.60
29	आरईआईएल	11.23	8.08	7.70	7.52	7.69	2.54	1.75	1.43	1.62	1.75
30	एसआईएल	18.65	16.70	15.77	18.36	17.96	4.63	4.74	5.63	5.97	5.78
31	एसएसएल	43.04	47.26	53.23	41.93	41.99	3.19	3.22	3.61	2.89	2.97
32	टीसीआईएल	31.70	14.47	7.73	23.34	16.22	4.26	5.00	3.02	5.18	3.67
33	टीएसएल	41.42	219.68	631.37	340.00	200.00	7.00	3.71	64.70	85.00	50.00
34	टीएसपी	21.47	69.60	35.20	8.02	50.00	1.56	3.91	29.52	12.85	25.00

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और 5 सरकारी क्षेत्र के उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है।

अनुबंध - VII

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के क्रयादेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	दिनांक 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2003 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2004 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	130.78	140.05	131.66	103.54	86.05
2	बीएण्डआर	325.40	375.77	385.16	636.40	581.90
3	बीबीजे	57.79	40.09	51.99	45.24	46.56
4	भेल	10526.00	10029.00	12573.00	15800.00	23650.00
5	बीएचपीवी	309.20	183.05	130.41	115.50	186.90
6	बीपीसीएल	66.10	73.91	38.83	43.50	48.70
7	बेथवेट	156.20	19.98	106.85	130.59	144.11
8	बीएससीएल	123.20	86.83	111.02	174.74	152.80
9	बीडब्ल्यूईएल	108.56	33.24	32.68	115.48	101.99
10	सीसीआई	12.29	110.41	4.17	7.13	-
11	ईपीआईएल	430.00	626.45	595.78	891.26	1459.96
12	एचसीएल	185.46	243.49	351.63	164.00	138.25
13	एचईसी	150.93	150.32	99.63	192.90	314.45
14	एचएमटी (बेयरिंग)	2.25	2.28	2.15	2.15	2.19
15	एचएमटी (चिनार वाचेज)	NA	NA	NA	NA	NA
16	एचएमटी (धारक)	NA	NA	NA	NA	NA
17	एचएमटी (आई)	38.30	42.53	53.15	12.11	21.68
18	एचएमटी (एमटी)	133.00	145.08	99.19	111.23	166.65
19	एचएमटी (वाचेज)	NA	NA	NA	NA	NA
20	एचएनएल	-	-	-	-	-
21	हुगली प्रिंटिंग	0.30	0.20	2.60	1.10	1.50
22	एचपीसी	24.89	24.10	4.15	15.21	27.46
23	एचपीएफ	-	-	5.10	2.60	2.85
24	एचएसएल	2.21	0.39	3.22	6.12	7.03
25	आईएल	36.03	34.85	53.82	88.50	89.72
26	नेपा	27.80	6.59	5.94	4.99	6.33
27	पीटीएल	12.74	8.12	5.30	4.47	5.86
28	आरएण्डसी	96.80	79.71	158.15	69.20	32.70
29	आरईआईएल	6.04	19.43	16.94	27.09	18.87
30	एसआईएल	-	-	-	-	-
31	एसएसएल	1.20	2.10	1.03	2.07	7.84
32	टीसीआईएल	9.00	5.00	4.80	5.00	1.00
33	टीएसएल	46.70	38.58	37.72	36.00	22.40
34	टीएसपी	55.00	25.95	32.65	24.40	15.70
	कुल	**13074.17**	**12547.50**	**15098.72**	**18832.52**	**27341.45**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बोओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां नामत: बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है।

MHIPE- Final 3.p65 73 4/16/2005, 2:08 AM

MHIPE- Final 3.p65

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात–निष्पादन

क्र सं.	सावर्जनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (1)	2000-2001			2001-2002			2002-2003			2003-2004			2004-2005 (पूर्वानुमानित)		
		वास्तविक (2)	मानित (3)	कुल (4)	वास्तविक (5)	मानित (6)	कुल (7)	वास्तविक (8)	मानित (9)	कुल (10)	वास्तविक (11)	मानित (12)	कुल (13)	वास्तविक (14)	मानित (15)	कुल (16)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं. लि.	8.86	12.00	20.86	8.09	0.00	8.09	6.51	2.10	8.61	0.53	1.60	2.13	5.00	1.00	6.00
2	बीएण्डआर	0.88	0.00	0.88	8.47	0.00	8.47	8.97	0.00	8.97	0.69	0.00	0.69	8.00	0.00	8.00
3	बीबीजे	0.00	2.26	2.26	0.00	1.43	1.43	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	भेल	247.00	1426.00	1673.00	987.00	1524.00	2511.00	637.00	1529.00	2166.00	596.00	1454.00	2050.00	1135.00	1238.00	2373.00
5	बीएचपीवी	2.00	2.92	4.92	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीपीसीएल	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63	0.00	5.27	5.27	0.00	9.57	9.57
7	बीएससीएल	2.80	0.00	2.80	4.89	0.00	4.89	1.48	13.17	14.65	2.53	4.90	7.43	6.95	0.00	6.95
8	बीडब्ल्यूटी	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	5.66
9	एचएमटी (बियरिंग)	0.11	0.00	0.11	0.15	0.00	0.15	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	एचएमटी (आई)	39.18	0.00	39.18	49.68	0.00	49.68	34.73	0.00	34.73	29.94	0.00	29.94	45.00	0.00	45.00
11	एचपीसी	3.39	14.58	17.97	0.00	25.17	25.17	0.00	10.32	10.32	0.00	3.12	3.12	0.00	39.00	39.00
12	एचपीएफ	0.36	0.00	0.36	0.40	0.00	0.40	0.59	0.00	0.59	0.23	0.00	0.23	0.50	0.00	0.50
13	एचएसएल	0.81	0.00	0.81	0.92	0.00	0.92	0.65	0.00	0.65	0.21	0.00	0.21	1.40	0.00	1.40
14	आईएल	0.80	0.00	0.80	0.25	1.34	1.59	0.51	1.89	2.40	0.26	3.85	4.11	1.50	4.50	6.00
15	पीटीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.08	0.77	0.85	0.71	0.37	1.08
16	आरएण्डसी	0.34	0.99	1.33	0.24	0.30	0.54	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	आरईआईएल	0.25	0.00	0.25	0.08	0.00	0.08	0.09	0.00	0.09	0.17	0.14	0.31	1.25	0.25	1.50
18	एसआईएल	1.29	0.00	1.29	0.31	0.00	0.31	0.94	0.00	0.94	1.06	0.00	1.06	1.20	0.00	1.20
19	एसएसएल	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.17	0.00	0.17
20	टीएसपीएल	2.58	7.03	9.61	1.69	1.86	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**318.49**	**1465.79**	**1784.28**	**1062.27**	**1560.47**	**2622.74**	**692.35**	**1561.90**	**2254.25**	**631.80**	**1473.01**	**2104.81**	**1212.34**	**1292.69**	**2505.03**

4/16/2005, 2:08 AM

31.3.2004 के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की चुकता पूंजी, निवल परिसंपत्ति और संचयी लाभ (+)/हानि (-)

(करोड़ रुपए में)

क्र. संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+)/हानि (-)
		सरकारी/सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य		
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	146.99	3.93	-55.03	-191.64
2	बीएण्डआर	13.98	—	43.80	29.82
3	बीबीजे	2.14	—	-28.59	-30.73
4	भेल	165.76	79.00	5278.00	5051.00
5	बीएचपीवी	33.80	—	-353.88	-344.56
6	बीपीसीएल	53.53	—	-113.40	-158.12
7	ब्रेथवेट	106.37	—	-105.20	-203.57
8	बीएससीएल	128.26	—	-476.92	-605.17
9	बीडब्ल्यूईएल	10.10	—	-79.99	-75.80
10	सीसीआई	429.85	—	-1504.64	-1933.92
11	ईपीआईएल	35.42	—	85.16	55.86
12	एचसीएल	417.69	1.67	-954.64	-1430.96
13	एचईसी	431.73		-1341.75	-1821.96
14	एचएमटी (बेयरिंग)	8.99	0.24	-21.62	-16.21
15	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.41		-85.75	-78.87
16	एचएमटी (धारक)	462.17	8.50	11.16	-411.29
17	एचएमटी (आई)	0.48	—	20.38	19.90
18	एचएमटी (एमटी)	10.70	—	-565.59	-387.95
19	एचएमटी (वाचेज)	5.49	—	-538.65	-413.19
20	एचएनएल	82.54	—	186.89	108.89
21	हुगली प्रिंटिंग	1.03	—	2.19	0.26
22	एचपीसी	700.38	—	622.68	-67.70
23	एचपीएफ	180.68	19.19	-2435.07	-2657.05
24	एचएसएल	9.87	—	-8.29	-19.29
25	आईएल	78.30	—	-167.69	-224.51
26	नेपा	104.69	0.70	-158.09	-251.11
27	पीटीएल	17.06	19.11	-245.79	-275.99
28	आरएण्डसी	54.84	—	-111.68	-145.24
29	आरईआईएल	0.64	0.61	7.59	6.34
30	एसआईएल	42.99	—	53.65	10.81
31	एसएसएल	1.00	—	-12.93	-15.17
32	टीसीआईएल	93.10	—	-511.46	-604.56
33	टीएसएल	21.02	—	-269.54	-279.81
34	टीएसपी	8.44	—	-96.23	-103.58
	जोड़	**3861.44**	**132.95**	**-3930.92**	**-7465.07**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बोओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां नामत: बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है।

अनुबंध - X

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 2004* से महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकन

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने उचित अनुमान तैयार किए और डिजाइन संबंधी ब्यौरों को अंतिम रूप दिए बिना नियत मूल्य आधार पर एक आदेश स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप, इसने डिजाइन में परिवर्तन, परामर्श प्रभार में वृद्धि और कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण जनवरी, 2000 तक 13.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.1) वाणिज्यिक

भेल ने मार्च, 1999 से 3.29 करोड़ रूपए की राशि की अपनी पूंजी अवरूद्ध की और एक निजी ग्राहक से अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना मोटर की विनिर्माण प्रारंभ करने और विनिर्माण कार्यकलाप ''रोक'' रखने में विलम्ब के कारण उस पर 1.57 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि उठाई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.2) वाणिज्यिक

भेल अनुचित आयोजना और अययार्थ अनुमानों के कारण संविदात्मक समय-अनुसूची के भीतर तीन कार्य पूरा नहीं कर सका। उससे 3.12 करोड़ रुपए के अनुमानित लाभ की तुलना में 4.27 करोड़ रुपए (मई, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक) की हानि हुई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.3) वाणिज्यिक

भेल ने अपनी मूल्यनिधारित नीति का अनुपालन नहीं करने तथा साथ ही कार्ययोग्य लागत का अनुमान नहीं करने में विफल रहने के कारण इलाभकारी मूल्यों पर मार्च, 2000 में निजी ग्राहकों से आदेश प्राप्त करके रु. 2.63 करोड़ का घाटा उठाया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.4) वाणिज्यिक

भेल न तो अपने पवनचक्की द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत का उपयोग कर सका और न ही विद्यु क्रय कारार के आभव में एपीट्रांसको/तीसरे पक्ष को अधिशेष विद्युत की ब्रिकी कर सका, जिससे सितम्बर, 1999 से जून, 2003 तक के दौरान 1.96 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.5) वाणिज्यिक

भेल ने अनुवर्ती ऑडर से मूल्यों में कमी पर ध्यान देने और समतुल्य मूल्य के लिए आपूर्तिकर्ता से बातचीत करने में विफल रहने के कारण अगस्त, 2001 से मई, 2003 तक की अवधि के दौरान 1.92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.6) वाणिज्यिक

भेल ने विलम्बित और त्रुटिपूर्ण विनिर्माण के कारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान 1.18 करोड़ रुपए का घाटा उठाया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.7) वाणिज्यिक

अपनी यूनिटों में उचित समन्वय के अभाव और ग्राहक की वित्तीय क्षमता पर विचार नहीं करने के कारण 'भेल' ने मोटर (मार्च 1999) का विनिमार्ण किया, जो चार से अधिक वर्षो तक बिना निपटान को पड़ा रहा, जिससे 1.03 करोड़ रुपए तक की पूंजी अवरूद्ध रही।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.8) वाणिज्यिक

आंतरिक रूप से निर्माण करने की बजाय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन खरीदने का निर्माण लेने/कार्यान्वयन करने में विलम्ब के कारण, भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड ने वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक के दौरान 1.61 करोड़ रूपए का परिहर्य व्यय किया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.2.1) वाणिज्यिक

भारत ऑथ्रेलिमक ग्याल लिमिटेड द्वारा अप्रैल, 2000 और फरवरी, 2001 में अपने बोर्ड अथवा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना और सरकारी आदेशों के उल्लंधन में तदर्थ अग्रिम की स्वीकृति से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम के लिए विकल्प देने वाले 36 कर्मचारियों सहित अपने कर्मचारियों को 1.44 करोड़ रुपए का अनधिकृत भुगतान किया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.3.1) वाणिज्यिक

वैगनों को उत्पादन में विलम्ब के कारण रेल मंत्रालय द्वारा दरों की कमी के कारण भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने जून, 2001 तक 1.83 करोड़ रुपए का घाटा उठाया

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.4.1) वाणिज्यिक

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा परियोजना चालू करने के लिए विलम्ब से परियोजना की व्यवहार्यता संदेह के अधीन हुई और परियोजना पर 19.42 करोड़ रुपए का निवेश फरवरी, 2001 से निष्क्रिय रहा।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.6.1) वाणिज्यिक

कागज को धीमे/असंचलित भंडार को निपटान में विलम्ब से दिसम्बर, 2000 से मार्च, 2002 तक की अवधि के दौरान हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को माल-सूची वहन लागत के कारण 8.62 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.7.1) वाणिज्यिक

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की आयातित संटघटकों की अधिप्राप्ति नहीं करने के कारण मशीन की आपूर्ति करने में विफलता से ग्राहक द्वारा ऑर्डर रद्द हुआ, जिसस 1.31 करोड़ रुपए की निधि अवरूद्ध हुई और अप्रैल, 2000 से जून, 2003 तक 61.16 लाख रूपए की ब्याज की हानि हुई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.8.1) वाणिज्यिक

आदेश देने और विक्रेताओं से आपूर्ति की प्राप्ति में विलम्ब के कारण इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब से मार्च, 2000 तक विलम्बित हर्जाने द्वारा 3.61 करोड़ रूपए की हानि हुई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.9.1) वाणिज्यिक

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने करार और स्वयं अपनी ऋण नीति की शर्तों की छूट में अपने डीलरों को ऋण प्रदान किया जिससे जुलाई, 2000 से मार्च, 2003 तक के दौरान बिक्री से हुई आय की वसूली नहीं हुई, जो संग्रहित होकर मार्च, 2003 की यथास्थिति संग्रहित होकर 1.63 करोड़ रुपए हो गई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.11.1) वाणिज्यिक

एचएमटी वाचेज लिमिटेड द्वारा विपणन कार्यकलापों पर समीक्षा

एसएमटी वाचेज पर उसके हाई ब्राण्ड इक्विटी के कारण ग्रे/नकली बजार के प्रभाव बहुत अधिक रहा है। एचएमटी ब्राण्ड नाम के अधीन पर्याप्त जांज के बिना बाहरी पूर्जों और धड़ियों की आउटसोर्सिंग को एचएमटी की घड़ियों के लिए ग्रे/नकली बाजार के विकास के लिए मुख्य अंशदायी कारक पाय गया था।

अयथार्य बाजार की पूर्वानुमानों से भंडार का संग्रहण और वैध-ऑर्डर के बिना पुन: वितरण स्टॉकिस्ट (आरडीएस) बिक्री स्थापित करने के कारण ऋण का भी संग्रहण हुआ।

कंपनी को आरडीएस की तुलना में उच्च ब्राण्ड वाले इक्विटी वाच के उत्पादक के रूप में वर्चस्व रखने वाले की भूमिका से समझौता करना पड़ा था और अपने अलाभ के लिए अपनी ऋण नीति में छूट देनी पड़ी थी।

संपूर्ण घड़ियों की आऊटसोर्सिंग करने के लिए बिक्रेता का चयन प्रश्न उठाने योग्य है क्योंकि इसने इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश सहित सभी निर्धारित कार्य विधियों को नकार दिया था। संपूर्ण घड़ियों की आउटसोसिंग के लिए औचित्य किसी लागत-लाभ अध्ययन/विश्लेषण पर आधारित नहीं था। आऊटसोर्सिंग करार/लेन-देन में शामि प्रलेखीकरण पारदर्शी नहीं था। आऊटसोर्सिंग को ओचित्य से विक्रेता के चयन तक का पूर्ण कार्य और आगे लेने-देने में पारदर्शिता की कमी थी।

(2004 की रिपोर्ट सं. 4) वाणिज्यिक

* वित्त मंत्रालय से उनको दिनांक 8.12.2004 के अ.था. सं 2100/ई-कॉर्ड/2003 द्वारा प्राप्त अवलोकन वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए है।

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एवाई एंड कं.	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
ब्रेथवेट	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीएससीएल	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुर्नगठन बोर्ड
सी डॉट	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथारिटी
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी
ईओटी	इलैक्ट्रीकली आपरेटेड ट्राली
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबशन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट

MHIPE- Final 3.p65 78 4/16/2005, 2:08 AM

आईएलके	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन आटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनसीएमपी	नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
एनआईडीसी	नेशनल इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पीएसई	पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसएसएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड

MHIPE- Final 3.p65 79 4/16/2005, 2:08 AM

लोक उद्यम विभाग

- लोक उद्यम सर्वेक्षण 83
- सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण 85
- सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) 88
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली 90
- मानव संसाधन विकास 95
- सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं 100
- मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण 102
- परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना 104
- सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण 106
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 108
- महिलाओं का कल्याण 110

अनुबंध (I से VII) 111

1 लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय, भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक कार्य-निष्पादन की समग्र समीक्षा संसद में हर वर्ष प्रस्तुत करता है।

1.2 लोक उद्यम सर्वेक्षण में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों अथवा संसद के विशिष्ट नियमों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यम शामिल हैं। परंतु, इसमें वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं हैं। इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कंपनियां ही शामिल हैं, जिनकी प्रदत्त शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है और ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सहायक कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन इस सर्वेक्षण में वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं, शामिल नहीं है।

1.3 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959-60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष अलग से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का संपूर्ण मूल्यांकन हो। तद्नुसार, पहली ''वार्षिक रिपोर्ट'' (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960-61 में तैयार की गई थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने तैयार किया था और जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन का समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया था।

1.4 सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (कोपू) ने अपनी 46वीं रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) में लोक उद्यम सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा विषयक्षेत्र, परिव्याप्ति, उपक्रमों का वर्गीकरण, रिपोर्ट की विषयवस्तु, प्रस्तुतिकरण का समय तथा अन्य मामलों को शामिल किया था। लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करते समय कोपू की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

1.5 लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2003-04 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समग्र कार्यनिष्पादन पर 44वीं रिपोर्ट है।

MHIPE- Final 4.p65 83 4/16/2005, 2:09 AM

इस सर्वेक्षण के लिए आधारभूत आंकड़े प्रत्येक उद्यम द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों तथा लेखों से संकलित किए गए हैं। इस प्रकार संकलित और विश्लेषित आंकड़े तीन अलग-अलग खण्डों में प्रस्तुत किए गए हैं।

1.5.1 **खण्ड 1**-में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में वृहत् मूल्यांकन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यमों के प्रमुख क्रियाकलापों तथा उनके द्वारा विशेष क्षेत्र में की गई प्रगति को दर्शाया जाता है। इस खण्ड में कुछेक महत्वपूर्ण अनुपातों, यथा नियोजित पूंजी की तुलना में ब्याज एवं करपूर्व लाभ, नियोजित पूंजी की तुलना में बिक्री आदि के संदर्भ में उद्यमों के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण को भी शामिल किया जाता है। इसमें योजनागत परिव्यय के वित्तपोषण के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने, राजकोष में योगदान, प्रबंध विकास, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन, कर्मचारी कल्याण उपायों, विदेशी मुद्रा अर्जन, आयात प्रतिथापन प्रयासों तथा ऐसे अन्य संबंधित मुद्दों को भी शामिल किया जाता है, ताकि विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

1.5.2 **खण्ड-2** में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रीय सजातीय समूहों में और अलग-अलग विभक्त कर के किया जाता है। इसमें प्रत्येक उद्यम के कार्यक्षेत्र की पृष्ठभूमि तथा उनके भौतिक वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण भी शामिल किया जाता है।

1.5.3 **खण्ड-3** में गत तीन वर्षों अर्थात 2003-04, 2002-03 तथा 2001-2002 के उद्यमवार विश्लेषणात्मक आंकड़े शामिल हैं। सूचना में संक्षिप्त तुलन-पत्र, संक्षिप्त लाभ-हानि लेखे और महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात शामिल हैं।

MHIPE- Final 4.p65 84 4/16/2005, 2:09 AM

2 सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण

2.1 सरकार सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित कंपनियां बनाने का प्रयास करती रही है। संस्था के अन्तर्नियमों के अंतर्गत सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में स्वायत्तता प्राप्त है। इस प्रकार, किसी सरकारी उद्यम का निदेशक मंडल नागरिकों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग आरक्षण आदि जैसे विषयों पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गए व्यापक दिशानिर्देशों के अध्याधीन इस संबंध में शक्तियों का प्रयोग करता है।

2.1.1 सरकार ने दिनांक 6.5.1997 को लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना पूंजीगत व्यय करने की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

सरकारी उद्यमों की सकल परिसंपत्ति	राशि
100 करोड़ रुपए से कम	10 करोड़ रुपए
100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए के बीच	20 करोड़ रुपए
200 करोड़ रुपए से 500 करोड रुपए के बीच	40 करोड़ रुपए
500 करोड़ रुपए से अधिक	100 करोड़ रुपए

2.1.2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों को मंजूरी संशोधन, प्रोत्साहन योजनाओं के प्रतिपादन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा कार्यकारी निदेशकों का सरकारी उपक्रमों के भीतर स्थानान्तरण आदि मामलों में अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.2 दिशानिर्देशों की समीक्षा

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को अधिकाधिक स्वायत्तता देने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की समय-समय पर व्यापक समीक्षा

MHIPE- Final 4.p65 85 4/16/2005, 2:09 AM

की जाती है। तद्नुसार, दिसंबर, 1997 में 696 दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया था। कायम रखे गए दिशानिर्देशों के साथ-साथ बाद में अर्थात 31.12.2000 तक जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों की समीक्षा लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की गई थी। उक्त समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 66 दिशानिर्देशों को निरस्त करने का निर्णय किया गया है। 11 दिशानिर्देश हटा दिए गए हैं और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से 24 दिशानिर्देशों के संविलयन/संशोधन के संबंध में कार्यवाही चल रही है।

2.3 'नवरत्न' श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.3.1 जुलाई, 1997 में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे 9 उद्यमों की पहचान **नवरत्न** के रूप में की थी, जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त था तथा जिनमें विश्वस्तरीय स्वरूप धारण कर पाने की क्षमता थी। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई है तथा इन्हे पूंजीगत व्यय करने, संयुक्त उद्यम स्थापित करने/रणतीतिक करार करने, संगठनात्मक पुनर्गठन करने, निदेशक मंडल स्तर के पदों का सृजन करने और उन्हें समाप्त करने एवं वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ऋण प्राप्त करने संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के पहले निदेशक मंडल में कम-से-कम 4 गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल कर निदेशक मंडल का पुनर्गठन करना एक पूर्वापेक्षा है। नवरत्न श्रेणी के 9 उद्यम हैं - बीएचईएल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, एमटीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी तथा सेल।

2.3.2 सरकार ने नए सरकारी उद्यमों को ''नवरत्न'' का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं :-

- सरकारी उद्यम अनुसूची 'क' में होना चाहिए।
- सरकारी उद्यम ''मिनीरत्न'' श्रेणी-। का होना चाहिए।
- सरकारी उद्यम की गत 5 वर्ष में से न्यूनतम 3 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा' की एमओयू श्रेणी प्राप्त की गई होनी चाहिए।
- सरकारी उद्यम का संयुक्त अंक 6 चिह्नित संकेतकों के संदर्भ में परिकलित के अनुसार 60 अंक होना चाहिए।

2.4 'मिनीरत्न' श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.4.1 अक्तूबर, 1997 में सरकार ने पुनः यह निर्णय किया कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कंपनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं, ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कंपनियों को **मिनीरत्न** कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियां हैं - **श्रेणी-।** तथा **श्रेणी-।।** ।

2.4.2 मिनीरत्न श्रेणी प्रदान करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं -

- सरकारी उद्यम ने गत 3 वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी निवल परिसंपत्ति धनात्मक हो।
- सरकार को देय ऋण/ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक न की हो।
- बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर न हो, और
- उद्यम के निदेशक मण्डल में कम-से-कम 3 गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल कर निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया हो।

जिन उद्यमों का करपूर्व लाभ 3 वर्षों में किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रूपए या उससे अधिक हो उन्हें श्रेणी-। तथा अन्य को श्रेणी-॥ दी गई हैं। पात्रता की शर्तें पूरी करने की स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय किसी उद्यम को मिनीरत्न घोषित कर सकते हैं।

2.4.3 मिनीरत्न उद्यमों को जो अधिक शक्तियां दी गई हैं उनमें श्रेणी-। के लिए 300 करोड़ रुपए और श्रेणी-॥ में 150

MHIPE- Final 4.p65 86 4/16/2005, 2:09 AM

करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय करने/संयुक्त उद्यम स्थापित करने, प्रौद्योगिकीय व रणनीतिक करार करने तथा मानव संसाधन प्रबंधन की योजना प्रतिपादित करने से संबंधित शक्तियां शामिल हैं।

वर्तमानत: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 45 उद्यमों को मिनीरत्न (श्रेणी-I में 30 तथा श्रेणी-II में 15) का दर्जा प्राप्त हैं। मिनीरत्न उद्यमों के नाम **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। सरकारी उद्यमों द्वारा इन बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग इस शर्त पर किया जा सकता हैं कि उनके निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों को पर्याप्त संख्या में शामिल किया गया हो। मिनीरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष लोक उद्यम विभाग के सचिव होते हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान अंतर-मंत्रालयी समिति ने सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की थी।

2.5 व्यवसायीकरण

2.5.1 24 जुलाई, 1991 को घोषित औघोगिक नीतिगत वक्तव्य के अनुसरण में सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को व्यवसायिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। मार्च, 1992 में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य-संख्या की कम-से-कम एक-तिहाई होनी चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी उल्लिखित है कि निदेशक मंडलों में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य-संख्या के छठे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी हालत में यह दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निदेशक मंडल में कुछ कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिनकी संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत तक हो सकती है। नैगम अभिशासन से संबंधित सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में निदेशक मंडल में कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए तथा कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम-से-कम निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए।

सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लोक उद्यम विभाग के परामर्श से बनाए गए पेनल में से की जाती है।

2.5.2 जहां तक नवरत्न एवं मिनीरत्न श्रेणी के सरकारी उद्यमों का संबंध है, गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के लिए पेनल खोज समिति द्वारा तैयार किया जाता है और उस समिति में अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), सचिव, लोक उद्यम विभाग, संबंधित सरकारी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा 4 गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। नवरत्न एवं मिनीरत्न संबंधी योजना के अनुसार इन कंपनियों द्वारा बढ़ी हुई शक्तियों के प्रयोग के पूर्व इनके निदेशक मंडलों को व्यवसायिक बनाया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए नवरत्न उद्यमों के निदेशक मंडल के मामले में कम-से-कम 4 तथा मिनीरत्न उद्यमों के मामले में कम-से-कम 3 गैर-सरकारी निदेशकों को निदेशक मंडल में शामिल किया जाना चाहिए।

2.5.3 सरकार ने सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन और नियुक्ति के लिए मानदण्ड निर्धारित किया है। तद्नुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, उसके पास सरकार में संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर अथवा संस्थान के निदेशक/विभागध्यक्ष स्तर पर विख्यात चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार जैसे शैक्षिक संस्थान/व्यवासय में निगमित क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के उद्यम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो और वह 45-65 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए।

MHIPE- Final 4.p65 87 4/16/2005, 2:09 AM

3 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

3.1 वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2004-05 के दौरान घोषणा की थी कि सरकार सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार और पुनर्गठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन करेगी। बाद में, सरकार ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना के अनुसार बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन कर दिया है, जिसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष और तीन अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव उसके मंत्रालय से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य है।

3.2 बीआरपीएसई के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(i) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थोपाय पर समान्य रूप से सरकार को परामर्श देना और उनको अधिक स्वायत तथा व्यवसायिक बनाना;

(ii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन पर - वित्तीय संगठनात्मक और व्यवसाय (विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, संविलयन और अधिग्रहण सहित) तथा ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तौर-तरीकों का सुझाव देना;

(iii) रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए उनके आमूलचूल परिवर्तन हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की जांच करना;

(iv) लंबे समय से रूग्ण/घाटा उठाने वाली कंपनियां, जिनका पुनरूद्धार नहीं किया सकता, उनके संबंध में विनिवेश/बंद करने/बिक्री करने के लिए सरकार को परामर्श देना। ऐसी अव्यावहारिक कंपनियों के संबंध में बोर्ड कंपनी को बंद करने की अन्य लागतों और कामगारों की वैध देयताओं और प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए उद्यमों की

MHIPE- Final 4.p65 88 4/16/2005, 2:09 AM

अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री सहित स्त्रोतों के संबंध में सरकार को परामर्श भी देगा;

(v) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शुरूआती रूग्णता को मॉनीटर करना; और

(vi) ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जाएं।

3.3 बीआरपीएसई की स्थापना से लेकर अब तक दिसम्बर, 2004 और जनवरी, 2005 के महीनों के दौरान चार बैठकें हो चुकी हैं तथा बोर्ड ने एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम के संबंध में पुनरूद्धार प्रस्ताव की सिफारिश की है।

MHIPE- Final 4.p65 89 4/16/2005, 2:09 AM

4

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

4.1 समझौता ज्ञापन की अवधारण

4.1.1 समझौता ज्ञापन सरकारी उद्यमों के स्वामी के रूप में सरकार तथा किसी उद्यम-विशेष के बीच वार्ता पर आधारित प्रलेख है। इसमें समझौता ज्ञापन से सम्बद्ध दोनों पक्षकारों के अभिप्रायों, उत्तरदायित्व तथा पारस्परिक जिम्मेवारियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

4.1.2 इसके अलावा, समझौता ज्ञापन सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को प्रकियाओं और नियंत्रणों द्वारा प्रबंध से परिणामों और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की ओर ले जाने का प्रयास करता है।

4.2 समझौता ज्ञापन नीति लागू करने के लिए संस्थागत प्रबंध

वर्तमान संस्थागत व्यवस्था में सरकारी उद्यमों के प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुपरक एवं पारदर्शी तंत्र की स्थापना की गई है। इसमें एक ऐसे तंत्र का निमार्ण किया गया है, जिसके जरिए समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षकारों की प्रतिबद्धाताओं का वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जा सकता है तथा साथ ही समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने हेतु अपेक्षित तकनीकी निविष्टियों में भी सुधार किया जा सकता है। इस संस्थागत प्रबंध तथा इसके अन्तर्संबंधों का विवरण इस प्रकार है :-

4.3 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

4.3.1 इस संस्थागत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

1. मंत्रिमंडल सचिव, अध्यक्ष
2. वित्त सचिव, सदस्य
3. सचिव (व्यय), सदस्य
4. सचिव (योजना आयोग), सदस्य
5. सचिव (कार्यक्रम कार्यान्वयन), सदस्य
6. अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन मण्डल), सदस्य

MHIPE- Final 4.p65 90 4/16/2005, 2:09 AM

7. मुख्य आर्थिक सलाहकार, सदस्य

8. सचिव (लोक उद्यम), सदस्य सचिव

4.3.2 इस समिति का कार्य अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने से पहले समझौता ज्ञापनों के प्रारूप की समीक्षा करना है तथा वर्ष के अंत में यह मूल्यांकन करना है कि समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षों द्वारा की गई वचनबद्धताओं को कहां तक पूरा किया गया है। समझौता ज्ञापनों के अंतिम रूप को अनुमोदित करने की शक्ति कार्य दल/लोक उद्यम को प्रत्यायोजित कर दी गई है और सिर्फ उन्हीं मामलों को एचपीसी को सौंपा जाता है, जिनमें कार्यदल कोई निर्णय कर पाने में असमर्थ होता है।

4.3.1 सरकार के पास उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता में असंतुलन से संबंधित चिन्ता का समाधान करने के लिए कार्यदल का गठन करने के लिए कहा गया है।

4.4 कार्य दल

4.4.1 कार्य दल के सृजन का मुख्य उद्देश्य सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता में असंतुलन के संबंध में सुविधाओं को ध्यान में रखना। कार्य दल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(क) वर्ष के प्रारंभ में समझौता ज्ञापन की रूपरेखा की जांच करना। इस उद्देश्य के लिए कार्य दल द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति के अनुसार तैयार समझौता ज्ञापन के प्रारूप की जांच कार्य दल द्वारा की जाती है। यदि समझौता ज्ञापन के प्रारूप के संबंध में कार्य दल की कोई टिप्पणी या कोई सवाल हो तो वे समझौता ज्ञापन प्रभाग के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगते हैं। जब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष अपने समझौता ज्ञापन के प्रारूप के संबंध में कार्य दल द्वारा व्यक्त चिंताओं का जवाब दे देते हैं, तो उसके बाद समझौता ज्ञापन वार्ता संबंधी बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालक, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा योजना आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एंव वित्त मंत्रालय, आदि जैसे नोडल अभिकरणों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन बैठकों में समझौता ज्ञापनों के प्रारूप पर विचार किया जाता है तथा उसे अंतिम रूप दिया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में प्रत्येक उद्यम के लिए संयुक्त अंक का मूल्यांकन करना।

4.4.2 इस कार्य दल में पर्याप्त अनुभव वाले सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के कार्यपालक, प्रबंधन व्यावसायिक तथा स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सरकार से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस कार्य दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह इस कार्य दल की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा गया है।

4.5 समझौता ज्ञापन प्रभाग

उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्य दल की सहायता लोक उद्यम विभाग के समझौता ज्ञापन प्रभाग द्वारा की जाती है। यह उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्य दल के स्थायी सचिवालय का कार्य करता है। इस प्रभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- कार्य दल को संचार तंत्र संबंधी तकनीकी व प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
- कार्य दल तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों – सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य प्रतिरोधक का कार्य करना।

MHIPE- Final 4.p65 91 4/16/2005, 2:09 AM

- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समझौता ज्ञापनों से संबंधित डाटा बेस तथा सूचना का विकास करना।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सहायता करना।
- समझौता ज्ञापन की प्रगति का परिवीक्षण करना।
- समझौता ज्ञापन प्रणाली की कार्यविधि तथा अवधारणा संबंधी पहलुओं के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों को सलाह तथा परामर्श प्रदान करना; और
- समझौता ज्ञापन नीति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में समन्वयन करना।

4.6 समझौता ज्ञापन पद्धति की कार्यप्रणाली

4.6.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया समझौता ज्ञापनों के मसौदे तैयार करने हेतु समझौता ज्ञापन प्रभाग द्वारा दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ ही आरंभ हो जाती है। इन दिशानिर्देशों में समझौता ज्ञापन के प्रारूप में शामिल किए जाने वाले स्थूल ढ़ांचे और पहलुओं का उल्लेख होता है और उनमें वित्तीय मानदंडों को दिया जाने वाला भारांक भी शामिल होता है। इन दिशानिर्देशों में सरकार की चिंताओं और सामान्य निर्देशों का उल्लेख होता है, जिसका सरकारी उद्यमों को पालन करना होता है।

4.6.2 इन दिशानिर्देशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन के मसौदे तैयार किए जाते हैं और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा निदेशक मंडल से विचार-विमर्श के पश्चात दिसम्बर के महीने में लोक उद्यम विभाग में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक उद्यम विभाग में प्राप्त मसौदों की विस्तृत जांच कार्य दल के परामर्श से की जाती है। समझौता ज्ञापनों के मसौदे की जांच प्रक्रिया में सभी संभव प्रासंगिक सूचनाओं/सूचना स्रोतों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दस्तावेजों के प्रारूप में प्रस्तावित लक्ष्य यथार्थोन्मुखी हैं। जहां संभव होता है, उन मामलों में एक कंपनी की तुलना दूसरी कंपनी से की जाती है और प्रस्तावित लक्ष्यों पर उद्यम-विशेष के विगत निष्पादन के संदर्भ में विचार किया जाता है।

4.7 समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकें

4.7.1 वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व ही कर लिए जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकारी उद्यमों द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापनों के प्रारूप पर समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकों में विचार - विमर्श किया जाता है। कार्य दल के सदस्यों के अतिरिक्त इन बैठकों में प्रशासनिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी उद्यमों के शीर्ष कार्यपालक और भारत सरकार के नोडल अभिकरणों, यथा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, व्यावसायिकों, प्रशासनिक मंत्रालयों तथा लोक उद्यम विभाग से प्राप्त सभी सामग्री का प्रयोग लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अंतिम तौर पर लक्ष्य निर्धारण के पूर्व सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित मौजूदा आर्थिक स्थिति के सामान्य पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया जाता है। सरकारी उद्यमों के प्रबंधन के निष्पादन के मापन हेतु मानदण्डों का चुनाव पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद किया जाता है और कार्यनिष्पादन संबंधी इन मानदण्डों के महत्व एवं संबंधित सरकारी उद्यम के प्रचालनस्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन्हें उपयुक्त भारांक दिया जाता है। सरकारी उद्यमों द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है और मोटे तौर पर आम सहमति से इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। वास्तव में, समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकें सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों में अपनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच भी प्रदान करती हैं और एक प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से नवीन विचारों का प्रसार होता है। इस प्रकार, सरकारी उद्यम अनुभव एवं विशेषज्ञता के इस समुच्चय से लाभान्वित होते हैं। इन बैठकों के दौरान अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों पर 31 मार्च के पहले सम्बद्ध सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं।

MHIPE- Final 4.p65 92 4/16/2005, 2:09 AM

4.8 समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन

4.8.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन उनके समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों के सन्दर्भ में वर्ष में दो बार किया जाता है। पहले, कार्यनिष्पादन का मूल्याकंन अनंतिम परिणामों के आधार पर किया जाता है तथा दूसरी बार यह मूल्यांकन लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का यह कार्य भी विस्तृत ढंग से किया जाता है। जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का यह कार्य विशुद्ध मशीनी ढंग से नहीं किया जाता है। वस्तुत:, वर्ष के अंत में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिनमें उन कारकों के मानदण्ड मानांकों के समायोजन प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, जिनका अनुमान नहीं किया गया था अथवा जिनके बारे में दोनों पक्षों द्वारा अनुमान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन को वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और सरकारी उद्यमों को ''उत्कृष्ट'', ''बहुत अच्छा'' ''अच्छा'', ''संतोषजनक'' एंव ''असंतोषजनक'' की श्रेणी प्रदान की जाती है।

4.9 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी

4.9.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली का कालक्रम में विकास हुआ है और वर्ष 1987-88 में हुए 4 समझौता ज्ञापनों की संख्या वर्ष 2004-2005 में बढ़कर 103 हो गई। वास्तव में, इन 103 सरकारी उद्यमों में से कई धारक कम्पनियां हैं और यदि उनकी सहायक कम्पनियों को भी शामिल कर लिया जाए तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों की संख्या 152 तक पहुंच जाएगी। समझौता ज्ञापन प्रणाली के प्रारम्भ के लेकर अब तक हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा निम्नवत हैं :-

वर्ष	हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	1996-97	110
1988-89	11	1997-98	108
1989-90	18	1998-99	108
1990-91	23	1999-2000	108
1991-92	72	2000-2001	107
1992-93	98	2001-2002	104
1993-94	101	2002-2003	100
1994-95	100	2003-2004	96
1995-96	104	2004-2005	103
		वाले सरकारी उद्यमों की सूची **अनुबंध-III** में दी गई है)	

लोक उद्यम विभाग और स्कोप द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 4 सितम्बर, 2004 को विज्ञान भवन में आयोजित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों का सम्मेलन।

MHIPE- Final 4.p65 93 4/16/2005, 2:09 AM

4.10 समझौता ज्ञापन पद्धति की उपलब्धियां

4.10.1 उद्देश्यों के आलोक में विचार करने पर समझौता ज्ञापन प्रणाली की कारगरता को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है :-

* समझौता ज्ञापन पद्धति के अन्तर्गत ध्यान परिणामों की प्राप्ति की ओर हो गया है।
* समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रत्योजित करके परिचालनात्मक स्वायत्तता भी बढ़ा दी गई है।
* समझौता ज्ञापन विपणन प्रयासों पर बल देकर और निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ तुलना करके प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता कर रहा है।
* समझौता ज्ञापन पद्धति के आरम्भ होने से तिमाही कार्यनिष्पादन समीक्षा (क्यू०पी०आर०) बैठकों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। समझौता ज्ञापनों की रूपरेखा के अनुसार समग्र उपलब्धियों के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है।

4.11 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों का कार्य-निष्पादन

4.11.1 गत पांच वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों के ज्ञापन के श्रेणीकरण के आधार पर उनका संक्षिप्त कार्यनिष्पादन निम्नलिखित रहा है :-

श्रेणी	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या				
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
उत्कृष्ट	49	50	41	46	53
बहुत अच्छा	29	28	25	21	23
अच्छा	09	09	15	12	12
संतोषजनक	16	14	12	16	08
असंतोषजनक	03	05	03	02	00
शामिल नहीं	02	01	08	03	–
जोड़	108	107	104	100	96@

@ सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की सूची **अनुबन्ध - IV** में दी गई हैं।

माननीय प्रधानमंत्री के साथ पुरस्कार विजेता केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक

MHIPE- Final 4.p65 94 4/16/2005, 2:09 AM

5 मानव संसाधन विकास

5.0 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप में अर्हता प्राप्त मानवशक्ति का विशाल भंडार है और इन उद्यमों का कुशल रूप से परिचालन बहुत हद तक इस मानवशक्ति के प्रभावी प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रबंध तकनीकों, प्रौद्योगिकियों, वित्तीय पद्धतियों, उत्पादन प्रबंध आदि में वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण बहुत परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार मानव संसाधन विकास सरकारी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें ऐसा वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें लोग उत्पादनकारी और सृजनकारी गतिविधियों के लिए अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकते हैं। मानवशक्ति की गुणवत्ता और क्षमताओं तथा उनके ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न उपाए किए गए हैं। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने कार्यपालकों को भारत तथा विदेशों में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजते हैं।

5.1 प्रशिक्षण

5.1.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग के रूप में लोक उद्यम विभाग देश में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से वरिष्ठ तथा मध्य स्तरीय कार्यपालकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके मानव विकास संसाधन के संबंध में लोक उद्यमों के प्रयासों में सहायता करता है। लोक उद्यम विभाग विभिन्न सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत विदेशों में प्रशिक्षण हेतु सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों को प्रायोजित करता है।

5.1.2 कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन 2-5 दिन की अवधि के लिए किया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान 47 कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और वर्ष 2004-05 के दौरान 36 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 600-800 कार्यपालकों को शामिल किया जाता है। ये कार्यक्रम भारतीय प्रबंध संस्थान, लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली,

MHIPE- Final 4.p65 95 4/16/2005, 2:09 AM

भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, भारतीय बागवानी प्रबंध संस्थान, बंगलौर, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, दिल्ली, प्रशिक्षण तथा विकास संबंध भारतीय सोसाइटी, भारतीय लागत तथा कार्य लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, वी०वी० गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली और सीएमसी लि. आदि के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल किए गए विषयों में वित्तीय प्रबंध, नेतृत्व संबंधी चुनौती, प्रभावी विपणन प्रबंध, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी और कामर्स, प्रबंध सूचना पद्धति, संचार कौशल, निगमित शासन, समझौता ज्ञापन के सिद्धांत और प्रथाएं, परियोजना प्रबंध, पूंजी बाजार संबंधी सुधार और जोखिम प्रबंध, बातचीत संबंधी रणनीति और कौशल, स्वास्थ और दबाव प्रबंध, औद्योगिक और श्रम संबंधी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय कराधान/ अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि शामिल हैं।

5.1.3 विभिन्न सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत विदेशों में पेशकश किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2004–05 (दिसम्बर, 2004 तक) के दौरान कनाडा, मलेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कोरिया, संयुक्त राज्य अमरीका, वियतनाम और जापान में सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 23 कार्यपालकों की सिफारिश की गई है। ये कार्यक्रम विकासशील इलेक्ट्रानिक शासन रणनीतियों के विकास, वैश्वीकरण – प्रबंध तथा शासन के लिए क्रियान्वयन, बैचमार्किंग तथा आईएसओ–9000, शिक्षा तथा प्रशिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हुए क्षमता बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के सुधार का समर्थन करना आदि जैसे विषयों पर थे।

5.1.4 भारत उद्यमों के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ल्यूबियाना, स्लोवेनिया का संस्थापक सदस्य है। भारत लोक उद्यम विभाग के बजट से 75000 अमरीकी डॉलर का वार्षिक अंशदान आईसीपीई को करता है। आजकल, सचिव, लोक उद्यम विभाग आईसीपीई परिषद के अध्यक्ष हैं।

5.1.5 सचिव, लोक उद्यम विभाग आईआईएम, अहमदाबाद, आईआईएम, कोलकाता और लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। सचिव, लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के कार्यकारी निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं।

5.2 कार्मिक नीति

5.2.1 लोक उद्यम विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित विभिन्न कार्मिक नीति संबंधी मामले भी देखे जाते हैं। वर्ष के दौरान कुछेक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें नीचे दी गई हैं।

सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर के पदों पर चयन की प्रक्रिया

5.2.2 लोक उद्यम चयन मंडल (पीईएसबी) इसके चयन क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर के पदों के लिए मेरिट के क्रम में दो नामों की सिफारिश करता रहा था। दूसरे नाम की सिफारिश इसलिए की जाती है कि सतर्कता निकासी न होने अथवा किसी अन्य कारणवश क्रम संख्या 1 वाला व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पूरी चयन प्रक्रिया से पुनः गुजरने की अनिवार्यता से बचा जा सके। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि अब से पीईएसबी प्रत्येक रिक्त पद के लिए केवल एक नाम की सिफारिश करेगा।

MHIPE- Final 4.p65 96 4/16/2005, 2:09 AM

सेवानिवृति की आयु के बाद सेवा में विस्तार

5.2.3 सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु से संबंधित सरकार की नीति के अनुसार अधिवर्षिता की आयु अर्थात 60 वर्ष की आयु से आगे सेवा विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध है। कुछ सरकारी उद्यमों में अधिवर्षिता की आयु बाद में घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने नवम्बर, 2004 में यह निर्णय किया है कि सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु से आगे सेवा विस्तार के लिए किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, अधिवर्षिता की आयु अर्थात 58 वर्ष अथवा 60 वर्ष, जैसा भी मामला हो, से आगे सेवा में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।

सेवानिवृति उपरांत रोजगार पर प्रतिबंध

5.2.4 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों और कार्यकारी निदेशकों के सेवानिवृत्ति उपरांत रोजगार पर उचित प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधों के अनुसार 'मुख्य कार्यपालक सहित कंपनी का कोई भी कार्यकारी निदेशक, जो कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो, सेवानिवृति के बाद सेवानिवृति की तारीख से 2 साल के अंदर किसी ऐसी कंपनी अथवा फर्म, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, में कोई भी नियुक्ति अथवा, पद, परामर्शी या प्रशासनिक, स्वीकार नहीं करेगा, जिसके साथ कंपनी का व्यापारिक संबंध हो अथवा रहा हो''। ''सेवानिवृत्ति'' शब्द में त्यागपत्र भी शामिल है, परंतु इसमें उनके मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी नियुक्ति की अवधि सरकार द्वारा प्रमाणित दुराचार से भिन्न कारणों से नहीं बढ़ाई गई थी। इसके अलावा, 'व्यापार संबंध' में सरकारी कार्य भी शामिल है।

5.2.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग लोक उद्यम विभाग के परामर्श से तथा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों से सेवानिवृत्ति उपरांत रोजगार हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चकोटिकरण के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल स्तरीय कार्यपालकों के वेतनमान के उन्नयन की तारीख

5.2.6 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की अनुसूची के उच्चकोटिकरण के परिणामस्वरूप सरकार ने विचार किया है कि किस तारीख से वर्तमान बोर्ड स्तरीय अधिकारी के वेतनमान का उच्चकोटिकरण होना चाहिए और यह निर्णय लिया गया है कि अधिकारी के उच्चकोटिकरण के संबंध में एसीसी के क्रम की तारीख से उसे उच्च वेतनमान दिए जाने के लिए संबंधित तारीख होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के अनुसूची 'ग' और 'घ' वाले उपक्रमों के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक उद्यम चयन मंडल की सिफारिश का अनुमोदन किए जाने की तारीख ही उच्च वेतनमान दिए जाने की संबंधित तारीख होगी।

लोक उद्यम के अंशकालिक अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु

5.2.7 सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अंशकालिक अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष रहेगी।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए मापदंड

5.2.8 सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन और नियुक्ति के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं। तद्नुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पास मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक डिग्री की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, उसके पास सरकार में संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर अथवा संस्थान के निदेशक/विभागाध्यक्ष स्तर पर विख्यात

MHIPE- Final 4.p65 97 4/16/2005, 2:09 AM

चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार जैसे शैक्षिक स्तर/ व्यवसाय में निगमित क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के उद्यम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो और वह 45-65 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रोजगार

5.2.9 आरक्षण नीति के संबंध में सरकारी उद्यम सामान्य तौर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हैं। लोक उद्यम विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित सभी महत्वूपर्ण अनुदेशों को समाविष्ट करते हुए राष्ट्रपति का निर्देश औपचारिक रूप से लोक उद्यमों को जारी करने हेतु, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को वर्ष 1982 में जारी किया था। तब से, कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय ने सरकार की आरक्षण नीति संबंधी अनेक अनुदेश/ दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने इन अनुदेशों का समेकन किया है और अप्रैल, 1991 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी करने कि लिए एक संशोधन समेकित निर्देश सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था। आरक्षण मामले पर बाद में जारी किए गए अनुदेश भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू किए गए थे।

5.2.10 अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती के मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ-साथ आरक्षण के हकदार अन्य क्षेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का वर्तमान कोटा इस प्रकार है :-

	समूह 'क' और 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
अनुसूचित जाति	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	3%	3%	3%
भूवपूर्व सैनिक एवं सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित	-	14.5%	24.5%

5.2.11 यद्यपि, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जिम्मेदार ठहराया गया है, तथापि लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों से वार्षिक रिपोर्ट मंगा कर तथा इन रिपोर्टों की जांच करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करके सरकारी उद्यमों द्वारा भर्ती में आरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की निगरानी करता है। सरकारी उद्यमों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 1.1.2004 तक 189 सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है :

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जातियों/अनु. जनजातियों का प्रतिनिधित्व					
		अ.जा की सं.	प्रतिशत	अ.ज.जा. की सं.	प्रतिशत	अ.पि.व. की सं.	प्रतिशत
समूह 'क'	1,65,320	20,006	12.10	6,032	3.65	8,978	5.43
समूह 'ख'	1,56,822	19,802	12.63	8,980	5.73	12,166	7.76
समूह 'ग'	7,14,125	1,41,357	19.79	67,396	9.44	1,13,992	15.96
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	2,58,663	55,453	21.44	32,073	12.40	46,023	17.79
जोड़	**12,94,930**	**2,36,618**	**18.27**	**1,14,481**	**8.84**	**1,81,159**	**13.99**
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	17,778	13,111	73.75	568	3.19	838	4.71
कुल जोड़	**13,12,708**	**2,49,729**	**19.02**	**1,15,049**	**8.76**	**1,81,997**	**13.86**

5.2.12 आरक्षित पदों को समय पर भरने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर समय-समय पर जारी अनुदेशों में बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को परामर्श दें कि खाली आरक्षित पदों को विद्यमान अनुदेशो के अनुसार

MHIPE- Final 4.p65 98 4/16/2005, 2:09 AM

सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए भरने के लिए कारगर कदम उठाएं।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

5.2.13 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की अनुशंसाओं के आधार पर तथा इंदिरा साहनी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने के अनुदेश जारी किए गए थे।

5.2.14 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति प्रतिपादित करता है, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 8.9.1993 से लागू किया गया था। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से इन अनुदेशों से सरकारी उद्यमों को अनुपालनार्थ अवगत कराता रहा है। लोक उद्यम विभाग ने राष्ट्रपति के निर्देशों का एक विस्तृत संकलन तैयार किया था, जिसमें सभी अनुदेशों का समावेश था और उस संकलन को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को जारी कर दिया गया, ताकि वे उसे संस्था अंतर्नियमों के संबंधित अनुच्छेद/संबंधित अधिनियम की धारा के अंतर्गत उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

5.2.15 इस विभाग ने किसी वर्ष विशेष में होने वाले रिक्त पदों का 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग (1 प्रतिशत नेत्रहीनों के लिए, 1 प्रतिशत गूंगों एवं बहरों के लिए तथा 1 प्रतिशत अस्थि विकलांगता वाले के लिए) व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने हेतु भी अनुदेश जारी गए हैं। लोक उद्यम विभाग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में राष्ट्रपति का एक निर्देश, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों का समावेश था, अप्रैल, 1991 में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों को जारी किया था और उनसे उन निर्देशों को सरकारी उद्यमों को औपाचारिक तौर पर जारी करने के लिए कहा था। विकलांगता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बाद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कुछ अभिज्ञात पदों के संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करें और एक समय-सीमा निर्धारित करें, जिसके अंतर्गत बकाया रिक्तियों को भरा जा सके।

MHIPE- Final 4.p65 99 4/16/2005, 2:09 AM

6 सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं

6.1 क्रय अधिमानता नीति

6.1.1 क्रय अधिमानता नीति 1992 में पूर्ववर्ती मूल्य अधिमानता नीति के स्थान पर आरंभ की गई थी। इस नीति का उद्देश्य वैश्वीकरण/उदारीकरण के वातावरण में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) को समान भागीदारी अवसर प्रदान करना और प्रतिस्पर्धा तथा प्रभावोत्पादकता के नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करने के लिए एक अवसर प्रदान करना है। इस नीति का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में स्थापित क्षमताओं का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने का है, ताकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन को दीर्घावधिक आधार पर एक निरंतर स्तर पर सुधारा जा सके।

6.1.2 क्रय अधिमानता नीति स्थायी किस्म की नहीं है, इसलिए समय-समय पर इसकी समीक्षा और इसमें विस्तार किया जाता है। सरकार ने दिनांक 13.10.2004 के निर्णय के अनुसरण में, जो नीति 31.3.2004 तक लागू थी, उसे लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 के कार्यलय ज्ञापन के अनुसार 31.3.2005 तक बढ़ा दिया गया है।

6.1.3 इस नीति में सरकारी विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति में क्रय अधिमानता का प्रावधान हैं, बशर्ते कि सरकारी क्षेत्र के आपूर्तिकर्ता उद्यम द्वारा दर्शाया गया मूल्य, अन्य बातों के समान होने पर, न्यूनतम वैध बोली मूल्य के 10 प्रतिशत के भीतर हो। 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ''निविदा आमंत्रण नोटिस'' में क्रय अधिमानता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यह नीति केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अलावा उन संयुक्त उद्यम कंपनियों पर भी लागू की गई है, जिनमें सरकार और/अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की शेयरधारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है यह उन संयुक्त उद्यमों में भी लागू है, जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सहायक कंपनिया हैं तथा जिनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यम की इक्विटी 51 प्रतिशत

MHIPE- Final 4.p65 100 4/16/2005, 2:09 AM

या इससे अधिक है। क्रय अधिमानता का लाभ उठाने वाले सरकारी उद्यमों पर लागत में वृद्धि की दशा में पर्याप्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) में क्रय अधिमानता संबंधी धारा शामिल न करने सहित किसी भी प्रकार के विचलन के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी उद्यम/स्वायत्त निकाय को लोक उद्यम विभाग के परामर्श से मंत्रिमण्डल से पूर्व छूट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6.1.4 उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान 2 संयुक्त उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 36 उद्यमों ने 1200 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्त करके इस योजना का लाभ उठाया था। वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 35 उपक्रमों और 2 निजीकृत कंपनियों तथा एक संयुक्त उद्यम ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों से लगभग 1500 करोड़ रुपए प्राप्त करके इस योजना का लाभ उठाया है।

6.2 स्थायी मध्यस्थता तंत्र

6.2.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन किसी सरकारी उद्यम एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के बीच तथा सरकारी उद्यमों के बीच पारस्परिक विवादों, कराधान संबंधी मामलों को छोड़कर, का समाधान करने के लिए किया गया है। वर्ष 1993-94 से पत्तन न्यासों के साथ उत्पन्न विवादों को भी स्थायी मध्यस्थता तंत्र के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.2.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रेल मंत्रालय को पीएमए के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग को सौंपना अपेक्षित होता है, ताकि उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को सौंपा जा सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए सौंप देते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (अब 1996) लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।

6.2.2 पीएमए संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करके 22.01.2004 को जारी किया गया था। पीएमए में एक मध्यस्थ नियुक्त है और वर्ष 1989 में पीएमए की स्थापना होने से लेकर सचिव (लोक उद्यम) ने पीएमए के मध्यस्थों को 186 मामले सौंपे हैं, जिनमें से 109 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं। पीएमए की स्थापना स्वत: समर्थित आधार पर की गई है, इसलिए पीएमए मध्यस्था शुल्क वसूल करता है, जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूला के आधार पर किया जाता है।

MHIPE- Final 4.p65 101 4/16/2005, 2:09 AM

7 मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

7.0 मजूरी नीति

7.1 मजूरी कक्ष मुख्यत: सरकारी क्षेत्र को उपक्रमों के कर्मचारियों को औद्योगिक मंहगाई भत्ता प्रणाली तथा केन्द्रीय मंहगाई भत्ता प्रणाली के संबद्ध वेतनमानों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है। यह निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण तथा शर्तों व विनियमों को अंतिम रूप देने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय सर्तकता अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारियों की शर्तों व विनियमों को अंतिम रूप देने का कार्य भी करता है। मजूरी कक्ष में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यपालकों तथा कर्मचारियों के संबंध में वेतन/मजूरी संशोधन और भत्तों तथा अनुलाभों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी कार्रवाई की जाती है।

7.2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

7.2.1 वर्तमान नियंत्रणमुक्त एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित उद्योग जगत के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए सरकारी उद्यमों के सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में श्रमिकों की संख्या को उपयुक्त सीमा में लाना ऐसे ही उपायों में से एक है।

7.2.2 इस प्रक्रिया में पहली बार अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की घोषण की गई थी और इसे संशोधित किया गया था तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एक विस्तृत पैकेज अधिसूचित किया गया था, ताकि केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही पुनर्गठन के विविध तरीकों से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा भी की जा सके।

7.2.3 सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में 1 जनवरी, 1992 अथवा 1997 से, जैसी स्थिति हो, मजूरी समझौता प्रभावी नहीं हो सका, उन उद्यमों के कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को 6 नवंबर, 2001 को अधिसूचना जारी कर और उदार

MHIPE- Final 4.p65 102 4/16/2005, 2:09 AM

बनाया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया था कि जिन उद्यमों में वर्ष 1992 का मजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 100% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए और इसी प्रकार जिन उद्यमों में वर्ष 1997 का मंजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए। वर्ष 1986 के वेतनमानों में सीडीए पैटर्न अपनाने वाले कर्मचारियों को वीआरएस के अंतर्गत अनुग्रह राशि में 26.10.2004 से 50% की वृद्धि की गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृति क्षतिपूर्ति में इन वृद्धियों की गणना कर्मचारियों के वर्तमान वेतन के आधार पर की जानी है।

7.2.4 प्रारंभ में अक्तूबर, 1988 से स्वच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शुरूआत से ले कर मार्च, 2003 तक 4.87 लाख कर्मचारियों को वीआरएस के अंतर्गत सेवामुक्त किया जा चुका था।

7.3 वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो वीआरएस का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

7.4 मामूली लाभ कमाने वाले अथवा घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली अथवा घाटा उठाने वाली कंपनियों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे (i) गुजरात मॉडल पर आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी अथवा (ii) भारी उद्योग विभाग का वीएसएस पैकेज (डीएचआई मॉडल) अपना सकते हैं, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन + मंहगाई भत्ता) तथा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इन में से जो भी कम हों, लागू है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारी दोनों में से किसी एक योजना (मॉडल) का लाभ उठा सकते हैं।

MHIPE- Final 4.p65 103 4/16/2005, 2:09 AM

8

परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना

8.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के एक कदम के रूप में परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना (सीआरआर) वर्ष 2001-02 से क्रियान्वयधीन है। सीआरआर योजना का लक्ष्य अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुन: अनुकूलन करना है, ताकि वे उद्यम बंद हो जाने पर वीआरएस/सीएसएस अथवा छंटनी के कारण उनका सरकारी उद्यम से विलगन होने के बाद स्वयं को नए वातावरण में समायोजित कर सकें तथा नए व्यवसाय अपना सकें। रणनीति उन्हें कौशलयुक्त बनाने तथा उनका पुन: अनुकूलन करने की है, जिससे वे मुख्यत: स्व-रोजगार के कार्यकलापों में नियोजित हो सकेंगे।

हैदराबाद में आयोजित सीआरआर संबंधी सेमिनार में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री संतोष मोहन देव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

8.2 सीआरआर योजना के क्रियान्वयन हेतु देशभर में प्रतिष्ठित नोडल अभिकरणों क चयन किया गया है। आरंभ में, जब योजना वर्ष 2001-02 में शुरू की गई थी, तब 17 नोडल अभिकरण थे। योजना के अंतर्गत मांग को पूरा करने के लिए इस समय ऐसे 34 अभिकरण हैं, जिनके देश भर में 100 कर्मचारी सहायता केन्द्र (ईएएसी) हैं। नोडल अभिकरणों और ईएएसी की सूची क्रमश **अनुबंध-V और -VI** में दी गई हैं।

8.3 आरंभ में, वर्ष 2001-02 में योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना आबंटन 8 करोड़ रुपए था, जो बढ़ाकर वर्ष 2002-03 और 2003-04 में 10 करोड़ रुपए किया गया था।

MHIPE- Final 4.p65 104 4/16/2005, 2:09 AM

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अपनाने वाले व्यक्तियों द्वारा तैयार उत्पादों/आरंभ की गई सेवाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री संतोष मोहन देव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नवीनतम मानदंड के अनुसार संपूर्ण निधि का 10% उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है।

8.4 इस योजना के अंतर्गत 8000 के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान 8064 व्यक्तियों को शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमश: 11900 और 12000 के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में इस योजना के अंतर्गत क्रमश: 12066 और 12200 यौक्तिकीकृत व्यक्तियों को शामिल किया गया।

8.5 ''केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन : रणनीतियां एवं विकल्प'' पर दो-दिवसीय राष्ट्र संगोष्ठी 26 और 27 जून, 2004 को राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी), हैदराबाद में आयोजित की गई, जोकि सीआरआर योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल अभिकरण है। विभिन्न नोडल अभिकरणों के प्रमुखों, हैदराबाद स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, आंध्रप्रदेश के सरकारी उद्यमों, वित्तीय संस्थाओं सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष मोहन देव ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। उन्होंने पुन:प्रशिक्षण के बाद सफल यौक्तिकीकृत कर्मचारियों द्वारा आरंभ किए गए उत्पादों/सेवाओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में उद्योग, सेवा और व्यवसाय उद्यमों वाली मिश्रित इकाइयों ने भाग लिया।

8.6 सीआरआर योजना के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावकता अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि इसमें और सुधार लाया जा सके। तद्नुसार, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा को प्रभावकता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। संस्थान ने अंतिम रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है, जिसकी विभाग में जांच की जा रही है।

MHIPE- Final 4.p65 105 4/16/2005, 2:09 AM

9 सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण

9.1 लोक उद्यम विभाग को सौंपे गए दायित्वों में से एक दायित्व सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल की संरचना के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश प्रतिपादित करना तथा सरकारी उद्यमों की संगठनात्मक संरचना के आकार के बारे में परामर्श देना है। सरकारी उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है:- अनुसूचि 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निम्न अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी-कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रूग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलेगी।

9.2 प्रारंभ में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण साठ के दशक के मध्य में किया गया था और यह वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। गत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्ड़ों का विकास किया है। यह वर्गीकरण पूंजीनिवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर्मचारियों की संख्या जैसे मात्रात्मक मानदण्डों तथा राष्ट्रीय महत्व, समस्या की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, क्रियाकलापों के विस्तार एवं विविधीकरण की संभावना तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसे मात्रात्मक मानदण्डों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, निगम के रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया

MHIPE- Final 4.p65 106 4/16/2005, 2:09 AM

में अनुसूची संबंधी प्रस्ताव पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मंडल से परामर्श करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान 1 सरकारी उद्यम को अनुसूची 'क' में, 1 को अनुसूची 'ख' में तथा 1 को अनुसूची 'ग' में वर्गीकृत किया गया है। 1 उद्यम का उन्नयन कर उसे अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में रख दिया गया है तथा 1 उद्यम का उन्नयन अनुसूची 'घ' से अनुसूची 'ग' में किया गया है। वर्तमानत: अनुसूची 'क' में 52, अनुसूची 'ख' में 87, अनुसूची 'ग' में 54 तथा अनुसूची 'घ' में 7 उद्यम हैं। सरकारी उद्यमों की अनुसूचीवार सूची **अनुबंध-VII** में दी गई है।

MHIPE- Final 4.p65 107 4/16/2005, 2:09 AM

10 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

10.1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यत: राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत उल्लिखित विविध प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए भी उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

10.2 वर्ष 2004-05 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा-पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया

हिन्दी पखवाड़ा *के अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह*

MHIPE- Final 4.p65 108 4/16/2005, 2:09 AM

गया। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में काम करती है और 2004-05 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई हैं।

10.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरुकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा सितम्बर, 2004 में 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया था। इस माह के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं यथा भाषण, निबंध लेखन, टिप्पणी एवं आलेखन, (हिन्दी भाषी), टिप्पणी एवं आलेखन, (हिन्दीतर भाषी) तथा हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

10.4 इस विभाग का पुस्तकालय नियमित रूप से हिन्दी पुस्तकों की खरीद करता रहता है। आलोच्य वर्ष 2004-05 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की हर संभव चेष्टा की गई।

10.5 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यचालन के संबंध में 'लोक उद्यम सर्वेक्षण' नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है, जिसे इस विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है।

MHIPE- Final 4.p65 109 4/16/2005, 2:09 AM

11 महिलाओं का कल्याण

11.1 लिंग की समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य तथा निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। हमारा संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के ढांचे के अंदर हमारे कानूनों, हमारी विकास नीतियों, हमारी योजनाओं तथा हमारे कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए लोक उद्यम विभाग में एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देशों एवं मानदण्ड़ों के बारे में सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को अनुपालन तथा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक हेतु सूचित कर दिया है।

11.3 लोक उद्यम विभाग एक छोटा है, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 121 है, जिसमें से महिला कर्मचारियों की संख्या सिर्फ एक दर्जन के करीब है। लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में काम करता है तथा अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्यमों की भूमिका के संबंध में नीति प्रतिपादन में सहायता प्रदान करता है। लोक उद्यम विभाग में अन्य मंत्रालयों/विभागों की भांति महिलओं के सशक्तिकरण की कोई योजना/स्कीम नहीं है। बहरहाल, लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्वक माहौल बनाने का हर संभव प्रयास किया है, ताकि महिला कर्मचारी सम्मान एवं गरिमा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।

MHIPE- Final 4.p65 110 4/16/2005, 2:09 AM

MHIPE- Final 5.p65 111 4/16/2005, 2:10 AM

लोक उद्यम विभाग

अनुबंध-I

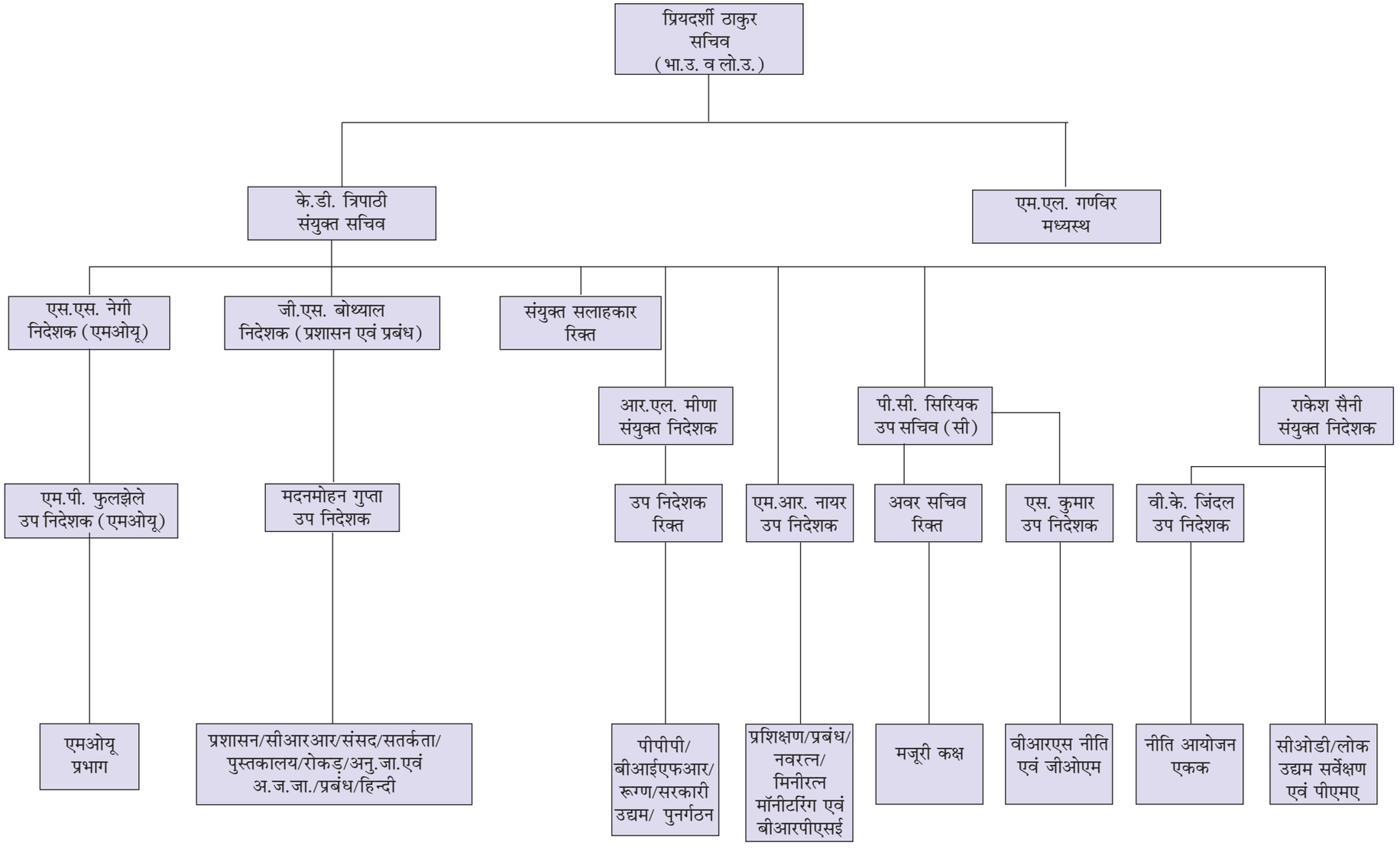

अनुबंध-II

मिनीरत्न सरकारी उद्यमों की सूची

श्रेणी-I

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
3. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
4. केन्द्रीय भण्डारण निगम
5. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
9. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
10. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
11. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
12. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
13. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
14. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
15. इरकॉन (इंटरनेशनल) लिमिटेड
16. कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड
17. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
18. एमएमटीसी लिमिटेड
19. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
20. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
21. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
22. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
23. ऑयल इंडिया लिमिटेड
24. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड
25. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
26. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
27. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
28. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
29. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
30. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड

श्रेणी-II

31. बॉमर लॉरी एण्ड लिमिटेड
32. एजूकेशनल कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड
33. फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
34. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
35. होस्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड
36. इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
37. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
38. एमएसटीसी लिमिटेड
39. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड
40. मेकॉन लिमिटेड
41. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
42. पीईसी लिमिटेड
43. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
44. राइट्स लिमिटेड
45. वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

MHIPE- Final 5.p65 112 4/16/2005, 2:10 AM

वर्ष 2004-05 के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने/उन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्यमों की सूची

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम
1.	एयर इण्डिया लिमिटेड
2.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लि.
5.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
6.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.
7.	भारत डायनामिक्स लि.
8.	भारत अर्थ मूवर्स लि.
9.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.
10.	भारत संचार निगम लि.
11.	ब्रह्मपुत्र बैली फर्टिलाइजर कारपो. लि.
12.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम
13.	केन्द्रीय भण्डारण निगम
14.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.
15.	कोल इंडिया लि.
16.	कोचीन शिपयार्ड लि.
17.	कंटेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.
18.	कॉटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.
19.	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.
20.	एजूकेशनल कंसल्टेंटस आफ इण्डिया लि.
21.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
22.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.
23.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
24.	भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूमि निगम लि.
25.	फैरो स्क्रेप निगम लि.
26.	फैक्ट लि.
27.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी लि.
28.	गेल इण्डिया लि.
29.	गोवा शिपयार्ड लि.
30.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.
31.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.
32.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
33.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.
34.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
35.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.
36.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.
37.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
38.	एचएमटी लि.
39.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.
40.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम
41.	आवास एवं शहरी विकास निगम
42.	इण्डियन एयरलाइन्स लि.
43.	इण्डियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपो. लि.
44.	इण्डियन ऑयल कारपो. लि.
45.	इण्डियन रेयर अर्थ लि.
46.	आईटीआई लि.
47.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
48.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपो.
49.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
50.	भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
51.	भारतीय पर्यटन विकास निगम
52.	कनार्टक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
53.	कुद्रेमुख आयरन ओर लि.
54.	कोंकण रेलवे कारपो. लि.
55.	महानगर टेलीफोन निगम लि.
56.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
57.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.

MHIPE- Final 5.p65 113 4/16/2005, 2:10 AM

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम
58.	मझगांग डॉक लि.
59.	एम.एस.टी.सी. लि.
60.	एम.एम.टी.सी. लि.
61.	खनिज गवेषण निगम लि.
61.	मिश्र धातु निगम लि.
63.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
64.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
65.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.
66.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
67.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
68.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
69.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
70.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.
71.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.
72.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि.
73.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.
74.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
75.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
76.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
77.	नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि.
78.	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
79.	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लि.
80.	ऑयल इण्डिया लि.

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम
81.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
82.	विद्युत वित्त निगम लि.
83.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
84.	पीईसी लि.
85.	राइट्स लि.
86.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
87.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
88.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
89.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
90.	स्कूटर्स इंडिया लि.
91.	स्पंज आयरन इंडिया लि.
92.	भारतीय नौवहन निगम लि.
93.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
94.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.
95.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
96.	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इण्डिया लि.
97.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
98.	वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंट्स सर्विसिज (इंडिया) लि.
99.	इण्डियन मेडिसिन फार्मा. लि.
100.	सतलुज जल विद्युत निगम
101.	मेकॉन लि.
102.	ब्रॉडकास्ट इंजी. कंसलटेंट्स इंडिया लि.
103.	सेमी कंडक्टर्स काम्प्लेक्स लि.

MHIPE- Final 5.p65 114 4/16/2005, 2:10 AM

वर्ष 2004-05 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों की सूची और अनंतिम आंकड़ों पर आधारित उनका एमओयू संयुक्त अंक

सं.	कंपनी का नाम	समझौता ज्ञापन अंक (लोउवि के अनुसार)	समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण
1.	एयर इण्डिया	1.99	बहुत अच्छा
2.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1.33	उत्कृष्ट
3.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु. कं. लि.	1.36	उत्कृष्ट
4.	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.	1.37	उत्कृष्ट
5.	भारत डायनामिक्स लि.	3.24	अच्छा
6.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	1.84	बहुत अच्छा
7.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	1.12	उत्कृष्ट
8.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.	1.07	उत्कृष्ट
9.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.	1.10	उत्कृष्ट
10.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	3.86	संतोषजनक
11.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	2.86	अच्छा
12.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम	3.42	अच्छा
13.	कोल इण्डिया लि.	1.41	उत्कृष्ट
14.	कोचीन शिपयार्ड लि.	2.28	बहुत अच्छा
15.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	1.20	उत्कृष्ट
16.	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	1.08	उत्कृष्ट
17.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इण्डिया	1.45	उत्कृष्ट
18.	एजूकेशनल कंसल्टेंटस इण्डिया लि.	2.19	बहुत अच्छा
19.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1.33	उत्कृष्ट
20.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.	3.37	अच्छा
21.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.	1.36	उत्कृष्ट
22.	निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम	1.35	उत्कृष्ट
23.	फैरो स्क्रेप निगम लि.	2.94	अच्छा
24.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	3.87	संतोषजनक
25.	गोवा शिपयार्ड लि.	1.61	बहुत अच्छा
26.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी लि.	1.66	बहुत अच्छा
27.	गेल इण्डिया लि.	1.00	उत्कृष्ट
28.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	1.93	बहुत अच्छा
29.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	3.25	अच्छा
30.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	1.10	उत्कृष्ट

MHIPE- Final 5.p65 115 4/16/2005, 2:10 AM

सं.	कंपनी का नाम	समझौता ज्ञापन अंक (अनंतिम)	समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण
31.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	4.12	संतोषजनक
32.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम	2.57	अच्छा
33.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	4.01	संतोषजनक
34.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	1.00	उत्कृष्ट
35.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.	1.08	उत्कृष्ट
36.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	2.17	बहुत अच्छा
37.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम	1.28	उत्कृष्ट
38.	आवास एवं शहरी विकास निगम	1.35	उत्कृष्ट
39.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	3.40	अच्छा
40.	इंण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन	समायोजन	
41.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	1.57	बहुत अच्छा
42.	इण्डियन एयरलाइन्स	1.92	बहुत अच्छा
43.	इण्डियन ऑयल कारपो. लि.	1.02	उत्कृष्ट
44.	भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी	3.43	अच्छा
45.	इण्डियन रेअर अर्थ लि.	1.22	उत्कृष्ट
46.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपो.	1.00	उत्कृष्ट
47.	इरकॉन इंटरनेशनल लि	2.44	बहुत अच्छा
48.	आईटीआई लि.	4.10	संतोषजनक
49.	इण्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कारपो. लि.	1.93	बहुत अच्छा
50.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मा. लि.	1.35	उत्कृष्ट
51.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.	1.05	उत्कृष्ट
52.	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.	2.22	बहुत अच्छा
53.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	4.33	संतोषजनक
54.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.	1.14	उत्कृष्ट
55.	मझगांव डॉक लि.	3.86	संतोषजनक
56.	मेकॉन लि.	2.23	बहुत अच्छा
57.	खनिज गवेषण निगम लि.	2.41	बहुत अच्छा
58.	मिश्र धातु निगम लि.	1.41	उत्कृष्ट
59.	एमएमटीसी लि.	1.29	उत्कृष्ट
60.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	1.87	बहुत अच्छा
61.	एमएसटीसी लि.	1.38	उत्कृष्ट
62.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपो.	1.12	उत्कृष्ट
63.	नेशनल थर्मल पावर कारपो.	1.00	उत्कृष्ट
64.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	1.47	उत्कृष्ट
65.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	3.31	अच्छा

MHIPE- Final 5.p65 116 4/16/2005, 2:10 AM

सं.	कंपनी का नाम	समझौता ज्ञापन अंक (अनंतिम)	समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण
66.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	1.22	उत्कृष्ट
67.	राष्ट्रीय बीज निगम	2.04	बहुत अच्छा
68.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.04	उत्कृष्ट
69.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	1.70	बहुत अच्छा
70.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	3.55	संतोषजनक
71.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	1.35	उत्कृष्ट
72.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	1.63	बहुत अच्छा
73.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	1.34	उत्कृष्ट
74.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	2.28	बहुत अच्छा
75.	नेवेली लिग्नाइट कारपो.	1.30	उत्कृष्ट
76.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो.	1.44	उत्कृष्ट
77.	न्यूक्लियर पावर कारपो. लि.	1.28	उत्कृष्ट
78.	ऑयल इण्डिया लि.	1.20	उत्कृष्ट
79.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	1.67	बहुत अच्छा
80.	विद्युत वित्त निगम लि.	1.00	उत्कृष्ट
81.	पावरग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1.03	उत्कृष्ट
82.	पीईसी लि.	1.04	उत्कृष्ट
83.	राइट्स लि.	1.23	उत्कृष्ट
84.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	1.09	उत्कृष्ट
85.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	1.05	उत्कृष्ट
86.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	1.00	उत्कृष्ट
87.	स्कूटर्स इण्डिया लि.	2.33	बहुत अच्छा
88.	सेमी कण्डक्टर्स काम्प्लेक्स लि.	3.35	अच्छा
89.	भारतीय नौवहन निगम लि.	1.20	उत्कृष्ट
90.	स्पंज आयरन इण्डिया लि.	1.37	उत्कृष्ट
91.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	1.35	उत्कृष्ट
92.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	3.14	अच्छा
93.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	1.36	उत्कृष्ट
94.	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.	1.47	उत्कृष्ट
95.	यूरेनियम कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1.27	उत्कृष्ट
96.	वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लि.	1.41	उत्कृष्ट

MHIPE- Final 5.p65 117 4/16/2005, 2:10 AM

चुने गये नोडल प्रशिक्षण अधिकरणों की सूची

1. एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचेम), दिल्ली
2. सीपेट, चेन्नई
3. सीपेट, भुवनेश्वर
4. सीपेट, हाजीपुर
5. सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई
6. सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मोहाली (चंडीगढ़)
7. सीएमसी लि.
8. सेन्टर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (सीएमडी), त्रिवेन्द्रम
9. डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लाईमेंट एण्ड ट्रेनिंग, श्रम मंत्रालय
10. इंडियन काऊंसिल ऑफ स्मॉल इण्डस्ट्रीज, कोलकाता
11. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी
12. इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट, पटना
13. इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर डेवलपमेंट, जयपुर
14. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी), भुवनेश्वर
15. मध्य प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन, भोपाल
16. मिटकॉन कंसल्टेंसी सर्विसिज लि., पुणे
17. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग (एनआईएसआईईटी), हैदराबाद
18. नेशनल प्रोडक्टिविटी, काऊंसिल, नई दिल्ली
19. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., नई दिल्ली
20. एनआईईएसबीयूडी, दिल्ली
21. निटरा, गाजियाबाद
22. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, बंगलौर
23. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, चेन्नई
24. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर
25. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, इंदौर
26. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कानपुर
27. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, करनाल
28. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कोलकाता
29. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, मुम्बई
30. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
31. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, पटना
32. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, रायपुर
33. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, थ्रिस्सूर
34. उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट्स लि., कानपुर

MHIPE- Final 5.p65 118 4/16/2005, 2:10 AM

कर्मचारी सहायता केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	ईएसी का नाम	नोडल अभिकरण
1.	इलाहाबाद	यूपीआईसीओ, कानपुर
2.	आसनसोल	सीपेट, भुवनेश्वर
3.	औरगांबाद	निस्बड, दिल्ली
4.	बंगलौर	डीजीईटी, दिल्ली
5.		एनपीसी, दिल्ली
6.		एसआईएसआई, बंगलौर
7.		सीएमसी, नई दिल्ली
8.		एनआईएसआईईटी, हैदराबाद
9.	बेवर	आईएलडी, जयपुर
10.	भिलाई	एमपीसीओएन, भोपाल
11.		केआईआईटी, भुवनेश्वर
12.	भिवाड़ी (अलवर)	आईएलडी, जयपुर
13.	भोपाल	एमपीसीओएन, भोपाल
14.	भुवनेश्वर	केआईआईटी, भुवनेश्वर
15.		सीपेट, भुवनेश्वर
16.	बोकारो	आईसीएसआई, कोलकाता
17.		एनएसआईसी, दिल्ली
18.	बर्नपुर	एनएसआईसी, दिल्ली
19.	चेन्नई	एसआईएसआई, चेन्नई
20.		सीपेट, चेन्नई
21.		सीएलआरआई, चेन्नई
22.	कोयम्बटूर	एसआईएसआई, कोयम्बटूर
23.	चन्द्रपुर	मिटकॉन, पुणे
24.	देहरादून	यूपीआईसीओ, कानपुर
25.	दिल्ली	एसआईएसआई, दिल्ली
26.		निस्बड, दिल्ली
27.		सीएमसी, दिल्ली
28.		निटरा, दिल्ली
29.		एनपीसी, दिल्ली
30.	धनबाद	आईसीएसआई, कोलकाता
31.		एनएसआईसी, कोलकाता
32.	दुर्गापुर	एनएसआईसी, कोलकाता
33.		आईसीएसआई, कोलकाता
34.	गंगानगर	आईएलडी, जयपुर
35.	गाजियाबाद	यूपीआईसीओ, कानपुर
36.	घाटशिला	आईसीएसआई, कोलकाता
37.		केआईआईटी, भुवनेश्वर
38.	गोवा	मिटकॉन, पुणे
39.	गुवाहटी	आईआईई, गुवाहटी
40.		एनपीसी, दिल्ली
41.	हाजीपुर	सीपेट, हाजीपुर
42.	हरिद्वार	यूपीआईसीओ, कानपुर
43.	हुगली	एनएसआईसी, दिल्ली
44.	हावड़ा	एनएसआईसी, दिल्ली
45.		डीजीईटी, दिल्ली
46.	हैदराबाद	एनआईएसआईईटी, हैदराबाद
47.		डीजीईटी, नई दिल्ली
48.	इंदौर	एसआईएसआई, इंदौर
49.	जयपुर	आईएलडी, जयपुर
50.	जमशेदपुर	आईसीएसआई, कोलकाता
51.	जोधपुर	आईएलडी, जयपुर
52.	कानपुर	यूपीआईसीओ, कानपुर
53.		एसोचैम, दिल्ली
54.	कटनी	एमपीसीओएन, भोपाल
55.	कोलार गोल्ड फील्ड/औरगांव	एनपीसी, दिल्ली
56.		डीजीईटी, नई दिल्ली
57.	खेतड़ी	आईएलडी, जयपुर
58.	कोलकाता	एनएसआईसी, दिल्ली
59.		आईसीएसआई, कोलकाता
60.		सीपेट, भुवनेश्वर
61.	कोरबा	एमपीसीओएन, भोपाल
62.	कोटा	आईएलडी, जयपुर
63.	लखनऊ	यूपीआईसीओ, कानपुर
64.		एसोचैम, दिल्ली
65.	मिर्जापुर	यूपीआईसीओ, कानपुर
66.	मोहाली	सी-डैक, मोहाली
67.	मोकामा	एसआईएसआई, पटना
68.	मुम्बई	एसआईएसआई, मुम्बई
69.		सीएमसी लि., नई दिल्ली
70.		मिटकॉन, पुणे
71.	मैसूर	एनपीसी, दिल्ली
72.		सीपेट, चेन्नई
73.	नागपुर	मिटकॉन, पुणे

MHIPE- Final 5.p65 119 4/16/2005, 2:10 AM

क्रम सं.	ईएसी का नाम	नोडल अभिकरण
74.	नेपानगर	एमपीसीओएन भोपाल
75.	नोएडा	सीएमसी, दिल्ली
76.		निटरा, दिल्ली
77.	नार्थ 24 परगना	आईसीएसआई, कोलकाता
78.	पटना	एसआईएसआई, पटना
79.		आईईडी, पटना
80.	पुणे	मिटकॉन, पुणे
81.	रायबरेली	यूपीआईसीओ, कानपुर
82.	रायपुर	एसआईएसआई,रायपुर
83.	राजनंदगाव	एनआईएसआई, रायपुर
84.	रामागुण्डम	एनआईएसआईईटी, हैदराबाद
85.	रांची	एनएसआईसी, दिल्ली
86.		सीएमसी, दिल्ली
87.		सीपेट, भुवनेश्वर
88.	राउरकेला	केआईआईटी, भुवनेश्वर
89.	सहारनपुर	यूपीआईसीओ, कानपुर
90.	साउथ 24 परगना	आईसीएसआई, कोलकाता
91.	सुरेन्दर नगर	आईएलडी, जयपुर
92.	त्रिशुर	एसआईएसआई, त्रिशुर
93.	त्रिवेन्द्रम	सीएमडी, त्रिवेन्द्रम
94.	उदयपुर	आईएलडी, जयपुर
95.	उज्जैन	एसआईएसआई, इंदौर
96.	बडोदरा	एमपीसीओएन, भोपाल
97.	विजाग	एनआईएसआईईटी, हैदराबाद
98.		आईसीएसआई, कोलकाता
99.	वारांगल	एनआईएसआईईटी, हैदराबाद
100.		आईसीएसआई, कोलकाता

MHIPE- Final 5.p65 120 4/16/2005, 2:10 AM

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूचीवार सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम

अनुसूची - क

1. एयर इण्डिया लि.
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3. भारत भारी उद्योग निगम लि.
4. भारत अर्थ मूवर्स लि.
5. भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.
6. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
7. भारत पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
8. भारत संचार निगम लि.
9. भारत यंत्र निगम लि.
10. कोल इण्डिया लि.
11. कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
12. इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
13. इंजीनियर्स इण्डिया लि.
14. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
15. भारतीय खाद्य निगम
16. गेल (इण्डिया) लि.
17. हैवी इंजीनियरिंग कॉरपो. लि.
18. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
19. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
20. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
21. एच.एम.टी लि.
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लि.
23. आई.टी.आई. लि.
24. इण्डियन एयरलाइन्स लि.
25. इण्डियन ऑयल कॉरपो. लि.
26. कोंकण रेलवे कॉरपो. लि.
27. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.
28. एम.एम.टी.सी. लि.
29. महानगर टेलीफोन निगम लि.
30. मझगांव डॉक लि.
31. मेकॉन लि.
32. मुंबई रेल विकास कारपोरेशन लि.
33. नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.
34. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
35. नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कॉरपो. लि.
36. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
37. नेशनल टेक्सटाईल कॉरपो. लि.
38. नेशनल थर्मल पावर कॉरपो. लि.
39. नेवेली लिग्नाईट कॉरपो. लि.
40. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
41. ऑयल इंडिया लि.
42. विद्युत वित्त निगम
43. पावर ग्रिड कॉरपो. इण्डिया लि.
44. रेलटेल कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
45. रेल विकास निगम लि.
46. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
47. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
48. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
49. भारतीय नौवहन निगम लि.
50. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
51. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
52. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.

अनुसूची - ख

1. एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.

MHIPE- Final 5.p65 121 4/16/2005, 2:10 AM

क्र.सं.	कंपनी का नाम
2.	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.
3.	भारत कोकिंग कोल लि.
4.	भारत डायनामिक्स लि.
5.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.
6.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.
7.	बोंगाईगांव रिफाईनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.
8.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि.
9.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
10.	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन लि.
11.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लि.
12.	ब्रिटिश इण्डिया कॉरपो. लि.
13.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.
14.	सीमेंट कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
15.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.
16.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.
17.	केन्द्रीय खान आयोजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि.
18.	सेन्ट्रल भण्डारण निगम लि.
19.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
20.	कोचीन शिपयार्ड लि.
21.	कॉटन कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
22.	ड्रेजिंग कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
23.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
24.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
25.	एन्नौर पोर्ट लि.
26.	भारतीय उर्वरक निगम लि.
27.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
28.	गोवा शिपयार्ड लि.
29.	गुरू गोविंद सिंह रिफाइनरीज लि.
30.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.
31.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.
32.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपो. लि.
33.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
34.	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपो. लि.
35.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
36.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
37.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपो. लि.
38.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
39.	एचएमटी (एमटी) लि.
40.	एचएमटी (वाचेज) लि.
41.	आईबीपी कंपनी लि.
42.	भारत पर्यटन विकास निगम लि.
43.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
44.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
45.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.
46.	इण्डियन ऑयल ब्लैंडिंग कंपनी लि.
47.	इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपो. लि.
48.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपो. लि.
49.	इण्डियन रेअर अर्थस लि.
50.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
51.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
52.	कोच्चि रिफाइनरीज़ लि.
53.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
54.	महानदी कोलफील्ड्स लि.
55.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.
56.	मंगलौर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स
57.	खनिज गवेषण निगम लि.
58.	मिश्र धातु निगम लि.
59.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
60.	नेशनल जूट मैन्यु. कॉरपो. लि.
61.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
62.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
63.	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपो. लि.

MHIPE- Final 5.p65 122 4/16/2005, 2:10 AM

क्र.सं.	कंपनी का नाम
64.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
65.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
66.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
67.	नेटेका (गुजरात) लि.
68.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
69.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
70.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
71.	नेटेका (नमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि.
72.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
73.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.
74.	नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.
75.	ओएनजीसी विदेश लि.
76.	पी ई सी लि.
77.	पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि.
78.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि.
79.	राइट्स लि.
80.	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
81.	स्कूटर्स इण्डिया लि.
82.	सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लि.
83.	साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि.
84.	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपो. लि.
85.	टायर कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
86.	यूरेनियम कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
87.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अनुसूची - ग

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	एयरलाइन्स एलाइड सर्विसिज लि.
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.
3.	आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कॉरपो. लि.
4.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5.	बंगाल इम्युनिटी लि.
6.	भारत लेदर कॉरपो. लि.
7.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.
8.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.
9.	भारत वेगन एण्ड इंजी. कं. लि.
10.	बीको लॉरी लि.
11.	ब्रॉडकास्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इण्डिया लि.
12.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.
13.	केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लि.
14.	चिनार वाचेज लि.
15.	एजूकेशनल कंल्टेंट्स (इण्डिया) लि.
16.	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपो. लि.
17.	फैरो स्क्रेप निगम लि.
18.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
19.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.
20.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.
21.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
22.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कॉरपो. लि.
23.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
24.	एचएमटी बियरिंग्स लि.
25.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
26.	भारतीय होटल निगम लि.
27.	भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.
28.	जूट कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
29.	एमएसटीसी लि.
30.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.
31.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
32.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
33.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
34.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
35.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
36.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

MHIPE- Final 5.p65 123 4/16/2005, 2:10 AM

37. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
38. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
39. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
40. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
41. राष्ट्रीय बीज निगम लि.
42. नेपा लि.
43. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
44. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
45. प्रागा टूल्स लि.
46. राजस्थान इलैट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
47. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.
48. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
49. भारतीय मसाला व्यापार निगम
50. स्पंज आयरन इण्डिया लि.
51. भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.
52. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
53. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
54. वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लि.

अनुसूची - घ

1. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.
2. हिन्दुस्तान प्रिफेब लि.
3. इण्डियन मेडीसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉरपो. लि.
4. कर्नाटक एंजीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.
6. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
7. यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

MHIPE- Final 5.p65 124 4/16/2005, 2:10 AM